

एन सी ई आर टी
NCERT

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

पंजिका क्रमांक

पृष्ठ संख्या

कार्यालय टिप्पणी

(अकादमिक शाखा)

क्र.प्रा. 9-बी-65 / प्रो.बो. / 2016-17

दिनांक : 10.1.2017

दिनांक 9.1.2017 को कक्ष संख्या 11 में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

1. प्रो. जे.पी.बागची, अधिष्ठाता
2. प्रो. एस.वी.शर्मा, विभागाध्यक्ष, डीई.एस.एम (छात्र सलाहकार)
3. प्रो. वी.पी. सिंह, विभागाध्यक्ष, डीईई (चीफ वार्डन)
4. डॉ. रामनिवास, विभागाध्यक्ष, डीईएसएसएच
5. डॉ. के.चंद्रशेखर, इन्चार्ज विभागाध्यक्ष, डी.ई.
6. प्रो. पी.के.चौरसिया, वार्डन
7. डॉ. ओ.पी.मीणा, वार्डन
8. डॉ. ए.के. नैनावत, एन.सी.सी. अधिकारी
9. डॉ. पवन कुमार, सहायक वार्डन
10. श्री के.सी. मीणा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षक
11. श्री हरिश बुलचन्दानी, इंचार्ज ए.पी.सी.(डी)

बैठक में संस्थान के दो छात्रों द्वारा दिए गए शिकायती पत्र पर विचार विमर्श किया गया। बोर्ड सदस्यों ने दोनो पक्षों शिकायतकर्ता छात्रों प्रखर प्रताप सिंह, हिमांशु दीप तथा आरोपित छात्रों हेतन्त तेतरवाल, राहुल कुमार, सुमित कुमार, फरहान सिद्दिकी और आदित्य शर्मा को सुना तथा यह पाया कि छात्रों का व्यवहार बहुत अशोभनीय रहा है।

अतः यह निर्णय लिया गया कि उक्त सभी आरोपित व शिकायतकर्ता छात्रों के अभिभावकों को इसके विषय में अवगत कराते हुए उनसे अनुरोध किया जाए कि वे संस्थान में 25 जनवरी 2017 तक आकर मिले अन्यथा उनके वार्ड को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया जाएगा।

(प्रो. जे.पी.बागची) 10.1.17 (डॉ. के. चंद्रशेखर) 10.1.17 (प्रो. एस.वी. शर्मा) 10.1.17 (प्रो. वी.पी. सिंह) 10.1.17 (डॉ. रामनिवास) 10.1.17
(डॉ. ए.के. नैनावत) (प्रो. पी.के.चौरसिया) (डॉ. पवन कुमार) (श्री के.सी. मीणा)
(डॉ. ओ.पी.मीणा) (श्री हरिश बुलचन्दानी)

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्राचार्य

12/01/2017

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2015-16/2090-96

दिनांक : 13.1.2017

10897-10903

कार्यालय आदेश

अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति के निर्णयानुसार आपको सूचित किया जाता है कि आपके पुत्र Rahul Kumar/Aditya Sharma/ Farhan Siddiqui /Himanshu Deep/Hemant Tatarwal/Parkhar Partap Singh/Sumit Kumar बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष पर अशोभनीय वार्ता करने का आरोप है। अतः आप शीघ्रातिशीघ्र अधिष्ठाता एवं चीफ वार्डन से 25 जनवरी 2017 तक आकर मिलें अन्यथा आपके पुत्र का होस्टल में प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

M. Sagchi
अधिष्ठाता
ok Budaun 22

1. Shri Veer Pal, Vill Patar Choha, Post Sagray, The. Sahaswan, Distt. Badaun, Uttar Pradesh 243638
2. Shri Harendra Sharma, 60, West Arjun Nagar, Agra -282001
3. Shri R.U. Siddiqui 4/10 Sector 2, Flat No. B6 Rajender Nagar, Ghaziabad 201005
4. Ambesh Kumar 51, Krishnapuri, Mathura (UP) 281001
5. Shri Deokaran Singh, Jawahar Navodaya Vidyalaya Kuchaman City, Nagaur (Raj.) 341508
6. Shri Gavendra Pal Singh Raghav, Truck Gate, Vill. Rampur Post Kasimpur Power House Distt. Aligarh (UP) 202127
7. Shri Virpal Singh, Village Patarchoha, Post Sagaray Teh Sahaswan Dist. Budaun 243638

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर (अकादमिक शाखा)

क्र.एफ.9-बी-65/प्रो. बो./2016-17/

दिनांक 27.02.2017

सूचना

दिनांक 27.02.2017 को अपराह्न 3.00 बजे कक्ष संख्या 142 में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन रखा गया है। समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया समय पर उपस्थित होने का श्रम करें।

- 1 अधिष्ठाता
- 2 सभी अध्यक्ष, (डी.ई.एस.एम., डी.ई., डी.ई.ई, डी.ई.एस.एस.एच.)
- 3 छात्र सलाहकार
- 4 एन.सी.सी. अधिकारी
- 5 मुख्य वार्डन
- 6 सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
- 7 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
- 8 इंचार्ज ए.पी.सी. (डी.)

सहायक कार्यक्रम समन्वयक (अ.)

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर (अकादमिक शाखा)

क्र.एफ.9-बी-65/प्रो. बो./2014-15/

दिनांक 27.02.2017

सूचना

दिनांक 27.02.2017 को अपराह्न 3.00 बजे कक्ष संख्या 142 में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन रखा गया है। समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया समय पर उपस्थित होने का श्रम करें।

- 1 अधिष्ठाता
- 2 सभी अध्यक्ष, (डी.ई.एस.एम., डी.ई., डी.ई.ई, डी.ई.एस.एस.एच.)
- 3 छात्र सलाहकार
- 4 एन.सी.सी. अधिकारी
- 5 मुख्य वार्डन
- 6 सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
- 7 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा-
- 8 इंचार्ज ए.पी.सी. (डी.)

सहायक कार्यक्रम समन्वयक (अ.)

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

(अकादमिक शाखा)

क्र.फा. 9-बी-65 / प्रो.बो. / 2016-17

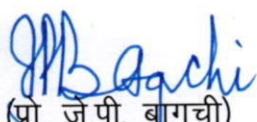
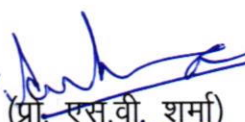
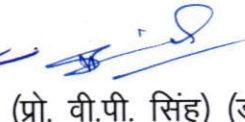
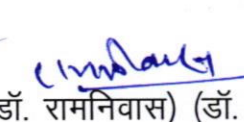
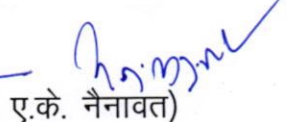
दिनांक : 28.2.2017

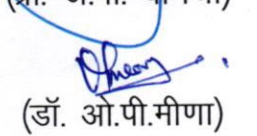
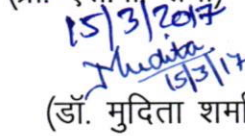
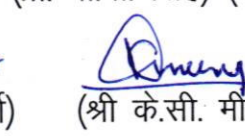
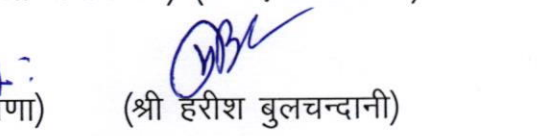
दिनांक 27.2.2017 को अपराह्न 3:00 बजे कक्ष संख्या 142 में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

1. प्रो. जे.पी. बागची, अधिष्ठाता
2. प्रो. एस.वी. शर्मा, विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एम. व छात्र सलाहकार
3. प्रो. वी.पी. सिंह, विभागाध्यक्ष, डी.ई.ई. व चीफ वार्डन
4. डॉ. रामनिवास, विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एस.एच.
5. डॉ. ए.के. नैनावत, एन.सी.सी. अधिकारी
6. डॉ. ओ.पी. मीणा, वार्डन तिलक छात्रावास
7. डॉ. मुदिता शर्मा, असिस्टेंट वार्डन लक्ष्मीबाई छात्रावास
8. श्री के.सी. मीणा, इन्चार्ज शारीरिक शिक्षा
9. श्री हरीश बुलचन्दानी, इन्चार्ज ए.पी.सी. (डी)

बैठक में संस्थान के छात्र श्री बिकास कुमार, ^{Chandra} द्वितीय वर्ष बी.एस.सी.बी.एड. के रुम में पाये गये आपत्तिजनक वस्तु (किंगफिशर ब्राण्ड बीयर की 8-9 बोतलें) एवं द्वितीय वर्ष बी.ए. बी.एड. के छात्रों पर पूर्व से चल रहे अनुशासनहीनता के प्रकरण पर विचार कर बैठक में अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये -

1. वार्षिक परीक्षा एवं प्रैक्टिकल परीक्षा को मध्य नजर रखते हुए उक्त छात्र को तुरन्त प्रभाव से होस्टल से निष्काषित न कर अगले सत्र 2017-18 से होस्टल में प्रवेश नहीं दिया जाए।
2. द्वितीय वर्ष बी.ए.बी.एड. के छात्र राहुल कुमार, सुमित कुमार, फरहान सिद्दीकी, हिमांशु दीप, आदित्य शर्मा, हेमन्त तेतरवाल, प्रखर प्रताप सिंह को भी अगले सत्र 2017-18 से होस्टल में प्रवेश नहीं दिया जाए।
3. उपरोक्त सभी छात्रों के अभिभावकों को परीक्षा उपरान्त सूचित किया जाये कि सत्र 2016-17 में अनुशासनहीनता के कृत्यों में शामिल पाए जाने के कारण भविष्य में आपके पुत्र को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

 (प्रो. जे.पी. बागची)
  (प्रो. एस.वी. शर्मा)
  (प्रो. वी.पी. सिंह)
  (डॉ. रामनिवास)
  (डॉ. ए.के. नैनावत)

 (डॉ. ओ.पी.मीणा)
  (डॉ. मुदिता शर्मा)
  (श्री के.सी. मीणा)
  (श्री हरीश बुलचन्दानी)

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्राचार्य


 28/3/17

रजिस्टर्ड

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

REGISTERED POST

क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2016-17/5079-86/720-727

दिनांक : 19.05.2017

22 MAY 2017

कार्यालय आदेश

अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति के निर्णयानुसार आपको सूचित किया जाता है कि आपके पुत्र _____, बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष (सत्र 2016-17) छात्रावास में अनुशासनहीनता कृत्यों में शामिल पाये जाने के कारण सत्र 2017-18 में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अतः सत्र 2017-18 में आपके पुत्र के रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

M. S. Chaudhary
अधिष्ठाता
19/5

1. Sh. Veer Pal, F/o Rahul Kumar, Vill.- Patar Choha, Post- Sagray, The. Sahaswan, Distt. Budaun (U.P.)-243638 Mob. No - 9720811162 Email - mr.rahul2700@gmail.com	5. Sh. Harendra Sharma F/o Aditya Sharma 60, Shyam Bhawan, West Arjun Nagar, (Agra) U.P. Pin Code - 282001 Mob. No. 9412316061 Email.sharmaaditya030@gmail.com
2. Sh. Veer Pal, F/o Sumit Kumar, Vill.- Patar Choha, Post- Sagray, Teh. Sahaswan Distt. Budaun (U.P.)-243638 Mob. No.- 8449739527 Email - mr.nik1020@gmail.com	6. Sh. Deokaran Singh F/o Hemat Tetarwal Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kuchaman City, Distt.- Nagaur (Raj.) 341508 Mob. No - 8764456636 Email. - hemanttetarwal@gmail.com
3. Sh. R.U. Siddiqui, F/o Farhan Siddiqui Plot No.4/10, B-6 Sector - 2 Rajender Nagar, Ghaziabad-201005 Mob. No - 7838357772, 8860353353 Email - reyaz150265@gmail.com	7. Sh. Gavendra Pal Singh Raghav F/o Prakhar Pratap Singh Truck Gate Market, Vill. - Rampur Post - Kasimpur Power House, Distt. - Aligarh (UP) Pin Code - 202127 Mob. No - 9235794070 Email - prakharaghav93@gmail.com
4. Sh. Ambesh Kumar F/o Himanshu Deep 51, Krishnapuri Mathura Pin Code - 281001 Mob. No - 9045424632 Email - hdsain786@gmail.com	8. Sh. Shiv Balak F/o Bikas Chandra Vill.- Pure Khir, Post - Roopamau, Distt. - Raibareli (UP) PIN Code - 229001 Email - bikaschandra101@gmail.com Mob. No. - 9559514776

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर (अकादमिक शाखा)

क्र.एफ.9-बी-65/प्रो. बो. / 2017-18 /

दिनांक 28.08.2017

सूचना

दिनांक 28.08.2017 को प्रातः 10.30 बजे कक्ष संख्या ⁵⁰~~102~~ में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन रखा गया है। समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया समय पर उपस्थित होने का श्रम करें।

- 1 अधिष्ठाता
- 2 सभी अध्यक्ष, (डी.ई.एस.एम., डी.ई., डी.ई.ई., डी.ई.एस.एस.एच.)
- 3 छात्र सलाहकार
- 4 एन.सी.सी. अधिकारी
- 5 मुख्य वार्डन
- 6 सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
- 7 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
- 8 इंचार्ज ए.पी.सी. (डी.)

सहायक कार्यक्रम समन्वयक (अ.)



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

पंजिका क्रमांक

कार्यालय टिप्पणी

पृष्ठ संख्या

क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2017-18

दिनांक : 28.8.2017

दिनांक 28.8.2017 को प्रातः 10.30 बजे कक्ष संख्या 50 में अनुशासनात्मक मंडल की बैठक आयोजित की गई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

1. डॉ. जे.पी. बागची, अधिष्ठाता
2. डॉ. एस.वी. शर्मा, विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एम.
3. डॉ. वी.पी. सिंह, विभागाध्यक्ष, डी.ई.ई. एवं चीफ वार्डन
4. डॉ. नगेन्द्र सिंह, विभागाध्यक्ष, डी.ई.
5. डॉ. रामनिवास, विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एस.एच.
6. डॉ. के. चन्द्रशेखर, छात्रसलाहकार
7. डॉ. ए.के. नैनावत, एन.सी.सी. अधिकारी
8. डॉ. ओ.पी.मीणा, वार्डन तिलक छात्रावास
9. डॉ. राजीव रंजन, असिस्टेंट वार्डन तिलक छात्रावास
10. डॉ. इंदु शर्मा, वार्डन राणाप्रताप छात्रावास
11. डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी, वार्डन लक्ष्मीबाई छात्रावास
12. डॉ. के.सी. मीणा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
13. श्री हरीश बुलचंदानी, इंचार्ज ए.पी.सी. (डी.)

दिनांक 25.08.2017, 26.08.2017 एवं 27.08.2017 को छात्रावास में अनुशासनहीनता के सम्बन्ध में हुए प्रकरण के बारे में विचार कर बैठक में अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये -

- 1 अनुशासनहीनता में लिप्त पाये गये छात्र अधिक होने के कारण अनुशासनात्मक मंडल के समक्ष पृच्छताछ अभी जारी है। इसे कल दिनांक 29.08.2017 को भी जारी रखी जाएगी।
- 2 तिलक छात्रावास में वर्तमान में सुरक्षा बढ़ाने के क्रम में नये छात्रों की प्रत्येक विंग में सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड लगाने हेतु सुरक्षा पर्यवेक्षक को निर्देशित किया जाये।

(डॉ. जे.पी. बागची) (डॉ. एस.वी. शर्मा) (डॉ. वी.पी. सिंह) (डॉ. नगेन्द्र सिंह) (डॉ. रामनिवास)

(डॉ. के. चन्द्रशेखर) (डॉ. ए.के. नैनावत) (डॉ. ओ.पी.मीणा) (डॉ. राजीव रंजन)

(डॉ. इंदु शर्मा) (डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी) (डॉ. के.सी. मीणा) (श्री हरीश बुलचंदानी)

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्राचार्य अनुमोदित

 28/8/2017



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

पंजीक क्रमांक

पृष्ठ संख्या

क्र.फा.9-बी-65/प्रोबो/2017-18/

कार्यालय टिप्पणी

दिनांक : 30.8.2017

दिनांक 28.8.2017 को प्रातः 10.30 बजे एवं दिनांक 29.08.2017 अपराह्न 3.00 बजे कक्ष संख्या 50 में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

1. डॉ. जे.पी. बागची, अधिष्ठाता
2. डॉ. एस.वी. शर्मा, विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम.
3. डॉ. वी.पी. सिंह, विभागाध्यक्ष डी.ई.ई. एवं चीफ वार्डन
4. डॉ. नगेन्द्र सिंह, विभागाध्यक्ष डी.ई.
5. डॉ. रामनिवास, विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एस.एच.
6. डॉ. के. चन्द्रशेखर, छात्र सलाहकार
7. डॉ. ए.के. नैनावत, एन.सी.सी. अधिकारी
8. डॉ. ओ.पी. मीणा, वार्डन तिलक छात्रावास
9. डॉ. राजीव रंजन, असिस्टेंट वार्डन तिलक छात्रावास
10. डॉ. इंदु शर्मा, वार्डन राणाप्रताप छात्रावास
11. डॉ. ईश्वन्त कौर, वार्डन शिवाजी छात्रावास
12. डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी, वार्डन लक्ष्मीबाई छात्रावास
13. श्री के.सी. मीणा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
14. श्री हरीश बूलचंदानी, इंचार्ज एपीसी (डी)

दिनांक 24.8.2017 से तिलक छात्रावास में छात्रों के मध्य आपस में कहा-सुनी तथा धक्का-मुक्की के संबंध में हुए प्रकरण के बारे में विचार कर बैठक में अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गए :-

1. सुरक्षा व्यवस्था को अत्यन्त मजबूत करने हेतु सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ा दी जाये।
2. छात्रावास में हुई घटना की जानकारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा संस्थान में लिखित में रिपोर्ट होनी चाहिए एवं गार्ड द्वारा भी लिखित सूचना आवश्यक है। जिसके तहत कोई प्रशासनिक कार्यवाही की जा सके।
3. छात्रावास में छात्रों को रात्रि 9.00 बजे तक अवश्य आना आवश्यक है इसका एक रजिस्टर रखा जाये और संबंधित वार्डन/असिस्टेंट वार्डन इसकी निगरानी रखे। वार्डन/असिस्टेंट वार्डन समय समय पर विजिट छात्रावास में सुनिश्चित करें तथा अग्रिम आदेश तक प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य/एंटी रेगिंग कमेटी के सदस्य/अकादमिक संकाय सदस्य समय समय पर आकस्मिक छात्रावास का दौरा करेंगे।
4. सुरक्षा कर्मियों की वर्तमान नियुक्ति प्रणाली में किए जा रहे बिना ट्रेनिंग के गार्ड के स्थान पर पूर्व सैनिकों अथवा अर्द्ध सैनिक बल, पूर्व नौसैनिकों में से ही लिये जाये जिससे संस्थान के छात्रावासों में रह रहे छात्र सुरक्षा के क्षेत्र में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें और संस्थान के वातावरण में अशांति की कोई अप्रिय घटना होने की संभावना को दूर किया जा सके।
5. अनुशासनात्मक मंडल की बैठक में निर्णय के अनुसार जिन छात्रों को दोषी पाया गया उनके अभिभावकों को सूचित किया जाये। उक्त छात्रों के अभिभावकों को तत्काल संस्थान में प्राचार्य एवं सम्बन्धित अधिकारियों से मिलने के लिए लिखा जाये। दोषी छात्रों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. सौरभ सुबरोज, B.A. B.Ed. IIInd Year
2. दीपक मीणा, B.A. B.Ed. IIInd Year
3. अतुल प्रताप सिंह, B.A. B.Ed. IIInd Year
4. सोलेश्वर पाठक, B.A. B.Ed. IIInd Year
5. गुरवीन्दरजीत सिंह, B.A. B.Ed. IIInd Year
6. शंशाक यादव, B.A. B.Ed. IIInd Year
7. पुनीत शर्मा, B.A. B.Ed. IIInd Year
8. चन्द्र प्रकाश, B.A. B.Ed. IIInd Year
9. सुधीर, B.Sc. B.Ed. IIInd Year
10. कमल सिंह, B.Sc. B.Ed. IIInd Year
11. ईशान सिंह, B.Sc. B.Ed. IIInd Year
12. अनुराग सिंह, B.Sc. B.Ed. IIInd Year
13. आकिफ नावेद, B.Sc. B.Ed. IIInd Year

14. गौरव चौधरी, B.Sc. B.Ed. IIInd Year
15. दीपांशु सिंह, B.Sc. B.Ed. ~~IIInd Year~~ III Year
16. आकाश चौधरी, B.Sc. B.Ed. IIIrd Year
17. मयंक यादव, B.Sc. B.Ed. IIIrd Year
18. गौरव गुसाई, B.Sc. B.Ed. IIIrd Year
19. रोहित कुमार धामा, B.Sc. B.Ed. IIIrd Year
20. अनुज दीक्षित, B.Sc. B.Ed. IIIrd Year
21. अभिनव मिश्रा, B.Sc. B.Ed. IIIrd Year
22. राहुल खण्डेवाल, B.Sc. B.Ed. IVth Year
23. हेमन्त रावत, B.Sc. B.Ed. IVth Year

पृष्ठ संख्या.....

6. अनुशासनात्मक मंडल की बैठक में निर्णय के अनुसार उपरोक्त छात्रों में से जिनकी भूमिका अधिक पाई गई। उन छात्रों को छात्रावास से तत्काल निष्कासित कर छात्रावास के सुरक्षा गार्ड को पाबंद किया जाये कि वे छात्र छात्रावास में प्रवेश ना करें। निष्कासित छात्र संस्थान में प्रातः 8.00 बजे से सांय 8.00 बजे के उपरान्त संस्थान में प्रवेश निषेध किया जाये। उक्त विद्यार्थी संस्थान में नियमित कक्षा एवं पुस्तकालय के अतिरिक्त अन्य किसी गतिविधि में अग्रिम आदेश तक शामिल नहीं किये जायेंगे। निष्कासित छात्रों के नाम इस प्रकार हैं:-

1. सौरभ सुबरोज B.A. B.Ed. IIInd Year
2. दीपक मीणा, B.A. B.Ed. IIInd Year
3. अतुल प्रताप सिंह, B.A. B.Ed. IIInd Year
4. शंशाक यादव, B.A. B.Ed. IIInd Year
5. पुनीत शर्मा, B.A. B.Ed. IIInd Year
6. आकाश चौधरी, B.Sc. B.Ed. IIIrd Year
7. हेमन्त रावत, B.Sc. B.Ed. IVth Year

7. समस्त द्वितीय वर्ष के छात्र जिनके ऊपर लिखित में आरोप दिये गये हैं और जिन्हें अनुशासनात्मक मंडल द्वारा जांच हेतु बुलाया गया उन छात्रों से समस्त पीड़ित छात्रों के समक्ष माफी मंगवाई जाये तथा प्रत्येक छात्र से भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं करने के संबंध में रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर विद्यार्थी और माता-पिता/अभिभावक के प्रति हस्ताक्षर सहित शपथ पत्र ले लिया जाये। शपथ पत्र इस आशय का लिया जाये कि यदि भविष्य में मैंने कोई भी अनुशासनहीनता की या अनुशासनहीनता करने वाले समूह में शामिल हुआ तो संस्थान प्रशासन का निर्णय (बिना पूर्व सूचना के अभिभावकों के) मुझे मान्य होगा। यह शपथ पत्र भविष्य में इस प्रकार के कार्य में यदि उक्त छात्र लिप्त हो तो कठोर से कठोर कार्यवाई तत्काल की जायेगी।
8. इस प्रकार की शिकायत मिली है कि कुछ छात्र (जैसे कि विकास चन्द्र एवं झूमर राम) छात्रावास में नहीं रहने के बावजूद उन्हें अक्सर छात्रावास में देखा गया है। अतः सुरक्षा पर्यवेक्षक सुनिश्चित करें कि छात्रावास में ऐसे सभी छात्रों का जो कि छात्रावास में नहीं रहते हैं उनका प्रवेश पूर्णतया वर्जित रखें।

(डॉ. जे.पी. बागची) (डॉ. एस.वी. शर्मा) (डॉ. वी.पी. सिंह) (डॉ. नगेन्द्र सिंह) (डॉ. रामनिवास)

(डॉ. के. चन्द्रशेखर) (डॉ. ए.के. नैनावत) (डॉ. ओ.पी. मीणा) (डॉ. राजीव रंजन) (डॉ. इंदु शर्मा)

(ईशवन्त कौर) (डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी) (के.सी. मीणा) (हरीश बूलचंदानी)

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Approved

प्रचार्य

Dear & Instructionary

30/8/17

197 =

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2017-18/3229-6255

दिनांक : 06.09.2017

- 8 SEP 2017

कार्यालय आदेश

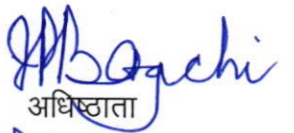
अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति के निर्णयानुसार निम्न निर्णय लिये गये:-

1. सुरक्षा व्यवस्था को अत्यन्त मजबूत करने हेतु सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ा दी जाये।
2. छात्रावास में हुई घटना की जानकारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा संस्थान में लिखित में रिपोर्ट होनी चाहिए एवं गार्ड द्वारा भी लिखित सूचना आवश्यक है। जिसके तहत कोई प्रशासनिक कार्यवाही की जा सके।
3. छात्रावास में छात्रों को रात्रि 9.00 बजे तक अवश्य आना आवश्यक है इसका एक रजिस्टर रखा जाये और संबंधित वार्डन/असिस्टेंट वार्डन इसकी निगरानी रखे। वार्डन/असिस्टेंट वार्डन समय समय पर विजिट छात्रावास में सुनिश्चित करें तथा अग्रिम आदेश तक प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य/एंटी रेगिंग कमेटी के सदस्य/अकादमिक संकाय सदस्य समय समय पर आकस्मिक छात्रावास का दौरा करेंगे।
4. सुरक्षा कर्मियों की वर्तमान नियुक्ति प्रणाली में किए जा रहे बिना ट्रेनिंग के गार्ड के स्थान पर पूर्व सैनिकों अथवा अर्द्ध सैनिक बल, पूर्व नौसैनिकों में से ही लिये जाये जिससे संस्थान के छात्रावासों में रह रहे छात्र सुरक्षा के क्षेत्र में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके और संस्थान के वातावरण में अशांति की कोई अप्रिय घटना होने की संभावना को दूर किया जा सके।
5. इस प्रकार की शिकायत मिली है कि कुछ छात्र (जैसे कि विकास चन्द्र एवं झूमर राम) छात्रावास में नहीं रहने के बावजूद उन्हें अक्सर छात्रावास में देखा गया है। अतः सुरक्षा पर्यवेक्षक सुनिश्चित करें कि छात्रावास में ऐसे सभी छात्रों का जो कि छात्रावास में नहीं रहते हैं उनका प्रवेश पूर्णतया वर्जित रखें।
6. निष्कासित छात्र संस्थान में प्रातः 8.00 बजे से सांय 8.00 बजे के उपरान्त संस्थान में प्रवेश निषेध किया जाये। उक्त विद्यार्थी संस्थान में नियमित कक्षा एवं पुस्तकालय के अतिरिक्त अन्य किसी गतिविधि में अग्रिम आदेश तक शामिल नहीं किये जायेंगे।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

प्रतिलिपि:-

1. विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम./डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एस.एच.
2. छात्र सलाहकार, क्षे.शि.सं., अजमेर
3. एन.सी.सी. अधिकारी, क्षे.शि.सं., अजमेर
4. मुख्य वार्डन, क्षे.शि.सं., अजमेर
5. सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक), क्षे.शि.सं., अजमेर
6. इंचार्ज शारीरिक शिक्षा, क्षे.शि.सं., अजमेर
7. एंटी रेगिंग कमेटी के सदस्य, क्षे.शि.सं., अजमेर
8. स.का.स.(प्राचार्य), क्षे.शि.सं., अजमेर
9. प्रशासनिक अधिकारी, क्षे.शि.सं., अजमेर
10. लेखाधिकारी, क्षे.शि.सं., अजमेर
11. सुरक्षा पर्यवेक्षक, क्षे.शि.सं., अजमेर को इस आशय के साथ कि उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।


अधिष्ठाता
69

198

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2017-18/3160-3182

दिनांक : 06.09.2017

3438-3444
कार्यालय आदेश

8 SEP 2017

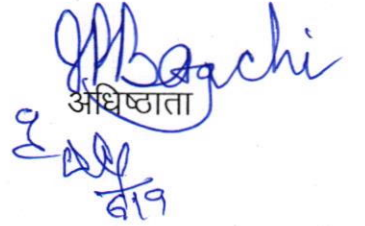
अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि निम्न छात्रों को संस्थान के तिलक छात्रावास से तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाता है।

1. सौरभ सुबरोज, B.A. B.Ed. IIInd Year
2. दीपक मीणा, B.A. B.Ed. IIInd Year
3. अतुल प्रताप सिंह, B.A. B.Ed. IIInd Year
4. शंशाक यादव, B.A. B.Ed. IIInd Year
5. पुनीत शर्मा, B.A. B.Ed. IIInd Year
6. आकाश चौधरी, B.Sc. B.Ed. IIIrd Year
7. हेमन्त रावत, B.Sc. B.Ed. IVth Year

उपरोक्त सभी निष्कासित छात्रों का संस्थान में प्रातः 8.00 बजे से सांय 8.00 बजे के उपरान्त संस्थान में प्रवेश निषेध रहेगा। उक्त विद्यार्थी संस्थान में नियमित कक्षा एवं पुस्तकालय के अतिरिक्त अन्य किसी गतिविधि में अग्रिम आदेश तक शामिल नहीं किये जायेंगे।

छात्रों को सूचित किया जाता है वे अपना व्यवहार संस्थान एवं कक्षा में अच्छा रखें। उक्त अवधि में अनुशासनहीनता करते हुए पाए गए या अन्य किसी गतिविधि में पाए गए तो उन्हें संस्थान से भी निष्कासित किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की व उनके अभिभावक की रहेगी।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।


अधिष्ठाता
21/9

प्रतिलिपि:-

1. विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम./डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एस.एच.
2. छात्र सलाहकार, क्षे.शि.सं., अजमेर
3. एन.सी.सी. अधिकारी, क्षे.शि.सं., अजमेर
4. सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक), क्षे.शि.सं., अजमेर
5. इंचार्ज शारीरिक शिक्षा, क्षे.शि.सं., अजमेर
6. वार्डन तिलक छात्रावास/मुख्य वार्डन तुरन्त प्रभाव से सुरक्षा पर्यवेक्षक की सहायता से छात्रावास से इनका निष्कासन सुनिश्चित करावें।
7. स.का.स.(प्राचार्य), क्षे.शि.सं., अजमेर
8. प्रशासनिक अधिकारी, क्षे.शि.सं., अजमेर
9. लेखाधिकारी, क्षे.शि.सं., अजमेर
10. सुरक्षा पर्यवेक्षक, क्षे.शि.सं., अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त छात्रों का छात्रावास में प्रवेश ना करने बाबत सुरक्षा गार्ड को पाबंध करें।
11. संबंधित छात्र
12. संबंधित छात्र के अभिभावक - पिछले पृष्ठ पर लिखे पते अनुसार (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
13. सूचना पट्ट - संस्थान/छात्रावास

Address of the Students

1.	Shri Subhash Chander Father of Saurabh Subroj H.No. 255, Near Balaji Tent House, V.P.O.- Abub Shahar, Distt.- Sirsa, Haryana -125104
2.	Shri Krishan Kumar Meena Father of Deepak Meena Vill.-Balaywala, Post-Kanota, Teh.- Bassi, Distt.- Jaipur (Raj.) - 303012
3.	Shri Chandra Pal Singh Father of Atul Pratap Singh Gadiya Jagannath, Aliganj Etah - 207244 (U.P.)
4.	Shri Shiv Murat Yadav Father of Shashank Yadav D-1/181, Sector-I, Janki Puram, Lucknow - 226021 (U.P.)
5.	Shri Ajay Sharma Father of Puneet Sharma Vill.&Post- Dobra, Teh.- Surajgarh, Distt.- Jhunjhunu - 333031 (Raj.)
6.	Shri Heeralal Choudhary Father of Akash Choudhary Jaaton Ka Mohalla Vill.&Post-Chhan, Distt.& Block- Tonk - 304001
7.	Shri Balraj Singh Rawat Father of Hemant Rawat Kandari Colony, Shibbunagar, Kotdwara, Uttarakhand - 246149

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

रजिस्टर्ड डाक

क्र.फा. ९-बी-६५/प्रो.बो./२०१७-१८/ ३१८३-३२२१
३५५५-३५६७
कार्यालय आदेश

दिनांक : 06.09.2017
1-8 SEP 2017

अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति के निर्णयानुसार आपको सूचित किया जाता है कि आपका पुत्र छात्रावास से संबंधित नियम विरुद्ध घटना में लिप्त पाया गया है। अतः आप तत्काल संस्थान के प्राचार्य, चीफ वार्डन एवं वार्डन से तुरन्त सम्पर्क करें। साथ ही आपके पुत्र द्वारा रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि "मेरे द्वारा भविष्य में कोई भी अनुशासनहीनता की जाती है या मैं अनुशासनहीनता करने वाले समूह में लिप्त पाया जाता हूँ तो संस्थान प्रशासन का निर्णय (बिना पूर्व सूचना के अभिभावकों के) मुझे मान्य होगा"। इस शपथ पत्र पर माता-पिता/अभिभावक के प्रति हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

12/09/2020

To

Mr. _____
F/o _____

प्रतिलिपि:-

1. विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम. / डी.ई. / डी.ई.ई. / डी.ई.एस.एस.एच.
2. छात्र सलाहकार, क्षे.शि.सं., अजमेर
3. एन.सी.सी. अधिकारी, क्षे.शि.सं., अजमेर
4. मुख्य वार्डन, क्षे.शि.सं., अजमेर
5. सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक), क्षे.शि.सं., अजमेर
6. इंचार्ज शारीरिक शिक्षा, क्षे.शि.सं., अजमेर
7. स.का.स.(प्राचार्य), क्षे.शि.सं., अजमेर
8. प्रशासनिक अधिकारी, क्षे.शि.सं., अजमेर
9. लेखाधिकारी, क्षे.शि.सं., अजमेर
10. सुरक्षा पर्यवेक्षक, क्षे.शि.सं., अजमेर
11. संबंधित छात्र
12. संबंधित छात्र के अभिभावक — पिछले पृष्ठ पर लिखे पते अनुसार (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
13. सूचना पट्ट — संस्थान/छात्रावास

B.A. B.Ed. IInd Year

Shri Subhash Chander Father of Saurabh Subroj H.No. 255, Near Balaji Tent House, V.P.O.- Abub Shahr, Distt.- Sirsa, Haryana -125104	Shri Krishan Kumar Meena Father of Deepak Meena Vill.-Balaywala, Post-Kanota, Teh.- Bassi, Distt.- Jaipur (Raj.) - 303012
Shri Chandra Pal Singh Father of Atul Pratap Singh Gadiya Jagannath, Aliganj Etah - 207244 (U.P.)	Shri Rajesh Pathak Father of Sholeshwar Pathak V.P.O.- Baraka Gaon, Teh.-Barhoj, Distt.- Deoria - 274601 (U.P.)
Shri Gurcharan Singh Father of Gurwinderjeet Singh V.P.O.- Gehri Devi Nagar, Teh.& Distt.- Bathinda (Punjab) - 151001	Shri Shiv Murat Yadav Father of Shashank Yadav D-1/181, Sector-I, Janki Puram, Lucknow - 226021 (U.P.)
Shri Ajay Sharma Father of Puneet Sharma Vill.&Post- Dobra, Teh.- Surajgarh, Distt.- Jhunjhunu - 333031 (Raj.)	Shri Om Prakash Goyal Father of Chandra Prakash Chhapeti Para, Near Government Hospital, Bari, Distt.-Dholpur - 328021 (Raj.)

B.Sc. B.Ed. II Year

Shri Ved Prakash Father of Sudhir Vil.-Mirzapur, Post - Khor, Dist- Gurgaon (Haryana)	Shri Nand Singh Father of Kamal Singh Moh.-Jahangurabad Post & Teh.- Sahaswan, Distt.- Budaun (U.P.)
Shri Alok Verma Father of Ishan Singh T-6, Module-9, Mangalam Appts, Abhay Khand-111, Indirapuram Ghaziabad, (U.P.)	Shri Rajesh Kumar Singh Father of Anurag Singh Vill.-Baldipurwa Khargapur, Post-Huzoorpur, Teh.- Poyagpur, Distt.- Bahraich - 271872 (U.P.)
Shri Mohd. Ajeem Father of Akif Naved H.No.-30, Naubasta, Kolyanpu - 208017	Shri Prem Chand Burdak Father of Gaurav Choudhary 170, Jata Bass, Borawar Nagaur, Borawar -341502 (Rajasthan)

B.Sc.B.Ed. III Year

Shri Shyamveer Father of Deepanshu H.No.-510, Ward No.18, Model Town, Jhajjar (Haryana)	Shri Heeralal Choudhary Father of Akash Choudhary Jaaton Ka Mohalla Vill.&Post-Chhan, Distt.& Block- Tonk - 304001
Shri Krishna Kumar Father of Mayank Yadav HC/24 Chandanvan Colony Mathura - 281001 (U.P.)	Shri Rajender Singh Father of Gaurav Gusain H.No.-46, Badrish Puram, Kanker Khera Meerut - 250001 (U.P.)
Shri H.K. Dhama Father of Rohit Kumar Dhama H.No.-28, Kailash Puri, Vill.- Khekra Distt.- Baghpat - 250101 (U.P.)	Shri Umesh Chandra Dixit Father of Anuj Dixit 269/9, Shastri Nagar, Kanpur - 208005 (U.P.)
Shri Vinod Kumar Mishra Father of Abhinav Mishra T-31, Teacher's Flat, IEL Housing Colony Gomia, Distt-Bakaro, Jharkhand - 829112	

B.Sc.B.Ed. IV Year

Shri Banwari Lal Father of Rahul Khandelwal Vijay Bag, Riyan Bari, Teh.- Riyan Bari, Nagour -341513 (Rajasthan)	Shri Balraj Singh Rawat Father of Hemant Rawat Kandari Colony, Shibbunagar, Kotdwara, Uttarakhand - 246149
--	---

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

- 2 NOV 2017

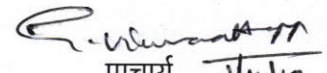
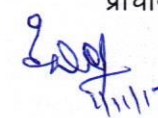
क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2017-18/ ~~4429~~ 4725

दिनांक : 01.11.2017

विषय :- क्षे.शि.सं., अजमेर के बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष के दो छात्रों प्रखर प्रताप सिंह एवं हिमांशु दीप को बिना वजह संस्थान प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किये जाने के बाबत।

एम.डी.एस. युनिवर्सिटी से उपरोक्त विषय में स्वस्पष्ट पत्र संख्या - महा.वि.सं.अ. /मदसविवि/2017/23308 दिनांक 26.10.2017 संस्थान प्राचार्य को प्राप्त हुआ है। पत्र की प्रति संलग्नक के साथ आपको इस आशय से दी जाती है कि आप स्पष्ट करें की क्या आपने उच्चाधिकारियों को इस बाबत पत्राचार/शिकायत करने हेतु श्री गवेन्द्र सिंह को अधिकृत किया है? इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि क्या इस हेतु आपने संस्थान प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त की है।

आपको आदेश दिया जाता है कि आप उपरोक्त दस्तावेज तुरन्त (दिनांक 06.11.2017 तक) आगे की कार्यवाही हेतु संस्थान में जमा करायें।


प्राचार्य 11/11/17

11/11/17

श्री हिमांशु दीप,
बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष,
क्षे.शि.सं., अजमेर



Department of Remote Sensing & Geo – Informatics
Maharshi Dayanand Saraswati University
Ajmer-305 009

Dr. Subroto Dutta
Professor & Head
Chief Proctor

क्रमांक – महा.वि.सं.अ. / मदसवि.वि. / 2017 / 23308

दिनांक 26.10.17

प्राचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर।

विषय:- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर (R.T.E. Ajmer) के B.A.-B.Ed. III Year के दो छात्रों प्रखर प्रताप सिंह एवं हिमांशु दीप को बिना बजट संस्थान प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाना।

संदर्भ:- छात्रों के अभिभावक का शिकायती पत्र कुलसचिव कार्यालय के क्रमांक 2445 दिनांक 11.09.2017 क माध्यम से प्राप्त पत्र के क्रम में।

महोदय,

उपयुक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके संस्थान प्रशासन द्वारा छात्रों के विरुद्ध की गयी उक्त कार्यवाही के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको भिजवायी जा रही है।

अतः संलग्न पत्र में दी गयी शिकायतों का तथ्यात्मक जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता को पत्र प्राप्ति से सात दिवसों में अतिशीघ्र जवाब उपलब्ध करावें।

सादर।

संलग्न: उपरोक्तानुसार :- छायाप्रति-03

भवदीय,

(प्रो. सुब्रतो दत्ता)

महाविद्यालय संकायाध्यक्ष

Dean (Academic)
JPB 30.10.17

10/11/17

27

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
R.T.E. Ajmer
डा. सुब्रतो दत्ता
4228
दिनांक/Date
With Date 31 OCT 2017

सेवामें;

महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय
जयपुर, राजस्थान।

सुलभाय
11/9/17
11/9/17

विषय- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर (R.T.E. Ajmer) के B.A.-B.Ed.
IIIrd year के दो छात्रों प्रखर प्रताप सिंह एवं हिमांशु दीप को
बिना बजट संस्थान-प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाना।

मान्यवर;

मेरे पुत्र प्रखर प्रताप सिंह एवं एक अन्य छात्र हिमांशु दीप जी
कि वर्तमान में R.T.E. Ajmer में B.A.-B.Ed. IIIrd year के विद्यार्थी हैं तथा
इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर के संस्कार क्षम वातावरण
में प्राप्त की है।

उक्त दोनों छात्रों के द्वारा संयुक्तरूप से दिनांक 14/12/2016 को संस्थान
के कुछ शरारती तत्वों/विद्यार्थियों द्वारा निरन्तर उत्पीड़न/परीशान किये जाने के
सम्बन्ध में प्राचार्य महोदय को प्रथमा पत्र दिया था तथा मैं स्वयं 25 जनवरी 17
को संस्थान में उपस्थित होकर विद्यार्थियों की समस्या से अवगत कराया
था तथा अपने पुत्र द्वारा शिक्षण संस्थान के आदेशों का पूर्ण सम्मान किये
जाने हेतु आश्वस्त किया था।

PR (का)
2/11/17

परन्तु संस्थान के अनुशासनात्मक मंडल ने पीड़ित शिकायतकर्ताओं
एवं उपर्युक्त तत्वों को एक ही श्रेणी में रखते हुए अविवेकपूर्ण दंग से
निर्णय लेते हुए छात्रावास सुविधा से ही वंचित कर दिया। मेरे पुत्र
प्रखर प्रताप सिंह ने पूर्व प्राचार्य एवं नवागन्तुक प्राचार्य महोदय को
समस्त प्रकरण की जानकारी देते हुए न्याय की मांग की तथा दोनों
शिकायतकर्ताओं को छात्रावास सुविधा से वंचित किये जाने का लिखित
कारण जानने की मांग प्राचार्य एवं अन्य सक्षम अधिकारियों से बार-बार
मिलकर की परन्तु कोई देने में आज तक असमर्थ रहे हैं।

मान्यवर: दोनों शिकायतकर्ता छात्र अत्यन्त सामान्य सेवी एवं शाला
आय वर्ग के परिवार से सम्बन्ध रखते हैं, इनकी छात्रावास सुविधा बहाल
कराने की कृपा करें। आपकी आभारपूर्वक होगी।

दिनांक- 31.08.2017
संलग्नक- (1) छात्रों द्वारा प्राचार्य को प्रेषित प्रथम पत्र दिनांक 14.12.2016 की प्रतिलिपि।
(2) संस्थान द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 13.01.2017 व 22.05.2017 की प्रतिलिपि।
शैलेंद्र पाल सिंह सावर 1/0
प्रखर प्रताप सिंह (B.A.-B.Ed. IIIrd year)
mobile- 9458232729 (Self)
- 9457920994 (प्रखर प्रताप)



प्रमाणित किया गया है
 दिनांक 15/11/2018

महोदय,
 सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय, पुणे
 (द्वितीय वर्ष) के विद्यार्थियों के लिए
 अर्थ सहपाठी के रूप में हमें बहुत खुश है।
 1. विद्यार्थी का नाम
 2. पता
 3. उम्र
 4. पेशा

ये सभी हमें दोनो को ज्ञात करने के लिए बहुत जरूरी है।
 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गाली-गलौच करते हैं और साथ
 साथ ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे विरुद्ध गालियाँ दी एवं निन्दित
 प्रकार की भाषा भी की जा चुकी है -

1. जहाँ का नाम दिया जाए और कहा कि जहाँ का नाम दिया जाए
 2. इनको द्वारा प्रशासन को भी गालियाँ दी गयीं और कहा कि
 प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकता परन्तु हमें अपने अधिकारों
 तम होरुतल में रहने लायक नहीं रहोगे।

उ. साथ ही यह भी कहा गया कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
 हम जैल जाने से भी नहीं डरते।
 इन सभी के विरुद्ध पहले श्री काफ़ी शिकायत है जैसे -

1. हटाफ को गाली देना (विद्वले नसीब, राना आस बहोदुर को)।
2. क्षत्राज्ञो को गाली देना।
3. अशासनात्मक बातें बोलना।
4. यह बात पहले हर प्रकार के अधिकारियों के समक्ष रखी जा चुकी है।

इसलिए हमें अनिष्ट है।
 इस सभी का हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है।
 उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ हैं।

225

5/12/17

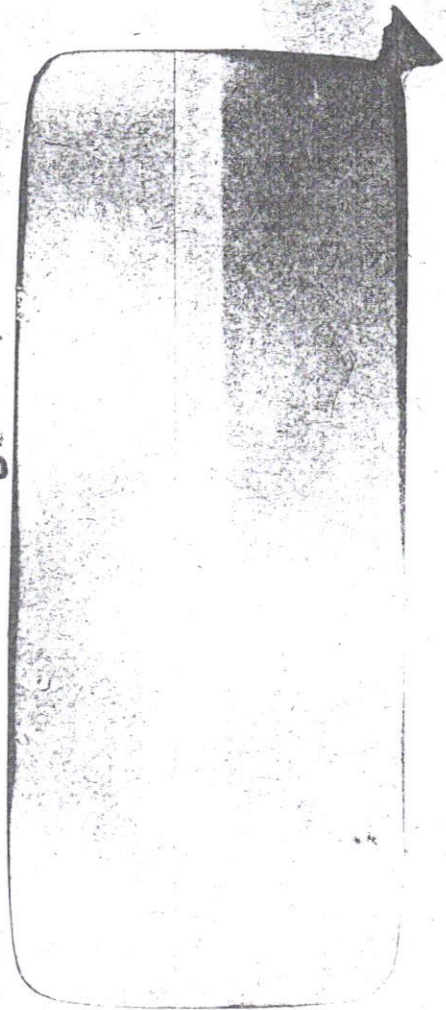
पुखर जनाय मि. पुखर
हिमालय दीप पुखर
 (बी. ए. बी. ए. डिग्री)

124-116

Region

O.I.G.S.

51-



R. D. ...

Despatcher :-
MAHARSHI DAYANAND SARASWATI
UNIVERSITY, AJMER - 305009





क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

पत्रिका क्रमांक 9-B-65/183 अकादमिक शाखा

पृष्ठ संख्या -1-

कार्यालय टिप्पणी

बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष के छात्र शिवराज, अंकित कुमार एवं बी.एससी.बी.एड. द्वितीय वर्ष के छात्र अजय ने अलग-अलग प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2018 को प्रस्तुत कर सूचित किया है कि सीनियर छात्र आकाश चौधरी, बी.एससी.बी.एड. चतुर्थ वर्ष एवं शशांक यादव, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष पिछले कुछ समय से गाली-गलोच करना, धमकाना व कालेज के अन्दर व बाहर पिटाई करने की धमकी देते हैं। जिस वजह से हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अतः सुरक्षा हेतु उचित कार्यवाही की मांग की है।

उपरोक्त छात्रों के प्रार्थना पत्र पर अधिष्ठाता महोदय के आदेशानुसार दोनों छात्रों को आज ही कक्ष संख्या 50 में 4:00 बजे उपस्थित होने हेतु मोबाइल पर सूचना दे दी गई थी।

अधिष्ठाता महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2018 को सांय 4:00 बजे कक्ष संख्या 50 में विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम., डी.ई., डी.ई.एस.एस.एच. एवं वार्डन के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है:-

कार्यवृत्त

प्रो. जे.पी. बागची, अधिष्ठाता की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2018 को सांय 4:00 बजे कक्ष संख्या 50 में निम्न विभागाध्यक्ष एवं वार्डन के साथ बैठक का आयोजन किया गया :-

1. प्रो. एस.वी. शर्मा, अध्यक्ष, डी.ई.एस.एम.
2. प्रो. के. चन्द्रशेखर, अध्यक्ष, डी.ई.
3. डॉ. अल्बर्ट होरो, अध्यक्ष, डी.ई.एस.एस.एच.
4. श्री ओ.पी. मीणा, वार्डन तिलक छात्रावास

बैठक में शिकायतकर्ता छात्र शिवराज, अंकित कुमार एवं अजय के प्रार्थना पत्र पर विचार विमर्श कर उक्त छात्रों को बुलाकर घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर छात्र आकाश चौधरी, बी.एससी.बी.एड. चतुर्थ वर्ष एवं शशांक यादव, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष से पूछताछ की गई।

पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हुई कि छात्रों में छोटी-छोटी बातों से आपसी मनमुटाव के कारण कहासुनी हुई थी। सभी छात्रों ने लिखित में वचन दिया है कि हम भविष्य में किसी गलत गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। अब हमारा कोई मनमुटाव नहीं है।

अतः छात्रों के लिखित में दिये गये आश्वासन को मद्देनजर रखते हुए यह अनुसंशा की जाती है कि शिकायत को बंद कर दिया जाये।

उपरोक्तानुसार संलग्न कार्यवृत्त प्राचार्य महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है:-

1536
12.07.18

स.का.स. (अ.)

इंचार्ज, अकादमिक शाखा

अधिष्ठाता

प्राचार्य

Approved

12/7/18

12/7/18

कार्यवृत्त

दिनांक : 11.07.2018

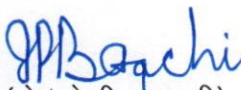
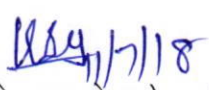
प्रो. जे.पी. बागची, अधिष्ठाता की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2018 को सांय 4:00 बजे कक्ष संख्या 50 में निम्न विभागाध्यक्ष एवं वार्डन के साथ बैठक का आयोजन किया गया :-

1. प्रो. एस.वी. शर्मा, अध्यक्ष, डी.ई.एस.एम.
2. प्रो. के. चन्द्रशेखर, अध्यक्ष, डी.ई.
3. डॉ. अल्बर्ट होरो, अध्यक्ष, डी.ई.एस.एस.एच.
4. श्री ओ.पी. मीणा, वार्डन तिलक छात्रावास

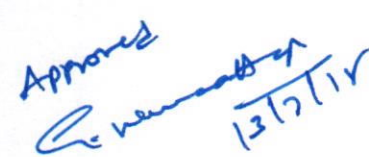
बैठक में शिकायतकर्ता छात्र शिवराज, अंकित कुमार एवं अजय के प्रार्थना पत्र पर विचार विमर्श कर उक्त छात्रों को बुलाकर घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर छात्र आकाश चौधरी, बी.एससी.बी.एड. चतुर्थ वर्ष एवं शशांक यादव, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष से पूछताछ की गई।

पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हुई कि छात्रों में छोटी-छोटी बातों से आपसी मनमुटाव के कारण कहासुनी हुई थी। सभी छात्रों ने लिखित में वचन दिया है कि हम भविष्य में किसी गलत गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। अब हमारा कोई मनमुटाव नहीं है।

अतः छात्रों के लिखित में दिये गये आश्वासन को मद्देनजर रखते हुए यह अनुसंशा की जाती है कि शिकायत को बंद कर दिया जाये।

 (प्रो. जे.पी. बागची)
  (प्रो. एस.वी. शर्मा)
  (प्रो. के. चन्द्रशेखर)
  (डॉ. अल्बर्ट होरो)
  (श्री ओ.पी. मीणा)

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

प्राचार्य 

सेवा में
 प्राचार्य
 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
 अजमेर, राजस्थान

विषय: सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष (2018-19) का छात्र हूँ। मुझे बीते अप्रैल से बी.ए. व बी.एस.सी. बी.एड. तृतीय व चतुर्थ वर्ष के कुछ छात्र निरंतर गालियाँ देते हैं और धमकी दी जाती है कि कॉलेज के बाहर आने पर पिटाई करेंगे।

उपरोक्त छात्रों में आकाश चौधरी, शशांक यादव सहित कई अन्य छात्र शामिल हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता, बल्कि वो कॉलेज के ही छात्र हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि इस संदर्भ में उचित कार्रवाई की जाये ताकि मैं मानसिक रूप से स्वतंत्र माहौल में अपनी शिक्षा जारी रख सकूँ।

आपकी अति महान कृपा होगी।
 अनधन्यवाद

आपका शिष्य

शिवराज

बी.ए. बी.एड. द्वितीय वर्ष (2018-19)

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर

दिनांक - 10-07-2018

Sri Jagdish/APC(A)
 kindly ask these two boys
 (marked 'n') to be present
 in R. No. 50 at 4.00 PM
 today positively failing which
 action will be initiated.
 9/7/18 10-7-18

सेवा में

246

Ministry of Industries (RTE ASHOK)

देशीय शिक्षा संस्थान

अजमेर ।

विषय: महाविद्यालय से निष्कासित सीनियर छात्रों द्वारा अपशब्द कहने एवं मारपीट की धमकी देने के संदर्भ में ।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके संस्थान में बी.ए. की. ए. द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ ।

महोदय शुक्रवार शाम 6 जुलाई को लगभग 7:35 बजे जब मैं कोलेजोंपी की दुकान से वापस आ रहा था तब वहां न्याय की दुकान पर बैठे आकाश चौधरी (BSc.BEd II) एवं अशोक यादव (BA.BEd. III) नामक दो छात्रों ने हमसे कुछ बातें पूछी एवं हमें पता न होने और इनको मना करने पर वे भी अपशब्दों का प्रयोग करने की एवं संस्थान परिसर में आकर मारपीट करने की धमकी देने लगे एवं वे मेरे पास आकर खड़े हो गए इनके इस रवैये से सेवा प्रतीत हो रहा था कि वे मुझे शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे ।

महोदय इन्होंने कई बार कई व्यक्तियों के साथ ऐसा किया है । इसीलिए महोदय मैं संस्थान में अनुसूचित महसूस कर रहा हूँ । अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारी सुरक्षा हेतु इनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए ।

धन्यवाद ।

भवदीय

अंकित कुमार (बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष)

APC (A)
Call the boys
at 4.00 PM today
R.No. 50
दिनांक - 10 जुलाई 2018

सेवा में,

Dean of Instructions RIE AJMER.

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान

अजमेर

विषय: महाविद्यालय से विष्कासित सिनिमर छात्रों द्वारा अपशब्द कहने एवं मारपीट की धमकी देने के संदर्भ में।

महोदय

सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके संस्थान में BSc BEd. 2nd yr. का छात्र हूँ।

महोदय शुक्रवार रात 6 जुलाई को लगभग 7:35 बजे जब मैं फौजेगाँवा की दुकान से अपने सहपाठी अंकित के साथ वापस आ रहा था। तब वहाँ चाम की दुकान पर बैठे आकाश चौधरी (BSc BEd. IV) और राशांक माधव (BA BEd. III) नामक दो छात्रों ने हमसे कुछ बातें पूछी जिनके बारे में हमें पता नहीं था। हमारे मना करने पर वे अपशब्दों व गालियों का प्रयोग करने लगे। एवं संस्थान परिसर में आकर मारपीट करने की धमकी देने लगे। एवं हमारे पास खड़े होकर धमकाने लगे। उनके इस रवैये से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे हमें शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

महोदय इन्होंने कई बार कई गालियों के साथ ऐसा किया है। इसीलिए महोदय में संस्थान में अखुरासित महसूस कर रहा हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उचित कारवाई करें।

धन्यवाद

भवदीय

अजय

BSc BEd 2nd yr.

APC(A)
Call the boys at
4.00 PM today, R.No. 5
दिनांक - 10 July 2018

The Principle

RIE Ajmer

10/7/2018

Sub. Undertaking of no future conflict.

Sir

Respectfully the matter among us is now settled and I, hereby, promise that I won't be engaged in such type of activity and now there remains no conflict among us.

Thank you,

Yours obediently

Akash Choudhary

B.Sc.B.Ed. IV Year.

Date- 10/7/18

Akash

To,
The Principal,
Regional Institute of Education,
Ajmer, Rajasthan.
Date - 10/7/2018

Sir,

I Shashank Yadav of B.A.B.Ed Part III
assure the students of B.A.B.Ed Part II and
BSC B.Ed Part II that I will never do
any harm to them. And I also assure
the teachers that no further complain
against ^{me} will be done regarding to
misbehaviour. Sorry for earlier misbehaviour.

Thank You,
Shashank Yadav
B.A.B.Ed Part II


सेवा में
 प्राचार्य
 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
 अजमेर, राजस्थान

विषय: भविष्य में अपनी तरफ से कोई अपराध न करने
 का आश्वासन

महोदय

सविनय निवेदन यह है कि मैं भविष्य में
 कोई भी लड़ाई-झगड़े या मारपीट के संबंध में
 अपना नाम नहीं रखूंगा। और न ही आगे से
 कोई गलत कदम उठाऊंगा जिससे संस्थान को
 कोई नुकसान हो। और किसी ऐसे मामले की
 जानकारी में सर्वप्रथम आपको दूंगा बजाय कि
 अन्य रास्ते अपनाने के।

सधन्यवाद

आपका शिष्य

शिवराज

बी.ए. बी.एड. द्वितीय वर्ष

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर

दिनांक - 10-07-2018

सेवा में
प्राचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान आज़मगढ़

251

विषय:- आपसी मतभेद के खतम करने हेतु।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके संस्थान में बी०ए० बी०एड० द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ।

महोदय हमारे आकाश चौधरी (BSc&Ed. Third year) एवं रंजिता यादव (BA&Ed. Third year) के साथ झगड़े को लेकर मतभेद पैदा हो गए हैं।

कॉलेज प्रशासन और इन दोनों के साथ मैं झगड़ा न करने का आश्वस्त करने के बाद हमारे बीच कोई मनमुटाव अब नहीं है। हम सभी आपस में भाई-बंधुओं की तरह रहेंगे और मैं भविष्य में ऐसी शिकायत का भौका न देने हेतु आश्वस्त करता हूँ।

मैं कॉलेज प्रशासन का बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ।

धन्यवाद।

भवदीय,
अंकित कुमार
बी०ए० बी०एड०
द्वितीय वर्ष

सेवा में,

प्रान्छाथ

कैतरीय शिखा संस्थान,

अजमेर,

विषय: सौहार्द के साथ रहने हेतु
श्री मात्र जी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके
संस्थान में BSc BEd IInd yr का छात्र हूँ।

मैं आज 10 जुलाई 2018 को आपको यह
आश्वासन देता हूँ कि मैं सभी छात्रों व
छात्राओं के सौहार्द व मित्रता पूर्ण व्यवहार
करूंगा। आज से पहले आकाश चौधरी (BSc BEd Ist yr)
व राशांक यादव (BA BEd IIIrd yr) के साथ
जो भी मनमुटाव व विरोध हुआ था। उनको
भरवा कर मैं आपको व कॉलेज प्रशासन को
आश्वासन देता हूँ कि आगे से कोई शिकायत
का मौका नहीं दूंगा। मैं कॉलेज प्रशासन का
अन्यथापन करता हूँ कि उन्होंने हमारा सहयोग किया।

भवदीय

अजय (BSc BEd IInd yr)

दिनांक 10 July 2018.

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

(अकादमिक शाखा)

क्रमांक : 9-बी-65 / प्रो.बो. / 2018-19 /

दिनांक : 12.09.2018

दिनांक 12.09.2018 दोपहर 3:00 बजे कक्ष संख्या 50 में प्रोक्टोरियल बोर्ड की एक अत्यंत आवश्यक बैठक का आयोजन रखा गया है। समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार उपस्थित होने का श्रम करें:-

1. अधिष्ठाता
2. डीन (रीसर्च)
3. समस्त विभागाध्यक्ष (DESM, DE, DEE, DESSH)
4. चीफ वॉर्डन
5. छात्र सलाहकार
6. एन.सी.सी. अधिकारी
7. इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
8. वार्डन सभी छात्रावास
9. स.का.स. (अ)

Handwritten signature
12.9

Handwritten signature
11/09/18

Handwritten signature
12/09/18

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
12.9.18

Handwritten signature
12/9/18

Handwritten signature
12/9/18

स.का.स. (अ)

24	8024	Ms.	Megha Sharma		
25	8025		Narender Kumar		
26	8026	Ms.	Nirmala Dalal		
27	8027	Ms.	Nitika Sharma		
28	8028		Paritosh Srivastava		
29	8029	Ms.	Pooja		
30	8030	Ms.	Preeti Pandey		
31	8031	Ms.	Priyanka Khandelwal		
32	8032	Ms.	Priyanka Tomar		
33	8033	Ms.	Ragini Kumari		
34	8034		Rahul Dev Rai		
35	8035		Rajendra Singh Shekhawat		
36	8036	Ms.	Retambhara Khangarot		
37	8037	Ms.	Richa Tulshyan		
38	8038	Ms.	Rupali Ruhela		
39	8039	Ms.	Saloni Jangid		
40	8040	Ms.	Shaivi Pandey		
41	8041	Ms.	Shivani Sharma		
42	8042	Ms.	Surabhi Lodha		
43	8043	Ms.	Tarannum Khan		
44	8044	Ms.	Tejaswi Pareek		
45	8045	Ms.	Vagisha Shekhawat		
46	8046	Ms.	Vasundha Nahar		
47	8047		Vinay Kumar		

कार्यालय टिप्पणी
अनुशासनात्मक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 12.9.2018 को दोपहर 3:00 बजे कक्ष संख्या 50 में अनुशासनात्मक मंडल की बैठक प्रो. जे.पी. बागची, अधिष्ठाता महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए।

1. प्रो. एस.वी. शर्मा, विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एम.
2. प्रो. के.बी. रथ, कार्यवाहक विभागाध्यक्ष, डी.ई.
3. प्रो. राजेश मिश्र, कार्यवाहक विभागाध्यक्ष, डी.ई.ई.
4. डॉ. अल्बर्ट होरो, विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एस.एच. एवं छात्र सलाहकार
5. डॉ. ए.के. नैनावत, एन.सी.सी. अधिकारी
6. श्री के.सी. मीणा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
7. डॉ. इंदु शर्मा, वार्डन राणाप्रताप छात्रावास
8. डॉ. ओ.पी.मीणा, वार्डन तिलक छात्रावास एवं कार्यवाहक मुख्य वार्डन
9. प्रो. पी.के. चौरसिया, इंचार्ज रणजीत गेस्ट हाऊस
10. डॉ. कनक शर्मा, असिस्टेंट वार्डन राणाप्रताप छात्रावास
11. डॉ. कुमुद पाण्डे, असिस्टेंट वार्डन राणाप्रताप छात्रावास
12. श्रीमती कल्पना के., असिस्टेंट वार्डन शिवाजी छात्रावास
13. सुश्री निर्मल तँवर, असिस्टेंट वार्डन शिवाजी छात्रावास
14. सुश्री अफशान नाज काजी, असिस्टेंट वार्डन लक्ष्मीबाई छात्रावास
15. श्री विजय यादव, असिस्टेंट वार्डन तिलक छात्रावास
16. श्री कं.के. शर्मा, ए.पी.सी. (डी)

छात्रावास में अनुशासनहीनता के सम्बन्ध में हुए प्रकरण के बारे में विचार कर बैठक में अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से निम्न अनुशांषा की गई -

1. कु. ज्योति शाह, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष के छात्रावास में गत सत्र व वर्तमान सत्र में रहने के तौर तरीके से परेशान छात्राओं द्वारा लिखित में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर एवं वार्डन/असिस्टेंट वार्डन के द्वारा समय-समय पर समझाने के बावजूद उनके व्यवहार में परिवर्तन न होने के कारण उनके पिताजी को बुलाया गया था। उनके पिताजी की सहमति के आधार पर अब कु. ज्योति शाह छात्रावास में न रहकर संस्थान के बाहर कमरा लेकर परिवार के सदस्य के साथ रहेंगी। साथ ही कक्षाएं बराबर अटेंड करेंगी।
2. कु. स्मृति तिवारी, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष का छात्रावास में अनुशासन ठीक नहीं है। कुछ कहने पर वार्डन/असिस्टेंट वार्डन, लेडी गार्ड एवं मैस संचालक व उनके सहकर्मियों के साथ अनुशासनहीनता करती है। इसके अतिरिक्त धमकियाँ देती है। इस तरह के तौर तरीके से परेशान होकर उसके पिताजी को बुलाया गया व सभी प्रकरणों से अवगत कराया गया। पिताजी के द्वारा एवं कु. स्मृति तिवारी के द्वारा दिए गए रु.50/- के स्टाम्प पेपर पर लिखित आश्वासन दिया गया कि वह भविष्य में अनुशासन बनाए रखेगी साथ ही की गई गलतियों के लिए माफी माँगते हुए पिताजी ने निवेदन किया कि छात्रा को छात्रावास में रहने दिया जाए। इस आधार पर छात्रा कु. स्मृति तिवारी को छात्रावास में रहने हेतु एक और अवसर दिया जा सकता है। * इसके अतिरिक्त छात्रा के पिताजी ने वार्डन महोदय से कहा है कि छात्रा (पुत्री) को संस्थान में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त छात्रावास से बाहर नहीं जाने दिया जाए। यदि किसी सामान इत्यादि की आवश्यकता हो तो संस्थान के सहकर्मी या इसके साथियों से मंगवा दिया जाए। * *Signature*
3. कु. श्रेया, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष का छात्रावास से अक्सर 2-3 दिन का अवकाश बीमारी के संबंध में लेकर अपने निवास स्थान जाती रहती है। फिर आने का कोई समय नहीं होता। एक-एक महीने तक बिना सूचना के वापस नहीं आती है। कुछ कहने पर वार्डन/असिस्टेंट वार्डन के साथ अनुशासनहीनता करती है। इसके अतिरिक्त छात्रा में अनुशासन की कमी है। छात्रा से शपथ पत्र लेकर सुधरने का अवसर दिया जा सकता है। इस संबंध में छात्रा को चेतावनी पत्र जारी किया जा सकता है।

2044
01/10/18

अनुशासनात्मक मंडल से डॉ. ओ.पी.मीणा, वार्डन तिलक छात्रावास ने तिलक छात्रावास के संबंध में अपनी बात रखने की अनुमति लेते हुए निम्न बातें रखी:-

1. दिनांक 10.09.2018 को रात्रि 8:15 बजे अचानक तिलक छात्रावास का निरीक्षण करने श्री विजय यादव, असिस्टेंट वार्डन एवं श्री दिनेश चन्द्र जाँगिड़, छात्रावास लिपिक के साथ पहुंचे। सभी विंग्स में राउण्ड के दौरान बी.एससी.बी.एड. तृतीय वर्ष की विंग में पहुंचे तो देखा कि छात्रों ने अपने-अपने कमरों से कूड़ा निकालकर बाहर बरामदे में फैला दिया जिससे एक स्वच्छ बरामदा गंदगी में तबदील हो गया। जिसे देखते ही फोटो लिया गया जो कि प्रस्तुत किया जा सकता है। इस संबंध में इस विंग के छात्रों पर आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।
2. दिनांक 11.09.2018 को रात्रि 10:30 बजे 10:00 बजे की ड्यूटी पर आए गार्ड द्वारा राउण्ड के दौरान बी.एससी.बी.एड. तृतीय वर्ष की विंग में स्थित वाशरूम का 5-7 दिन पूर्व लगाया गया दरवाजा तोड़ हुआ पाया गया। चूंकि इस वाशरूम में कुछ लीकेज होने के कारण सीमेंट से ठीक कराया गया था, इस कारण इसे सीमेंट के सूखने तक छात्रों के संज्ञान में लाते हुए एक रात के लिए ताला लगाकर बंद किया गया था। लेकिन रात में छात्रों द्वारा दरवाजा तोड़ दिया गया। इस संबंध में इस विंग के छात्रों से दरवाजे की कीमत वसूल की जानी चाहिए।
3. दिनांक 11.09.2018 को सांय 7:30 बजे पूर्व छात्र परिचय यादव बिना अनुमति के तिलक छात्रावास में रुकने के लिए आया था। जिसे गार्ड श्री प्रकाश कुमार ने मना किया। इस संबंध में गार्ड ने छात्रावास क्लर्क श्री दिनेश जाँगिड़ एवं वार्डन डॉ. ओ.पी. मीणा जी से बताया तो उनके द्वारा भी मना कर दिया गया था। इसी दौरान अन्य एम.एड. प्रथम वर्ष का छात्र गौतम जो कि पहले से वहां बैठा था और यह सब देख रहा था, यह कहते हुए कि परिचय यादव मेरे साथ रूम में रुकेगा अपने साथ बिना एन्ट्री के ले गया साथ ही गार्ड से बदतमिजी करने लगा। गौतम वह छात्र है जिसे गत सत्र 2017-18 में बी.एड. करने के दौरान वार्डन डॉ. ओ.पी. मीणा जी से रात्री में राउण्ड लेने के समय अन्य छात्रों के बीच में अभद्र व्यवहार करने पर वार्डन द्वारा शिकायत की गई जिसे अनुशासनात्मक मंडल ने गंभीरता से लेते हुए छात्रावास से निष्काषित किया गया था। इस संबंध में छात्र गौतम को भविष्य में छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने के संबंध में चेतावनी पत्र जारी किया जा सकता है। साथ ही पत्र में यह भी लिखा जाए कि अनुशासन भंग करने पर छात्रावास से निष्काषित किया जा सकता है।

तिलक छात्रावास के संबंध में अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई कि बी. एससी.बी.एड. तृतीय वर्ष की विंग में छात्रों द्वारा की गई गंदगी हेतु बतौर जुर्माना एवं वाशरूम के दरवाजे को तोड़ने के कारण दरवाजे की कीमत CPWD से मालूम कर इस विंग में रह रहे छात्रों से वसूली जाए।

(प्रो. जे.पी. बागची) 24/9/18
 (प्रो. एस.वी. शर्मा) 24/9/18
 (प्रो. के.बी. रथ)
 (प्रो. राजेश मिश्र) 24/9/18
 (डॉ. अल्बर्ट होरो) 27/9/18
 (डॉ. ए.के. नैनावत)
 (श्री के.सी. मीणा)
 (डॉ. इंदु शर्मा)
 (डॉ. ओ.पी.मीणा)
 (प्रो. पी.के. चौधरी)
 (डॉ. कनक शर्मा) 27/9/18
 (डॉ. कुमुद पाण्डे) 27/9/18
 (श्रीमती कल्पना के.)
 (सुश्री निर्मल तेंवर)
 (सुश्री अफ़शान नाज काजी) 27/9/18
 (श्री विजय यादव) 27-09-18
 (श्री के.के. शर्मा) 27/9/18

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्राचार्य
 Approved
 3/10/18

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर (अकादमिक शाखा)

क्र.एफ.9-बी-65/प्रो. बो. /2018-19/

दिनांक : 03.10.2018

सूचना

अधिष्ठाता महोदय के मौखिक आदेशानुसार आज दिनांक 03.10.2018 को दोपहर 3:30 बजे कक्ष संख्या 50 में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन रखा गया है। समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार उपस्थित होने का श्रम करें :-

- 1 अधिष्ठाता
- 2 डीन (रीसर्च)
- 3 सभी अध्यक्ष, (डी.ई.एस.एम., डी.ई., डी.ई.ई., डी.ई.एस.एस.एच.)
- 4 मुख्य वार्डन
- 5 छात्र सलाहकार
- 6 एन.सी.सी. अधिकारी
- 7 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
- 8 वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
- 9 स.का.स. (अ)

(3/10/18)
स.का.स. (अ)

दिनांक 03.10.2018 को दोपहर 3:30 बजे कक्ष संख्या 50 में अनुशासनात्मक मंडल की बैठक प्रो. जे.पी. बागची, अधिष्ठाता महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए।

1. प्रो. एस.वी. शर्मा, विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एम.
2. प्रो. के. चन्द्रशेखर, विभागाध्यक्ष, डी.ई.
3. प्रो. वी.पी. सिंह, विभागाध्यक्ष, डी.ई.ई.
4. डॉ. अल्बर्ट होरो, विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एस.एच. एवं छात्र सलाहकार
5. डॉ. रामनिवास, चीफ वार्डन
6. डॉ. ए.के. नैनावत, एन.सी.सी. अधिकारी
7. श्री के.सी. मीणा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
8. डॉ. ओ.पी.मीणा, वार्डन तिलक छात्रावास
9. श्री के.के. शर्मा, ए.पी.सी. (अ)

बैठक में तीन छात्रों 1. अतुल प्रताप सिंह, 2. शशांक यादव एवं 3. पुनीत शर्मा, समस्त बी.ए. बी. एड. तृतीय वर्ष के छात्रों से कॉलेज के अन्तर्सदनीय चुनाव में भाग लेने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र पर चर्चा की गई। सभी तीनों छात्रों को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनसे बात की गई। तीनों ही छात्रों ने मौखिक एवं लिखित में आश्वासन दिया कि उन्हें संस्थान की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है तो वे भविष्य में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे एवं संस्थान के नियमों की पालना करेंगे। यदि वे छात्र किसी भी अनुशासनहीनता की कार्यवाही में लिप्त पाये जाते हैं तो संस्थान उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकता है।

अनुशासनात्मक मण्डल ने छात्रों के मौखिक एवं लिखित आश्वासन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और इन छात्रों पर लगे गत वर्ष के प्रतिबंधों में से निम्न छूट देने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया:-

1. ये तीनों छात्र अन्तर्सदनीय खेलकूद, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों आदि में भाग ले सकते हैं।
2. उक्त तीनों छात्रों का छात्रावासों में प्रवेश पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेगा।
3. यह आदेश उक्त छात्रों द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता संज्ञान में आते ही निरस्त किया जा सकता है।

(प्रो. जे.पी. बागची) 3.10.18 (प्रो. एस.वी. शर्मा) 31/10/18 (प्रो. के. चन्द्रशेखर) 31/10/18 (प्रो. वी.पी. सिंह) 31/10/18 (डॉ. अल्बर्ट होरो) 31/10/18
(डॉ. रामनिवास) 3.10.18 (डॉ. ए.के. नैनावत) 31/10/18 (श्री के.सी. मीणा) 31/10/18 (डॉ. ओ.पी.मीणा) 31/10/18 (श्री के.के. शर्मा) 31/10/18

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

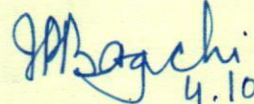
प्राचार्य Approved
G. V. Swastika
31/10/18

APC-D 31/10/18
205

N/26 पर दी गई अनुमति पश्चात् जारी किये जाने वाला कार्यालय आदेश हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।


4.10.18

स.का.स. (अ) 1.10.18

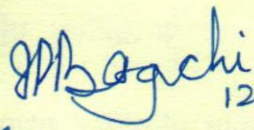
अधिष्ठाता 
4.10.18

APC (A)

पिछले पृष्ठ एन/24-25 पर प्राचार्य महोदय द्वारा दी गई अनुमति पश्चात् जारी किये जाने वाले कार्यालय आदेश हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।


12/11/18

स.का.स. (अ) अनकाश पर

अधिष्ठाता 
12/11/18

Sri Dineshjee

28/11

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2018-19/547/4167-83

5 OCT 2018
दिनांक : 04.10.2018
25

कार्यालय आदेश

संस्थान के पूर्व कार्यालय आदेश क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2017-18/3160-3182/3438-3444 दिनांक 08.09.2017 के संदर्भ में बी.ए. बी.एड. तृतीय वर्ष के तीन छात्रों 1. अतुल प्रताप सिंह, 2. शशांक यादव एवं 3. पुनीत शर्मा से संस्थान के अन्तर्सदनीय चुनाव में भाग लेने हेतु कल दिनांक 03.10.2018 को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। तीनों छात्रों को व्यक्तिगत रूप से बैठक में बुलाकर सक्षम अधिकारियों द्वारा उनसे बात की गई। तीनों ही छात्रों ने मौखिक एवं लिखित में आश्वासन किया कि उन्हें संस्थान की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है तो वे भविष्य में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे एवं संस्थान के नियमों की पालना करेंगे। यदि ये छात्र किसी भी अनुशासनहीनता की कार्यवाही में लिप्त पाये जाते हैं तो संस्थान प्रशासन इनके विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकता है।

संस्थान प्रशासन ने छात्रों के मौखिक एवं लिखित आश्वासन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और इन छात्रों पर लगे गत वर्ष के प्रतिबंधों में से निम्न छूट देने का निर्णय किया:-

1. ये तीनों छात्र अन्तर्सदनीय खेलकूद, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों आदि में भाग ले सकते हैं।
2. उक्त तीनों छात्रों का छात्रावासों में प्रवेश पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेगा।
3. यह आदेश उक्त छात्रों द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता संज्ञान में आते ही निरस्त किया जा सकता है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

प्रतिलिपी:-

1. विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम./डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एस.एच.
2. छात्र सलाहकार
3. एन.सी.सी. अधिकारी
4. मुख्य वार्डन
5. सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
6. इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
7. स.का.स. (प्राचार्य)
8. सुरक्षा पर्यवेक्षक
9. संबंधित छात्र
10. सूचना पट्ट - संस्थान/छात्रावास

JP Singh
अधिष्ठाता
9/10/18

285

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2018-19/549/

दिनांक : 04.10.2018
65

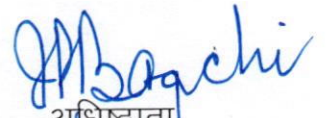
कार्यालय आदेश

संस्थान के पूर्व कार्यालय आदेश क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2017-18/3160-3182/3438-3444 दिनांक 08.09.2017 के संदर्भ में बी.ए. बी.एड. तृतीय वर्ष के तीन छात्रों 1. अतुल प्रताप सिंह, 2. शशांक यादव एवं 3. पुनीत शर्मा से संस्थान के अन्तर्सदनीय चुनाव में भाग लेने हेतु कल दिनांक 03.10.2018 को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। तीनों छात्रों को व्यक्तिगत रूप से बैठक में बुलाकर सक्षम अधिकारियों द्वारा उनसे बात की गई। तीनों ही छात्रों ने मौखिक एवं लिखित में आश्वासन दिया कि उन्हें संस्थान की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है तो वे भविष्य में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे एवं संस्थान के नियमों की पालना करेंगे। यदि ये छात्र किसी भी अनुशासनहीनता की कार्यवाही में लिप्त पाये जाते हैं तो संस्थान प्रशासन इनके विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकता है।

संस्थान प्रशासन ने छात्रों के मौखिक एवं लिखित आश्वासन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और इन छात्रों पर लगे गत वर्ष के प्रतिबंधों में से निम्न छूट देने का निर्णय किया:-

1. ये तीनों छात्र अन्तर्सदनीय खेलकूद, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों आदि में भाग ले सकते हैं।
2. उक्त तीनों छात्रों का छात्रावासों में प्रवेश पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेगा।
3. यह आदेश उक्त छात्रों द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता संज्ञान में आते ही निरस्त किया जा सकता है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।


अधिष्ठाता

प्रतिलिपी:-

1. विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम./डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एस.एच.
2. छात्र सलाहकार
3. एन.सी.सी. अधिकारी
4. मुख्य वार्डन
5. सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
6. इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
7. स.का.स. (प्राचार्य)
8. सुरक्षा पर्यवेक्षक
9. संबंधित छात्र
10. सूचना पट्ट - संस्थान/छात्रावास

296

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

4740-4754

क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2018-19/690-691

दिनांक : 12.11.2018

13 NOV 2018

कार्यालय आदेश

आपकी पुत्री ज्योति शाह, बी.ए. बी.एड. तृतीय वर्ष द्वारा छात्रावास में किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में आपको अवगत कराया गया था जिस पर आप द्वारा निर्णय लिया गया कि पुत्री छात्रावास में ना रहकर संस्थान के बाहर कमरा लेकर परिवार के सदस्य के साथ रहेगी।

अतः अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति के निर्णयानुसार आपको सूचित किया जाता है कि आपकी पुत्री के रहने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसके साथ-साथ वह कक्षाओं में अपनी उपस्थिति बराबर दर्ज करे इस संबंध में आपको बराबर निगरानी रखनी होगी।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

Shri Jagdish Shah,
SMQ N-44, Ganga Complex,
Subroto Park,
New Delhi - 110077

J. Bagchi
अधिष्ठाता
13/11/18

प्रतिलिपी:-

1. अधिष्ठाता (शोध) **13/11**
2. विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम./डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एस.एच. **13/11/18**
3. छात्र सलाहकार **13/11**
4. एन.सी.सी. अधिकारी **13/11**
5. मुख्य वार्डन **13/11**
6. सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
7. इंचार्ज शारीरिक शिक्षा **13/11**
8. निजी सहायक (प्राचार्य) **13/11**
9. सुरक्षा पर्यवेक्षक **13/11**
10. संबंधित छात्रा Miss Jyoti Shah, B.A.B.Ed. 3rd Year, R.I.E., Ajmer
11. संबंधित छात्रा की व्यक्तिगत पंजीका
12. सूचना पट्ट - संस्थान/छात्रावास

Encl
13/11

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

4725-4739

क्र.पा. 9-बी-65/प्रो.बो./2018-19/696-97

दिनांक : 12.11.2018

13 NOV 2018

कार्यालय आदेश

आपकी पुत्री स्मृति तिवारी, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष के द्वारा छात्रावास में किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में आपको अवगत कराया गया था। अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति के निर्णयानुसार आपके द्वारा दिए गए स्टाम्प पेपर पर लिखित आश्वासन पर आपकी पुत्री को छात्रावास में रहने की अनुमति दी जाती है। इसके साथ-साथ वह कक्षाओं में अपनी उपस्थिति बराबर दर्ज करे।

साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि फिर से आपकी पुत्री ने छात्रावास में अनुशासन भंग किया तो तुरन्त प्रभाव से छात्रावास से निष्काषित कर दिया जाएगा।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

M. Soguchi
अधिष्ठाता
12/11

Shri Vinod Tiwari,
1954/3, Keshav Nagar.,
Mauli Nagar, Shelar,
Bhiwandi - 421302
Distt.: Thane (Maharashtra)

प्रतिलिपी:-

1. अधिष्ठाता (शोध) *13/11*
2. विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम./डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एस.एच. *13/11/18*
3. छात्र सलाहकार
4. एन.सी.सी. अधिकारी *13/11*
5. मुख्य वार्डन *13.11.18*
6. सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
7. इंचार्ज शारीरिक शिक्षा *धारासिंह*
8. निजी सहायक (प्राचार्य) *13/11*
9. सुरक्षा पर्यवेक्षक *13/11*
10. संबंधित छात्र Miss Smriti Vinod Tiwari, B.A.B.Ed. 3rd Year, R.I.E., Ajmer *Smriti*
11. संबंधित छात्रा की व्यक्तिगत पंजीका
12. सूचना पट्ट - संस्थान/छात्रावास

288

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

4755-4769

क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2018-19/694-95

दिनांक : 12.11.2018

13 NOV 2018

चेतावनी-पत्र

अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति के निर्णयानुसार छात्रा कु. श्रेया, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष को संस्थान एवं छात्रावास से 2-3 दिन के अवकाश स्वीकृति पश्चात् निवास स्थान से एक-एक महीने तक बिना सूचना के वापस नहीं आने एवं वार्डन/असिस्टेंट वार्डन के साथ अनुशासनहीनता के संबंध में छात्रा को भविष्य के लिये चेतावनी दी जाती है कि यदि संस्थान एवं छात्रावास में व्यवस्था अथवा शान्ति भंग करने का प्रयास किया तो उनके प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी व इसका उल्लेख उसके चरित्र प्रमाण-पत्र में भी किया जा सकता है।

छात्रा को अनुशासन बनाये रखने के संबंध में रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि " यदि मेरे द्वारा भविष्य में कोई भी अनुशासनहीनता की जाती है या मैं किसी भी रूप में अनुशासनहीनता जैसे कृत्य में लिप्त पायी जाती हूँ तो संस्थान प्रशासन का निर्णय (अभिभावकों को बिना पूर्व सूचना के) मुझे मान्य होगा "। इस शपथ पत्र पर माता/पिता के प्रति-हस्ताक्षर (counter sign) भी आवश्यक हैं।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

Miss Shreya,
B.A.B.Ed. 3rd Year,
R.I.E., Ajmer

प्रतिलिपी:-

1. अधिष्ठाता (शोध)
2. विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एन./डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एस.एच
3. छात्र सलाहकार
4. एन.सी.सी. अधिकारी
5. मुख्य वार्डन
6. सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
7. इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
8. निजी सहायक (प्राचार्य)
9. सुरक्षा पर्यवेक्षक
10. संबंधित छात्रा के अभिभावक Shri Jainendra Jenu, D-8/S-6, Shikhar Appartment, Dilshad Colony, Delhi-110095
11. संबंधित छात्रा की व्यक्तिगत पंजीका
12. सूचना पट्ट - संस्थान/छात्रावास

14/11

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)
4710-4724

क्र.पा. 9-बी-65/प्रो.बो./2018-19/689

दिनांक : 12.11.2018

कार्यालय आदेश

13 NOV 2018

तिलक छात्रावास में दिनांक 10.09.2018 को रात्रि 8:15 बजे अचानक निरीक्षण के दौरान पाया कि बी.एस.सी. बी.एड. तृतीय वर्ष के छात्रों ने अपने-अपने कमरों से कूड़ा निकालकर बाहर बरामदे में फैला दिया। जिसके कारण स्वच्छ बरामदा गंदा हो गया।

इसी क्रम में तिलक छात्रावास के सभी छात्रों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने-अपने कमरों को साफ रखें तथा विंग व आस-पास की सभी जगहों को साफ सुथरा रखने में योगदान दें अन्यथा संस्थान व छात्रावास के नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

प्रतिलिपी:-

1. अधिष्ठाता (शोध) *[Signature]* 13/11/18
2. विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम./डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एस.एच. *[Signature]* 13/11/18
3. छात्र सलाहकार *[Signature]* 13/11/18
4. एन.सी.सी. अधिकारी *[Signature]* 13/11/18
5. मुख्य वार्डन *[Signature]* 13/11/18
6. सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
7. इंचार्ज शारीरिक शिक्षा *[Signature]* 13/11/18
8. निजी सहायक (प्राचार्य) *[Signature]* 13/11/18
9. सुरक्षा पर्यवेक्षक *[Signature]* 13/11/18
10. सूचना पट्ट - संस्थान/छात्रावास

[Signature]
14/11

[Signature]
अधिष्ठाता

[Signature]
12/11

288
290

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

क्र.फा. 9-बी-65/प्रो.बो./2018-19/698/ 4785

दिनांक : 12.11.2018

कार्यालय आदेश

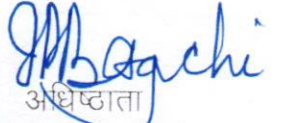
11 3 NOV 2018

तिलक छात्रावास में दिनांक 11.09.2018 को रात्रि 10:30 बजे गार्ड द्वारा राउण्ड के दौरान पाया कि बी.एससी. बी.एड. तृतीय वर्ष की विंग में स्थित वाशरूम में लगाया गया नया दरवाजा छात्रों द्वारा तोड़ दिया गया। छात्रों से जानकारी लेने पर बताने से मना कर दिया।

अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति के निर्णयानुसार उक्त नए दरवाजे की कीमत छात्रों से वसूली जानी है। अतः अनुभाग अधिकारी (परिसर एवं कल्याण शाखा) से आग्रह है कि वे CPWD से इस नए दरवाजे की कीमत लिखित में ज्ञात कर अकादमिक शाखा को अवगत कराने का श्रम करें, जिससे उक्त राशि छात्रों से वसूली जा सके।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी (परिसर एवं कल्याण शाखा)
क्षे.शि.सं., अजमेर


अधिष्ठाता
9/11/18

२८९
२९१
१

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

५७७०-५७८५

क्र.फा. ९-बी-६५/प्रो.बो./२०१८-१९/६५२-६९३

दिनांक : 12.11.2018

चेतावनी-पत्र

13 NOV 2018

अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति के निर्णयानुसार छात्र गौतम, एम.एड. प्रथम वर्ष को छात्रावास में दिनांक 11.09.2018 को सांय 7:30 बजे पूर्व छात्र को बिना अनुमति के अपने रूम में रोकने एवं स्टाफ के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के कारण छात्रावास में नियमानुसार व अनुशासन में रहने की हिदायत दी जाती है।

छात्र को अनुशासनहीनता के संबंध में भविष्य के लिये चेतावनी दी जाती है कि यदि संस्थान एवं छात्रावास में व्यवस्था अथवा शान्ति भंग करने का प्रयास किया तो उनके प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी व इसका उल्लेख उसके चरित्र प्रमाण-पत्र में भी किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

Gautam,
M.Ed. 1st Year,
R.I.E., Ajmer

गौतम कुमार

अधिष्ठाता
13/11/18

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता (शोध) 13/11
2. विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम./डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एस.एच. 13/11
3. छात्र सलाहकार 13/11
4. एन.सी.सी. अधिकारी 13/11/18
5. मुख्य वार्डन 13/11
6. सभी वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
7. इंचार्ज शारीरिक शिक्षा 13/11/18
8. निजी सहायक (प्राचार्य) 13/11/18
9. सुरक्षा पर्यवेक्षक 13/11/18
10. संबंधित छात्र के अभिभावक Shri Ram Raj Verma, Masood Nagar, Basthanwa, Bahraich (U.P.) 271882
11. संबंधित छात्र की व्यक्तिगत पंजीका
12. सूचना पट्ट - संस्थान/छात्रावास

13/11

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

क्र.एफ.9-बी-65/प्रो. बो./2018-19/

दिनांक : 06.02.2019

सूचना

अधिष्ठाता महोदय के मौखिक आदेशानुसार दिनांक 07.02.2019 को प्रातः 10:30 बजे प्राचार्य कक्ष में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन रखा गया है। समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थित होने का श्रम करें :-

- 1 अधिष्ठाता
- 2 डीन (रीसर्च)
- 3 सभी अध्यक्ष, (डी.ई.एस.एम., डी.ई., डी.ई.ई., डी.ई.एस.एस.एच.)
- 4 मुख्य वार्डन
- 5 छात्र सलाहकार
- 6 एन.सी.सी. अधिकारी
- 7 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
- 8 वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
- 9 स.का.स. (अ)

6/2
स.का.स. (अ)

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

क्र.एफ.9-बी-65/प्रो. बो./2018-19/

दिनांक : 06.02.2019

सूचना

अधिष्ठाता महोदय के मौखिक आदेशानुसार दिनांक 07.02.2019 को प्रातः 10:30 बजे प्राचार्य कक्ष में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन रखा गया है। समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थित होने का श्रम करें :-

- 1 अधिष्ठाता
- 2 डीन (रीसर्च)
- 3 सभी अध्यक्ष, (डी.ई.एस.एम., डी.ई., डी.ई.ई., डी.ई.एस.एस.एच.)
- 4 मुख्य वार्डन
- 5 छात्र सलाहकार
- 6 एन.सी.सी. अधिकारी
- 7 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
- 8 वार्डन, (राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तिलक)
- 9 स.का.स. (अ)

6/2
स.का.स. (अ)

6/2/19
DG

अनुशासनात्मक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 07.02.2019 को प्रातः 10:30 बजे कक्ष संख्या 50 में अनुशासनात्मक मंडल की बैठक प्रो. जे.पी. बागची, अधिष्ठाता महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए।

1. प्रो. नागेन्द्र सिंह, डीन रिसर्च
2. प्रो. एस.वी. शर्मा, विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एम.
3. प्रो. के. चन्द्रशेखर, विभागाध्यक्ष, डी.ई.
4. डॉ. अल्बर्ट होरो, विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एस.एच. एवं छात्र सलाहकार
5. डॉ. रामनिवास, चीफ वार्डन
6. डॉ. ए.के. नैनावत, एन.सी.सी. अधिकारी
7. श्री के.सी. मीणा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
8. डॉ. ओ.पी.मीणा, वार्डन तिलक छात्रावास
9. डॉ. इंदू शर्मा, वार्डन राणाप्रताप छात्रावास
10. प्रो. राजेश मिश्र, 1/c विभागाध्यक्ष डी.ई.ई.

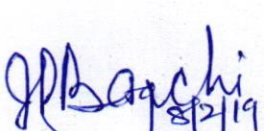
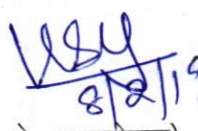
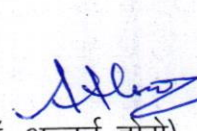
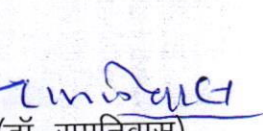
निम्नलिखित उपस्थित नहीं हुए :-

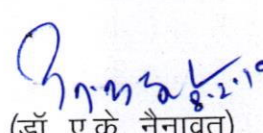
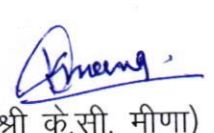
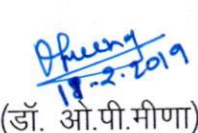
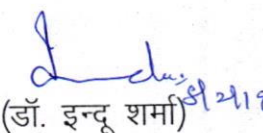
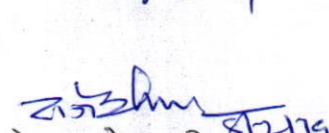
1. प्रो. वी.पी. सिंह, विभागाध्यक्ष, डी.ई.ई.
2. डॉ. इश्वंत कौर, वार्डन शिवाजी छात्रावास
3. डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी, वार्डन लक्ष्मीबाई छात्रावास
4. श्री के.के. शर्मा, ए.पी.सी. (अ)

बैठक में आरोप लगाने वाले छात्र कमलेश, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष, छात्र सिद्धार्थ कुमार सिंह, बी.एससी.बी.एड. द्वितीय वर्ष एवं छात्र चन्द्रप्रकाश गोयल, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष एवं जिन पर आरोप लगाया गया उन सभी छात्रों सिद्धार्थ, शशांक यादव, अतुल प्रताप सिंह, सोरभ सुबरोज, अतिम कुमार रंजन, चन्द्रप्रकाश, अंकित सिमर, सत्यम, मृदुल, सिद्धार्थ, शशांक गोतम एवं अजय जांगरा व अन्य को बुलाया गया एवं सभी से हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर पूछताछ की गई।

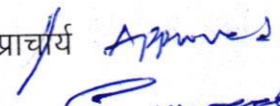
पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हुई कि छात्रों में आपसी मनमुटाव के कारण कहासुनी एवं मारपीट हुई थी। आरोपी छात्रों ने अनुशासनात्मक मंडल के सम्मुख लिखित में वचन दिया कि हम भविष्य में किसी गलत गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और जो नुकसान हुआ है उसका हम आपस में मिलकर भुगतान कर देंगे। अब हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। अंत में सभी ने मिलकर एक दूसरे को गले लगाते हुए दोस्ती का वास्ता दिया एवं हम सभी मैत्रीभाव से रहेंगे।

अतः छात्रों के लिखित में दिये गये आश्वासन को मद्देनजर रखते हुए यह अनुसंधान की जाती है कि शिकायत को बंद कर दिया जाये।

 (प्रो. जे.पी. बागची)
  (प्रो. एस.वी. शर्मा)
  (प्रो. के. चन्द्रशेखर)
  (डॉ. अल्बर्ट होरो)
  (डॉ. रामनिवास)
 8-2-19

 (डॉ. ए.के. नैनावत)
  (श्री के.सी. मीणा)
  (डॉ. ओ.पी.मीणा)
  (डॉ. इन्दू शर्मा)
  (प्रो. राजेश मिश्र)
 8-2-19

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्राचार्य 
 11/2/19



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

पंजीक क्रमांक १-८-६५/१८/२०१९-१९

पृष्ठ संख्या

कार्यालय टिप्पणी

छात्र कमलेश, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष, छात्र सिद्धार्थ कुमार सिंह, बी.एससी.बी.एड. द्वितीय वर्ष एवं छात्र चन्द्रप्रकाश गोयल, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष ने अलग-अलग प्रार्थना पत्र दिनांक 05/06.02.2019 को प्रस्तुत किया है। जिसमें कमलेश ने सिद्धार्थ एवं अन्य छात्रों पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। छात्र सिद्धार्थ ने छात्र शशांक यादव, अतुल प्रताप सिंह, सोरभ सुबरोज, अतिम कुमार रंजन एवं चन्द्रप्रकाश के खिलाफ मारने पीटने का आरोप लगाया है। छात्र चन्द्रप्रकाश गोयल ने छात्र अंकित सिमर, सत्यम, मृदुल, सिद्धार्थ, शशांक गोतम एवं अजय जांगरा के खिलाफ मारने पीटने का आरोप लगाया है। अतः इन सभी ने उचित कार्यवाही की मांग की है।

उपरोक्त छात्रों के प्रार्थना पत्र पर अधिष्ठाता महोदय के आदेशानुसार दिनांक 07.02.2019 को प्रातः 10:30 बजे कक्ष संख्या 50 में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया जिसका कार्यवृत्त निम्नानुसार है:-

अनुशासनात्मक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 07.02.2019 को प्रातः 10:30 बजे कक्ष संख्या 50 में अनुशासनात्मक मंडल की बैठक प्रो. जे.पी. बागची, अधिष्ठाता महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए।

1. प्रो. नागेन्द्र सिंह, डीन रिसर्च
2. प्रो. एस.वी. शर्मा, विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एम.
3. प्रो. के. चन्द्रशेखर, विभागाध्यक्ष, डी.ई.
4. डॉ. अल्बर्ट होरो, विभागाध्यक्ष, डी.ई.एस.एस.एच. एवं छात्र सलाहकार
5. डॉ. रामनिवास, चीफ वार्डन
6. डॉ. ए.के. नैनावत, एन.सी.सी. अधिकारी
7. श्री के.सी. मीणा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
8. डॉ. ओ.पी.मीणा, वार्डन तिलक छात्रावास
9. डॉ. इंदू शर्मा, वार्डन राणाप्रताप छात्रावास
10. प्रो. राजेश मिश्रा 11/2 विभागाध्यक्ष डी.ई.ई. निम्नलिखित उपस्थित नहीं हुए:
1. प्रो. वी.पी. सिंह, विभागाध्यक्ष, डी.ई.ई.
2. डॉ. इश्वंत कौर, वार्डन शिवाजी छात्रावास
3. डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी, वार्डन लक्ष्मीबाई छात्रावास
4. श्री के.के. शर्मा, ए.पी.सी. (अ)

बैठक में आरोप लगाने वाले छात्र कमलेश, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष, छात्र सिद्धार्थ कुमार सिंह, बी.एससी.बी.एड. द्वितीय वर्ष एवं छात्र चन्द्रप्रकाश गोयल, बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष एवं जिन पर आरोप लगाया गया उन सभी छात्रों सिद्धार्थ, शशांक यादव, अतुल प्रताप सिंह, सोरभ सुबरोज, अतिम कुमार रंजन, चन्द्रप्रकाश, अंकित सिमर, सत्यम, मृदुल, सिद्धार्थ, शशांक गोतम एवं अजय जांगरा व अन्य को बुलाया गया एवं सभी से हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर पूछताछ की गई।

पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हुई कि छात्रों में आपसी मनमुटाव के कारण कहासुनी एवं मारपीट हुई थी। आरोपी छात्रों ने अनुशासनात्मक मंडल के सम्मुख लिखित में वचन दिया कि हम भविष्य में किसी गलत गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और जो नुकसान हुआ है उसका हम आपस में मिलकर भुगतान कर देंगे। अब हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। अंत में सभी ने मिलकर एक दूसरे को गले लगाते हुए दोस्ती का वास्ता दिया एवं हम सभी मैत्रीभाव से रहेंगे। अतः छात्रों के लिखित में दिये गये आश्वासन को मद्देनजर रखते हुए यह अनुसंशा की जाती है कि शिकायत को बंद कर दिया जाये।

उपरोक्तानुसार संलग्न कार्यवृत्त प्राचार्य महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

[Signature]
8/2/19

स.का.स.(अ) on leave

इंचार्ज अकादमिक शाखा

अधिष्ठाता

प्राचार्य

[Signature]
8/2/19

Approved

Dean of Institution

11/2/19

[Signature]
11/2/19

क.प.क.

APC (D)

दिनांक 7 फरवरी 2019 को अनुशासनात्मक मण्डल की बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त के अनुसार पिड़ित छात्र (सिद्धार्थ कुमार सिंह) को आज दिनांक तक तीनों आरोपी छात्रों (अमित कुमार रंजन, सौरभ सुबरोज एवं शशांक यादव) द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। पिड़ित छात्र द्वारा लिखित में कई बार अकादमिक शाखा में इस हेतु आवेदन भी किया गया। इस आधार पर आरोपी छात्रों को उनके मोबाइल पर वार्ता कर शाखा में बुलाया गया तो उन्होंने शीघ्र ही भुगतान करने की बात कही। इसके उपरांत दिनांक 17.05.2019 (शनिवार) को परीक्षा के दिन उक्त तीनों आरोपी छात्र अकादमिक शाखा में अधुरा भुगतान करने आये जिसे मैंने लेने से मना कर पूरी भुगतान राशि एक साथ लाने के लिए कहा। कल दिनांक 21.05.2019 को अंतिम परीक्षा दिवस तक छात्रों का इंतजार किया और वे इस बाबत नहीं लौटे।

अतः यदि अनुमति हो तो उनके माता-पिता को इस संबंध में सूचित कर दिया जाये कि यदि उक्त छात्रों द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो पीड़ित छात्र किसी भी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। इसके साथ-साथ संस्था स्तर पर भी कार्यवाही की जायेगी।

अनुमति हेतु प्रस्तुत है।

[Signature]
23/5/19

अ.अ. (अ.)

[Signature]
23/5

इंचार्ज, अकादमिक शाखा *on deputation*

अधिष्ठाता *[Signature]*
23/5/19

प्राचार्य *Approved*
[Signature]
23/5/19

Rs
13173
23/5/19

[Signature]
23/5/19

Dean 'A' *[Signature]*
24.5.19

अ. अ. (अ.)

[Signature]
24/5/19

उपरोक्त अनुमति अनुसार लिखा गया पत्र अनुमोदन एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है। *[Signature]*
24/5/19

[Signature]
24/5 अ.अ. (अ.)

इंचार्ज, अकादमिक शाखा *[Signature]*
24/5/19

अधिष्ठाता *[Signature]*
29.5.19
अ. अ. (अ.)

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

क्र.पा. 9-बी-65/प्रो.बो./2018-19/820-832

दिनांक : 29.05.2019

कार्यालय आदेश

12-9 MAY 2019

संस्थान के अनुशासनात्मक मंडल द्वारा दिनांक 07.02.2019 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि निम्न तीनों छात्रों द्वारा छात्र सिद्धार्थ कुमार सिंह, बी.एस.सी.बी.एड. द्वितीय वर्ष के साथ मारपीट में लिप्त पाये गये तथा मारपीट के दौरान पीड़ित छात्र के मोबाइल व चश्मे को क्षति पहुँचाने के दोषी पाये गये हैं । सभी छात्रों ने मनमुटाव दूर करते हुए आपस में मिलकर नुक्सान की भरपाई (रु. 4,100/-) करने की सहमती दी। इस संबंध में पीड़ित छात्र ने संस्थान को लिखित में बार-बार अवगत कराया कि आज दिनांक तक उक्त तीनों छात्रों द्वारा उसे भुगतान नहीं किया गया है।

- | | | |
|----|-----------------|-------------------------|
| 1. | अमित कुमार रंजन | बी.ए.बीएड. – तृतीय वर्ष |
| 2. | सौरभ सुबरोज | बी.ए.बीएड. – तृतीय वर्ष |
| 3. | शशांक यादव | बी.ए.बीएड. – तृतीय वर्ष |

अतः आपको सूचित किया जाता है कि कार्यालय आदेश के जारी होने की दिनांक से 20 दिवस के अंदर उक्त भरपाई की राशि आवश्यक रूप से जमा करा दें अन्यथा पीड़ित छात्र किसी भी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा इसके साथ-साथ संस्थान स्तर पर भी दोषी छात्रों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

22/5/19
अभिषेक

1. Sh. Rajeshwar Singh,
H.No. 36, Vill.-Jendi,
PO Ramgarh,
Distt. Sonbhadra-231213
(UP)
2. Sh. Subhash Chander,
H.No. 255,
VPO. Abub Shahar,
Distt. Sirsa – 125104
(Haryana)
3. Sh. Shiv Murat Yadav,
D-1/181, Sector –I,
Jankipuram,
Lucknow – 226021,
(UP)

प्रतिलिपी:-

1. विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम./डी.ई.एस.एस.एच.
2. छात्र सलाहकार
3. मुख्य वार्डन एवं वार्डन, तिलक छात्रावास
4. निजी सहायक (प्राचार्य)
5. सिद्धार्थ कुमार सिंह पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार, 288/8, सौरभ पीसीओ के पास, कैलाश नगर, तिवारीपुर बगिया, जाजमऊ, शिवान ट्रैनरी, कानपुर नगर – 208010, उ.प्र.
6. संबंधित छात्रों की व्यक्तिगत पंजीका

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

एफ.क्र.9-बी-65/प्रो. बो. / 2020-21 /

दिनांक : 18.03.2021

सूचना

दिनांक 18.03.2021 को अपरान्ह 3:30 बजे कक्ष संख्या 50 में प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन रखा गया है। समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थित होने का श्रम करें :-

- 1 अधिष्ठाता (शोध)
- 2 अध्यक्ष, डी.ई. / डी.ई.ई. / डी.ई.एस.एम. / डी.ई.एस.एस.एच.
- 3 चीफ वार्डन
- 4 डिप्टी चीफ वार्डन
- 5 वार्डन, राणाप्रताप / शिवाजी / लक्ष्मीबाई / तिलक छात्रावास / रणजीत छात्रावास
- 6 छात्र सलाहकार
- 7 एन.सी.सी. अधिकारी
- 8 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
- 9 स.का.स. (अकादमिक) - संयोजक

प्रतिलिपि :-

1. स.का.स. (प्राचार्य)
2. समस्त सदस्य, प्रोक्टोरियल बोर्ड

स.का.स. (अ)
18.03.21

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

एफ.क्र.9-बी-65/प्रो. बो. / 2020-21 /

दिनांक : 18.03.2021

सूचना

दिनांक 18.03.2021 को अपरान्ह 3:30 बजे कक्ष संख्या 50 में प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन रखा गया है। समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थित होने का श्रम करें :-

- 1 अधिष्ठाता (शोध)
- 2 अध्यक्ष, डी.ई. / डी.ई.ई. / डी.ई.एस.एम. / डी.ई.एस.एस.एच.
- 3 चीफ वार्डन
- 4 डिप्टी चीफ वार्डन
- 5 वार्डन, राणाप्रताप / शिवाजी / लक्ष्मीबाई / तिलक छात्रावास / रणजीत छात्रावास
- 6 छात्र सलाहकार
- 7 एन.सी.सी. अधिकारी
- 8 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
- 9 स.का.स. (अकादमिक) - संयोजक

प्रतिलिपि :-

1. स.का.स. (प्राचार्य)
2. समस्त सदस्य, प्रोक्टोरियल बोर्ड

स.का.स. (अ)
18.03.21

अनुशासनात्मक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 18.03.2021

प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. राजेश मिश्र, अधिष्ठाता महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.2021 को सांय 3:30 बजे कक्ष संख्या 50 में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

1. प्रो. आयुष्मान गोस्वामी, विभागाध्यक्ष डी.ई.
2. प्रो. आर.बी. पारीक, इंचार्ज विभागाध्यक्ष डी.ई.ई.
3. डॉ. पी.के. चौरसिया, विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम.
4. प्रो. अल्बर्ट होरा, विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एस.एच.
5. डॉ. रामनिवास, चीफ वार्डन
6. डॉ. ओ.पी. मीणा, डिप्टी चीफ वार्डन
7. श्रीमती रंजना नागर, वार्डन, राणाप्रताप छात्रावास
8. डॉ. राजीव रंजन, वार्डन, लक्ष्मीबाई छात्रावास
9. डॉ. स्नेह सुधा, वार्डन, रणजीत छात्रावास
10. डॉ. वी.पी. आर्य, वार्डन, तिलक छात्रावास
11. डॉ. ए.के. नैनावत, छात्र सलाहकार एवं एन.सी.सी. अधिकारी
12. श्री के.सी. मीणा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
13. श्री कमलेश तायल, इंचार्ज स.का.स. (अ)

निम्नलिखित उपस्थित नहीं हुए :-

1. प्रो. नगेन्द्र सिंह, अधिष्ठाता (शोध)
2. डॉ. इंदू शर्मा, वार्डन शिवाजी छात्रावास

बैठक में दिनांक 10.03.2021 को आवासी छात्राओं द्वारा छात्रावास के बाहर छात्रावास के समय में परिवर्तन के क्रम में एकत्र होकर प्रदर्शन करने के संबंध में शिवाजी छात्रावास में ड्यूटी पर तैनात महिला गार्ड से प्राप्त सूचना के संबंध में विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रोक्टोरियल बोर्ड ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है :-

1. दिनांक 10.03.2021 को दोपहर में छात्रावास के पदाधिकारियों ने छात्रावास के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर अनुमोदित कार्यवृत्त दिनांक 12.03.2021 के अनुसार अधिष्ठाता महोदय के हस्ताक्षर से कार्यालय आदेश फा.सं./2021/छात्रावास दिनांक 12.03.2021 जारी कर दिया गया है। उक्त आदेशानुसार आवासी छात्र एवं छात्राएं समय का पालन समान रूप से करेंगे एवं दिनांक 31.03.2021 से छात्रावास व संस्थान से बाहर जाने का नियम पूर्व में जारी नोटिस No.F.9-B-Hostel/2014-15/3897-3912 dated 26.09.2018 के अनुसार प्रभावी रहेगा (प्रति संलग्न)।
2. दिनांक 10.03.2021 के पश्चात् छात्राएं छात्रावास के कार्यालय आदेश दिनांक 12.03.2021 के अनुसार समय का पालन कर रही हैं। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए तथा प्राप्त पत्र में जिन छात्राओं का जिक्र हुआ है उन्हें एक अवसर देते हुए कार्रवाई स्थगित की जाने की अनुशंसा करती है।
3. Notice No.F.9-B-Hostel/2014-15/3897-3912 dated 26.09.2018 के क्रम संख्या 1 के संदर्भ में लिए गए निर्णय "Only in a true medical emergency Girl Hostellers will be allowed to go to Hospital and submit the documents of treatment on return: 1. With written Permission from concerned Head of the Department in working hours (Monday to Friday). The same must be submitted to Hostel Warden/Assistant Warden. 2. With written permission of Chief Warden or Warden or Assistant Warden beyond Institute working hours and also on holidays." को यथावत रखे जाने की अनुशंसा करती है।

बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(प्रो. राजेश मिश्र)

(प्रो. आयुष्मान गोस्वामी)

(प्रो. आर.बी. पारीक)

(प्रो. पी.के. चौरसिया)

(डॉ. अल्बर्ट होरा)

(डॉ. रामनिवास)

(डॉ. ओ.पी. मीणा)

(श्रीमती रंजना नागर)

(डॉ. राजीव रंजन)

(डॉ. स्नेह सुधा)

(डॉ. वी.पी. आर्य)

(डॉ. ए.के. नैनावत)

(श्री के.सी. मीणा)

(श्री कमलेश तायल)

प्राचार्य

अधिष्ठाता

27/03/2021

28/3/21

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

फा.सं/2021/छात्रावास/

दिनांक-

12 MAR 2021

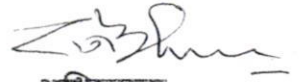
कार्यालय आदेश

समस्त छात्रावासों के विद्यार्थियों के संस्थान से बाहर आने व जाने की अनुमति के समय में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है-

अवधि	अनुमति	Boys and Girls Hostel
दिनांक 12.03.2021	संस्थान परिसर से बाहर की	07:30 PM तक
से 30.03.2021 तक	छात्रावास से बाहर (संस्थान परिसर के अन्दर) की	08:00 PM तक
साप्ताहिक अवकाश पर	संस्थान परिसर से बाहर की	04:30 PM से 07:30 PM तक

- आवासी छात्र-छात्राओं की तबियत खराब होने पर छात्रावास के उपस्थित सुरक्षाकर्मी द्वारा RIE औषधालय के कंपाउंडर को सूचना दी जायेगी व उपचार प्राप्त किया जायेगा।
- छात्रावास में एक फर्स्ट-ऐड किट भी उपलब्ध होना चाहिए।
- दिनांक 31.03.2021 से छात्रावासों व संस्थान से बाहर जाने का समय पूर्व आदेशानुसार रहेगा।
- COVID-19 / आपातकालीन स्थिति में यदि कोई समस्या होती है तो यह व्यवस्था स्वतः निरस्त हो जायेगी।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।


अधिष्ठाता

प्रतिलिपि:

- 1) अधिष्ठाता (शोध),
- 2) छात्र सलाहकार,
- 3) मुख्य छात्रावास अधीक्षक,
- 4) उप मुख्य छात्रावास अधीक्षक,
- 5) छात्रावास अधीक्षक (तिलक छात्रावास, शिवाजी छात्रावास, राणाप्रताप छात्रावास, लक्ष्मीबाई छात्रावास और रणजीत छात्रावास),
- 6) प्रशासनिक अधिकारी
- 7) सहायक कार्यक्रम समन्वयक (प्राचार्य व अकादमिक),
- 8) अनुभाग अधिकारी (प. व क.),
- 9) सुरक्षा पर्यवेक्षक,
- 10) छात्रावास क्लर्क (तिलक छात्रावास, शिवाजी छात्रावास, राणाप्रताप छात्रावास, लक्ष्मीबाई छात्रावास और रणजीत छात्रावास),
- 11) सूचना पट्ट (सभी छात्रावास)।

REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION, AJMER

Notice

3897-3912

No. F-9-B-Hostel/2014-15/
Dated: 26.09.2018

After detailed discussion with Hostellers of Rana Pratap and Shivaji Hostel held today at 3:00 p.m. in Room No. 102 of the Institute in the presence of I/c Principal, Chief Warden, Warden and girls' representatives. Following decisions were taken in connection with all the Girls' Hostels of the Institute on which Institute administration and Hostellers mutually agreed:

S.No.	Issues raised/requested by Hostellers of Rana Pratap and Shivaji Hostel	Decision Taken
1	In case of emergency injured and / or ill students must be allowed to move out of the campus at any time of day with intimation to the assistant warden of the respective hostel only.	Only in a true medical emergency Girl Hostellers will be allowed to go to Hospital and submit the documents of treatment on return: 1. With written Permission from Concerned Head of the Department in working hours (Monday to Friday). The same must be submitted to Hostel Warden/Assistant warden. 2. With written permission of Chief Warden or Warden or Assistant Warden beyond Institute working hours and also on holidays.
2	An ambulance vehicle should be made available to the Institute 24x7.	Ambulance Vehicle cannot be provided but availability of any vehicle (Official or Personal vehicle of any authority) will be ensured in case of any medical emergency.
3	Food delivery and all parcels should be allowed to be delivered to the respective hostels till 10:00 p.m. on all days of the week.	From 6 a.m. to 9:30 p.m. (sharp) parcel delivery only at outer gate of respective hostels will be allowed.
4	Female Hostellers should be allowed mobility from vaishali gate of the campus also.	Allowed with a condition that Exit and Entry of the Girl Hosteller must be ensured from the same Gate. At the time of Entry and Exit Students must show any Identification Card to the Guard and make entry of the same in the Register available.
5	Both gate and channel opening time of all girls hostels be fixed from 5:00 a.m. to 10:00 p.m. on all days of a week.	Channel Gates and Main Gates of the Girls' Hostels will remain open from 6:00 a.m. to 9:00 p.m. (Sharp). It will be effective for all days a week in all seasons. This is applicable for the movement of girls inside the campus only.
6	Outing from campus should be allowed from 5 a.m. to 9 p.m. on all 7 days of a week (in all seasons)	On Working Days outing from Campus will be allowed as follows: From 6:00 a.m. to 9:00 a.m. in morning From 5:00 p.m. to 8:00 p.m. in evening On Official Holidays/ Gazetted Holidays outing from campus will be allowed as follows: From 9 a.m. to 8 p.m. (any 7 hours)

J. Bagchi
26.9.18

Contd... 2

7	The students are not bound to follow any verbal rules made by any faculty members under any circumstances.	Any new rules will not be imposed without prior written intimation. For any Change in hostel rules, a duly signed notice will be issued by the competent authority well in advance.
8	If a female hosteller breaks any rule/s then only she shall be held responsible for her actions. No hostel rules should be changed for other hostellers under any circumstances.	In case of any act of Indiscipline, suitable action will be taken against responsible student only. For amendments/change in hostel rules, it cannot be ensured as these kind of decisions depend on the seriousness of the act of indiscipline.
9	Hostel curfews should not be altered on festival days.	No action needed. Prevailing practice will continue.
10	Hostel perfects of Rana Pratap and Shivaji Hostels should be called in meetings in which the issues concerning Girls' Hostels are being discussed.	Accepted
11	In case, the outing of hostels is closed then a prior written notice signed by the concerned authorities with valid reasons should be made available.	A duly signed notice will be issued by the competent authority.
12	Roof top and mess terrace should be kept open from 5 a.m. to 10 p.m. on all days of the week.	Agreed from 6:00 a.m. to 9:00 p.m. only PRECAUTIONARY MEASURE NEEDED: (Keeping in view the solar panels installed at the roof has very high D.C. current and due care/precaution is expected from the Hostellers.)
13	Parents, relatives and friends should be allowed to meet female hostellers without prior permission	Not accepted.
14	Plates should be provided in food messes of rana pratap and shivaji hostels.	Not accepted.
15	A sitting arrangement to be made for parents in rana pratap and shivaji hostel premises.	Agreed and some chairs will be made available under the Porch of the Hostels.

The above decisions mentioned will be effective from 27th September, 2018 onwards.

Jyoti Bagchi
(Jyoti Prakash Bagchi)
I/c Principal
26.9.18
o/c

Copy to : Principal
Dean of Instruction
Dean (Research)
All Heads of Departments
Chief Warden, Wardens, Assistant Wardens
Notice Boards of Lakshmi Bai, Shivaji and Rana Pratap Hostels.
Security Supervisor

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

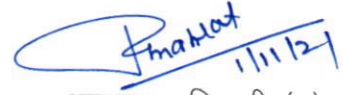
एफ.क्र.9-बी-65/प्रो. बो./2020-21/

दिनांक : 01.11.2021

सूचना

दिनांक 01.11.2021 को दोपहर 12:15 बजे कक्ष संख्या 102 में प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन रखा गया है। समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थित होने का श्रम करें :-

- 1 अधिष्ठाता (शोध)
- 2 अध्यक्ष, डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एम./डी.ई.एस.एस.एच.
- 3 चीफ वार्डन
- 4 डिप्टी चीफ वार्डन
- 5 वार्डन, राणाप्रताप/शिवाजी/लक्ष्मीबाई/तिलक/रणजीत छात्रावास
- 6 छात्र सलाहकार
- 7 एन.सी.सी. अधिकारी
- 8 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
- 9 अनुभाग अधिकारी (अकादमिक) - संयोजक


11/11/21
अनुभाग अधिकारी (अ)

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक (प्राचार्य)
2. समस्त सदस्य, प्रोक्टोरियल बोर्ड

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

एफ.क्र.9-बी-65/प्रो. बो./2020-21/

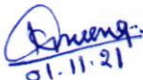
दिनांक : 01.11.2021

सूचना

दिनांक 01.11.2021 को दोपहर 12:15 बजे कक्ष संख्या 102 में प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन रखा गया है। समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थित होने का श्रम करें :-

- 1 अधिष्ठाता (शोध)
- 2 अध्यक्ष, डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एम./डी.ई.एस.एस.एच.
- 3 चीफ वार्डन
- 4 डिप्टी चीफ वार्डन
- 5 वार्डन, राणाप्रताप/शिवाजी/लक्ष्मीबाई/तिलक/रणजीत छात्रावास
- 6 छात्र सलाहकार
- 7 एन.सी.सी. अधिकारी
- 8 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
- 9 अनुभाग अधिकारी (अकादमिक) - संयोजक




01.11.21
अनुभाग अधिकारी (अ)

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक (प्राचार्य)
2. समस्त सदस्य, प्रोक्टोरियल बोर्ड

अनुशासनात्मक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 01.11.2021

प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. राजेश मिश्र, अधिष्ठाता महोदय एवं विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एस.एच. की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2021 को दोपहर 12:15 बजे कक्ष संख्या 102 में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

- | | |
|--|--|
| 1 प्रो. नगेन्द्र सिंह, अधिष्ठाता (शोध) | 7 श्रीमती रंजना नागर, वार्डन, राणाप्रताप छात्रावास |
| 2 प्रो. आयुष्मान गोस्वामी, विभागाध्यक्ष डी.ई. | 8 डॉ. राजीव रंजन वार्डन, रणजीत छात्रावास |
| 3 डॉ. पी.के. चौरसिया, विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम. | 9 डॉ. वी.पी. आर्य, वार्डन, तिलक छात्रावास |
| 4 डॉ. पी.के. चौरसिया, विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम. | 10 डॉ. ए.के. नैनावत, छात्र सलाहकार एवं एन.सी.सी. अधिकारी |
| 5 डॉ. रामनिवास, चीफ वार्डन | 11 श्री के.सी. मीणा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षा |
| 6 डॉ. ओ.पी. मीणा, डिप्टी चीफ वार्डन | 12 श्री प्रेम चन्द गहलोत, इंचार्ज अनुभाग अधिकारी (अ) |

निम्नलिखित उपस्थित नहीं हुए :-

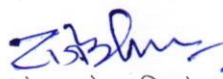
- डॉ. इंदू शर्मा, वार्डन शिवाजी छात्रावास
- डॉ. स्नेह सुधा, वार्डन लक्ष्मी बाई छात्रावास
- जे. आर. बी. पारीक**

बैठक में दिनांक 29.10.2021 को रात्रि 9:30 बजे श्रीमती रंजना नागर, सहायक आचार्य एवं वार्डन राणाप्रताप छात्रावास ने वार्डन ड्यूटी के तहत राणाप्रताप छात्रावास गई थी। वापसी के दौरान लगभग रात्रि 9:44 बजे तिलक छात्रावास के आवासी छात्रों द्वारा छात्रावास के गेट के बाहर श्रीमती रंजना नागर से अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में प्राप्त ई-मेल पर संज्ञान लेते हुए विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रोक्टोरियल बोर्ड ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है :-

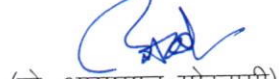
- B.Sc.B.Ed. IV Year के छात्र मनीष सिंह, अजय कुमार, सत्यप्रकाश सिंह, तनुज कुमार एवं सुधीर सिंह के नाम इस संदर्भ में प्राप्त हुए जिन्हें बुलाकर मामले की जाँच पड़ताल की। सभी छात्रों ने लिखित में इस संदर्भ में जानकारी दी (मूल प्रति संलग्न)।
- उपरोक्त छात्रों को तुरन्त प्रभाव से छात्रावास से निष्काषित किये जाने और इसकी सूचना इनके अभिभावकों को दी जाने तथा संस्थान में कार्यदिवस को प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:30 तक आने-जाने एवं इसके पूर्व एवं पश्चात् संस्थान एवं संस्थान परिसर में घूमना वर्जित होने के साथ-साथ शैक्षणिक गतिविधियों में ही भाग लेने के लिये अनुमत होने की अनुशंसा करती है। इन विद्यार्थियों को संस्थान में आने व जाने पर संस्थान के मुख्य द्वार पर इद्राज करना आवश्यक होगा।
- B.A.B.Ed. IV Year एवं B.Sc.B.Ed. IV Year के सभी छात्रों के अभिभावकों को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया जाए कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका पुत्र किसी भी अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित ना हों अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने की अनुशंसा करती है।
- संस्थान के सभी छात्रावासों में असिस्टेंट वार्डन तुरन्त प्रभाव से नियुक्त करने की अनुशंसा की जाती है।
- छात्रावासों में सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं भूतपूर्व सैनिक लगाए जाने की अनुशंसा की जाती है।
- सभी छात्रावासों में CCTV केमरे अविलम्ब लगवाये जाने की अनुशंसा की जाती है ताकि विद्यार्थियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
- संस्थान के सभी विद्यार्थियों को छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार का वाहन न रखने की अनुशंसा की जाती है। यदि कोई विद्यार्थी इसकी पालना नहीं करता पाया गया तो उसे तत्काल प्रभाव से छात्रावास से निष्काषित किया जा सकता है।

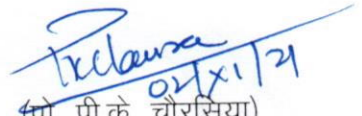
बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

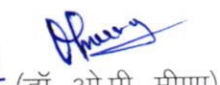

(प्रो. राजेश मिश्र)


(प्रो. नगेन्द्र सिंह)


(प्रो. आयुष्मान गोस्वामी)

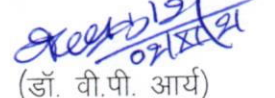

(प्रो. पी.के. चौरसिया)

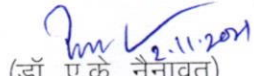

(डॉ. रामनिवास)
02.11.2021

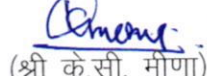

(डॉ. ओ.पी. मीणा)


(श्रीमती रंजना नागर)


(डॉ. राजीव रंजन)


(डॉ. वी.पी. आर्य)

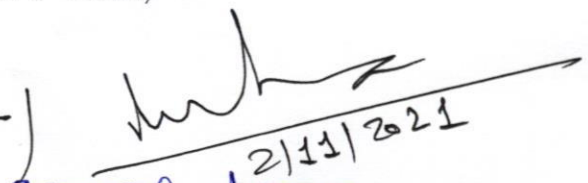

(डॉ. ए.के. नैनावत)


(श्री के.सी. मीणा)


(श्री प्रेमचन्द गहलोत)

अध्यक्ष
अनुमोदित

कार्यवृत्त अनुमोदित
01/11/2021


अनुमोदित (अका)

17

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

क्र.एफ. 9-बी-65 / प्रो.बो. / 2021-22 21/10-2145

दिनांक : 03.11.2021

कार्यालय आदेश

- 8 NOV 2021

अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित छात्रों को संस्थान के तिलक छात्रावास से तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाता है:

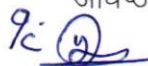
1. मनीष सिंह, बी.एससी.बी.एड. चतुर्थ वर्ष
2. अजय कुमार, बी.एससी.बी.एड. चतुर्थ वर्ष
3. सत्यप्रकाश सिंह, बी.एससी.बी.एड. चतुर्थ वर्ष
4. तनुज कुमार, बी.एससी.बी.एड. चतुर्थ वर्ष
5. सुधीर सिंह, बी.एससी.बी.एड. चतुर्थ वर्ष

उपरोक्त सभी छात्रों को संस्थान कार्यदिवसों में ही प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक आने-जाने की अनुमति दी जाती है। आने-जाने के दौरान सभी छात्र मुख्य द्वार पर रजिस्टर में एंट्री करेंगे। अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। संस्थान में प्रवेश के दौरान उनका संस्थान कार्यालय भवन के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान/भवन में प्रवेश वर्जित रहेगा। सांय 5:30 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक एवं शनिवार, रविवार अथवा अन्य सरकारी अवकाश के दिन संस्थान, संस्थान परिसर एवं छात्रावास में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

मुख्य परीक्षा के दिनों में उनकी परीक्षा की समय सारणी के अनुसार ही संस्थान में आने की अनुमति होगी।

छात्रों को सूचित किया जाता है वे अपना व्यवहार संस्थान एवं कक्षा में उत्तम रखें। यदि संस्थान में अनुशासनहीनता करते हुए पाए गए तो उन्हें संस्थान से भी निष्कासित किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी छात्रों की स्वयं की रहेगी।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है ।


अधिष्ठाता
%c 

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता (शोध)
2. विभागाध्यक्ष डी.ई. / डी.ई.ई. / डी.ई.एस.एम. / डी.ई.एस.एस.एच.
3. चीफ वार्डन / डिप्टी चीफ वार्डन
4. सभी वार्डन, (राणाप्रताप / शिवाजी / लक्ष्मीबाई / रणजीत / तिलक)
वार्डन तिलक छात्रावास तुरन्त प्रभाव से सुरक्षा पर्यवेक्षक की सहायता से छात्रावास से इनका निष्कासन सुनिश्चित करावें।
5. छात्र सलाहकार / एन.सी.सी. अधिकारी / इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
6. निजी सहायक (प्राचार्य)
7. प्रशासनिक अधिकारी / लेखाधिकारी
8. अनुभाग अधिकारी (प.एवं क.) / अनुभाग अधिकारी (अ)
9. सुरक्षा पर्यवेक्षक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त छात्रों का संस्थान में प्रवेश उपरोक्त आदेशानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
10. सभी छात्रावास क्लर्क, (राणाप्रताप / शिवाजी / लक्ष्मीबाई / रणजीत / तिलक)
11. संबंधित छात्र
12. संबंधित छात्र के अभिभावक - पिछले पृष्ठ पर लिखे पते अनुसार (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
13. सूचना पट्ट - संस्थान / छात्रावास
14. गार्ड फाईल


अधिष्ठाता
%c 

10

Address of the Students

1.	Shri Ramesh Singh Father of Manish Singh Village : Kaithi Post : Gurera Distt. Chandauli (U.P.) - 232109 (Mob.No.9450596209, 6386130434)
2.	Shri Shyam Singh Father of Ajay Kumar N203, RBI Staff Quarters Aliganj Distt. Lucknow (U.P.) – 226024 (Mob.No.8053986750, 9813881373)
3.	Shri Ashok Kumar Singh Father of Satya Prakash Singh SMQ300/4, Latifenglave, AFS Jodhpur (Raj.) - 342011 (Mob.No.8140969456, 9625876606)
4.	Shri Yogesh Kumar Father of Tanuj Kumar 261/C, Railway Colony Near Gurudwara, Kalka, Panchkula (Haryana) - 133302 (Mob.No.9818924776)
5.	Shri Devendra Singh Father of Sudhir Singh Village : Hardayalpura Teh. Ramgarh Shekhawati Distt. Sikar (Raj.) - 331024 (Mob.No.9413192405)

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर (अकादमिक शाखा)

क्र.एफ. 9-बी-65/प्रो.बो./2021-22/2146-2279
3487-3512

दिनांक : 03.11.2021

- 8 NOV 2021

BA BEd 4th Year 43
BSc BEd 4th Year
Phy. 43
Bio. 47

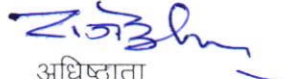
133 + 26 = 159
~~Address List enclosed.~~

आपको सूचित किया जाता है कि अनुशासनात्मक मंडल द्वारा यह पाया गया है कि कुछ छात्र अनुशासनहीनता में लिप्त पाये गये तथा छात्रावास से निष्काषित किये गये हैं। इसी संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि यदि कोई विद्यार्थी संस्थान या छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रशासन की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ छात्र छात्रावास में मोटरसाईकिल रखते हैं तथा मोटरसाईकिल पर छात्र 3 से 4 की संख्या में घूमते हैं। यह छात्रावास के नियमों के विरुद्ध है। अतः सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिये गये हैं कि यदि उनके पास किसी भी प्रकार का वाहन पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई कर छात्रावास से निष्काषित कर दिया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की रहेगी। आपको भी अवगत कराया जाता है कि संस्थान में विद्यार्थी को वाहन उपलब्ध ना कराएं।

अतः आप अपने पुत्र/पुत्री को अनुशासनहीनता में भाग ना लेने के संबंध में सूचित करें। संस्थान के नियमों की अनुपालना नहीं करने व अनुशासनहीनता करने पर जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी उसके लिए संबंधित विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आप अपने पुत्र/पुत्री को आगामी विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु पढ़ाई की ओर ध्यान केन्द्रित करने की दिशा प्रदान करें।


अधिष्ठाता
% 2

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता (शोध)
2. विभागाध्यक्ष डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एम./डी.ई.एस.एस.एच.
3. चीफ वार्डन/डिप्टी चीफ वार्डन
4. सभी वार्डन, (राणाप्रताप/शिवाजी/लक्ष्मीबाई/रणजीत/तिलक)
5. छात्र सलाहकार/एन.सी.सी. अधिकारी/इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
6. निजी सहायक (प्राचार्य)
7. प्रशासनिक अधिकारी/लेखाधिकारी
8. अनुभाग अधिकारी (प.एवं क.)/अनुभाग अधिकारी (अ)
9. सुरक्षा पर्यवेक्षक
10. सभी छात्रावास क्लर्क, (राणाप्रताप/शिवाजी/लक्ष्मीबाई/रणजीत/तिलक)
11. गार्ड फाईल


अधिष्ठाता
% 2

20

Regional Institute of Education, Ajmer
Address List of Students, B.A. B.Ed. IIIrd Year 2020-21

1.	Aathira Ajay D/o Mr. Ajay Kumar Nair 98-C, Pocket-E, GTB Enclave, Dilshad Garden, Delhi Pincode-110093	2.	Aayushi Sharma D/o Mrs. Archana Sharma SF-94, Shashtri Nagar, Ghazianbad Pincode-201002
3.	Adrishta Sharma D/o Mr. Venkatesh Sharma 132, Panchwati Colony, Near Aadarsh Nagar Railway Station Pincode-305001	4.	Aman Talior S/o Mr. Dhan Raj Tailor B-184, Panchsheel Nagar, Makarwali Road, Ajmer Pincode-305004
5.	Ananya Yadav D/o Mr. Ashok Kumar Yadav Vill- Pure Dhundha Jasarpur, Post- Bhitargaon, Faizabad, UP Pincode-224209	6.	Aashish Kumar Mishra S/o Mr. Om Prakash Mishra Vill-Sherpur Khurd, Post Sherpur Kalan, Dist. Ghazipur Pincode-233227
7.	Aashish Meena S/o Mr. Jagdish Meena Vill and Post- Mathana Teh.and Dist. Baran Pincode-325205	8.	Ashmita Singh D/o Mr. Vijay Singh 6 Shakti Nagar, Chaurasiawas Road, Ajmer Pincode-305004
9.	Avinash Yadav S/o Mr. Ram Kumar Yadav Vill- Pure Dhundha Jasarpur, Post- Bhitargaon, Faizabad, UP Pincode-224209	10.	Bhaskar Singh S/o Mr. Dev Narayan Singh 3/459 Sector- H, Jankipuram, Lucknow Pincode-226021
11.	Chakshu Malik D/o Mr. Akshya Malik Gali No. 1, Madhuban Colony Canal Road, Baraut, Bagpat UP Pincode-250611	12.	Dipika Prajapat D/o Mr.Kailash Chand Prajapat Kumharo Ka Bas, VPO- Kekindra, Teh. Jaitaran, Dist. Pali Pincode-306301
13.	Kumari Garima D/o Mr. Narendra Kumar Vill- Panchgaon, Post- Sisoli, Teh. And Dist. Meerut, UP Pincode-250001	14.	Gaurav Kumar S/o Mr. Malikhan Singh Jail Road, Civil Lines, Anand Puri, Etah, UP Pincode-207001
15.	Harshita Udawat D/o Mr. Navratan Singh Udawat House No. 270, Haribhau Upadhyay Nagar Extension Scheme, Near Daharsen Smarak, Ajmer (Raj.) Pincode-305004	16.	Haryashva Gour S/o Mr. Gouri Shankar Gour Behind Azad Park, Azad Nagar, Madanganj, Kishanganj Pincode-305801
17.	Hemlata Meena D/o Mr. Ram Shri Meena Vill and Post- Meena Baroda, Teh. Vajirpur, Dist.- Swaimadhopur (raj.) Pincode-322219	18.	Hritika Bhattacharya D/o Mr. Sameer Bhattacharya Geetanjali 165/8K, Rajrooppur, Allahabad Pincode-211011

19.	Jahnavi Jatt D/o Mr. Rupa Ram Vill- Jalwana, Post- Dhandlas, Teh.Merta City, Dist. Nagaur Pincode-341510	20.	Komal Kushwaha D/o Mr. Rajesh Singh Kushwaha Kaushambi Road, Opposite VBPSC, Jhalwa, Allahabad Pincode-211012
21.	Kumari Shilpi D/o Mr. Sanjay Kumar Roy SGT SK Roy, CLK/GD, 01Room, 13 BRD, Air Force Palam, New Pinto Park Delhi Pincode-110010	22.	Laxmi Devi D/o Mr. Draggpal Singh VP Akbarpur Itaura, Atta-Kalpi, Dist. Jalaun, UP Pincode-385202
23.	Maansi D/o Mr. Vijay Pratap Govt. Polytechnic Jagdishpur, Dist. Jaunpur UP Pincode-220002	24.	Manisha Charan D/o Mr. Ram Chandra Charan 01 LU Air Force, Pathankot, Punjab Pincode-145001
25.	Nikhil Yadav S/o Mr. Ashok Kumar Singh Raj Tent House, Govind Nagar, Near Balaji Temple, Auraiya Pincode-206122	26.	Nikita Chanda D/o Mr. Mahesh Chand Meena Bandia, B/H RPSC Jaipur Road Ajmer (Raj.) Pincode-305001
27.	Pragya D/o Mr. Brahmpal B-77/2, Gali No. 10 Shashi Garden, Mayur Vihar, Phase-1, Delhi East Pincode-110091	28.	Prashant Vashishth S/o Mr. Surya Prakash New Primary Health Center, Saiyadraj, Dist. Chandauli UP Pincode-232110
29.	Prerana Dimri D/oMr. Ashutosh Dimri House No. 59, Lane No. 3, Shakti Kunj Colony, Nathanpur (Lower), Dehradun, UKD Pincode-248001	30.	Rakhi D/o Mr. Phul Chand C-62/1 NAPS, Township-Narora, Bulandshahr, UP Pincode-203389
31.	Ritu Upadhyay D/o Mr.Sidheshwar Upadhyay Pragyapuram Colony, Nasirpur, Susuwahi, Varanasi UP Pincode-221011	32.	Shambhavi Shukla D/o Mr. Rajeev Shukla 66/242 Kachhiyana Mohal, Naya Ganj, Kanpurnagar UP Pincode-208001
33.	Sheetal Kohli D/o Mr. Madan Kohli Vill- Makhana, Post Office- Purola Teh. -Purola, Dist. -Uttarkashi, UKD Pincode-249185	34.	Shraddha Joshi D/o Mr. Kailash Chandra 1087 Bhagat Singh Kunj, Gail Gaon, Dibiyapur, Auraiya UP Pincode-206244
35.	Shrawan Kumar Pandey S/o Mr. Shivshankar Pandey Vill- Suaraha, Post- Delhwa, Kalwari, Dist. Basti, UP Pincode-272301	36.	Shubham Priya D/o Dr. N.K. Prasad Saurabh Vihar Colony, Awleshpur, Chitapur, Varanasi UP Pincode-221106
37.	Somya Devi D/o Mrs. Rajni Devi Mishra Vill and Post- Ghunghchihai, Nea Gandhi Stadium Sungai, Dist.-Pilibhit, Pincode-262001	38.	Sudeep Priyadarshi S/o Mr. Subhash Chandra JNV, Rath, Dist. Hamirpur, UP Pincode-210431

22

39.	Sunil Kumar S/o Mr. Rameshwar Lal Vill-Godas, Teh.Taranagar, Dist. Churu, Rajasthan Pincode-331305	40.	Tanvi Anand D/o Mr. Pramod Kumar House No. 22, Girja Nagar, New PAC Lines, Kanpurnagar UP Pincode-208015
41.	Vaibhav Yadav S/o Mr. Ravindra Singh Yadav Vill and Post- Jasarathpur, Aliganj, Etah, UP Pincode-207247	42.	Vandana Dubey D/o Mr. S. K. Dubey SMQ P 93/4, No. 1 Area, Air Force Station, Pathankot, Punjab Pincode-145001
43.	Venuka D/o Dr. J. P. Gupta 56-C DL Road Dehradun UKD Pincode-248001		

Regional Institute of Education, Ajmer
Address List of Students, B.Sc. B.Ed. IV Year (Physical Group) 2021-22

1.	Mr. Satish Dadhich F/o Abhinav Dadhich 425, Kumhar Mohalla V/P Derathu, Nasirabad, Ajmer Pin- 305601	2.	Mr. Darshan Singh F/o Amandeep Singh Vill- Baba Deepsingh Nagar (Gulzar Nagar) Dhudianwal, P.O.-R.C.P. Dist- Kapurthala, Pin-144602
3.	Mr. Ashwani Kumar F/o Ameesha Ajitnagar Bhulana, Kapurthala, Punjab Pin-144620	4.	Mr. Khyali Ram F/o Amit Kumar VPO-Nangal Dargu, Teh. Nangal Choudhary, Dist.- Migarh Pin-123023
5.	Mr. Haricharan Goyal F/o Ankur Goyal C-16, Sahakar Nagar, Near Tejaji Mandir, Jhotwara, Jaipur Pin-302012	6.	Mr. Bhrigu Nath F/o Anurag Prajapati SMQ No. 705/12 Air force station, Maharajpur, Gwalior, M.P. Pin-474020
7.	Mr. Sanjay Kumar F/o Anushka Singh Vill- Ambarpur, Post- Navaterha, Mainpuri (Uttar Pradesh) Pin-205261	8.	Mr. Janved Singh F/o Arpit Yadav Near Lord Krishna School Yashoda Nagar, Etawah (Uttar Pradesh) Pin-206001
9.	Mr. Harinam Singh F/o Ashish Kumar Singh 538 K/456/77, Triveni Nagar III Sitapur Road, Lucknow UP Pin-226020	10.	Mr. Anil Kumar Jain F/o Asmita Singhal Near Patel School, Bohara Colony, Sapanda Road, Kekri, Ajmer (Raj.) Pin-305404
11.	Mr. Greesh Babu F/o Bhawna E-3/239 C, Shivram Park, Nangloi, New Delhi Pin-110041	12.	Mr. Durga Dutt Bhatt F/o Chetna Bhatt V & P- Panthagaon, Teh. Dharchula, Dist. Pithoragarh, UKD Pin-262576
13.	Mr. Rajkumar F/o Dhairya Pal Singh Vill- Sadpur Post- Jansath (Muzaffarnagar) UP Pin-251314	14.	Mr. Dharendra Kumar Pathak F/o Diya Pathak H.No. 118, Gayatri Nagar, Near Aashram, Kathgodam, Nainital Pin-263126
15.	Mr. Sagar Mal Khariwal F/o Hrishita Jain I-70, Azad Nagar, Lovely Palace, Near BSL Guest House, Behind Ram Dham, Bhilwara, Raj. Pin-311001	16.	Mr. Ramesh Chand F/o Kusum Saini H.No. 72, Ward No. 4, Behind Balaji ki Bagichi, Shri Ram Nagar, Phulera Pin-303338
17.	Mr. Vippan Raj Dutt F/o Laakshi Dutt 809, Sec-17 A, Gurugram, Haryana Pin-122001	18.	Mr. Surjit Singh F/o Lakhwinder Kaur H. No. 42 C Sarpanch Colony, Jamalpur, Focal Point, Ludhiana Pin-141010
19.	Mr. Pradyumna Singh F/o Manish Singh 129/25, Shakuntala Kunj, Poghatpul, Mundera, Allahabad Pin-211011	20.	Mr. Ganga Sagar Chaurasia F/o Manisha Chaurasiya J-1 22 4 Khirki Extension, Malviya Nagar Delhi-110017
21.	Mr. Paramanand F/o Masum Yadav H. N.61 VPO-Sehori, Dist.- Mahendergarh, Haryana Pin-123027	22.	Mr. Bagraj Singh F/o Mohit Kumar Vill & Post- Nirmana, Block-Baghra, Teh Muzaffarnagar, UP 251001

23.	Mr. Arun Prakash Bajpai F/o Muktesh Bajpai 23/10 Lal Colony, Benajhabar, Kanpur-208002	24.	Mrs. Kamlesh Kumari M/o Nancy Kumari Vill and Post Office- Manti, Teh.-Iglas, Dist.- Aligarh, UP Pincode-202123
25.	Mr. Shyam Sundar Bula F/o Nandini Bula 176, Vakil Colony, Bhilwara (Raj.) Pincode-311001	26.	Mr. Ram Kumar Meena F/o Narendra Kumar Jharwal Ward No. 4, Maida ki dhani, Haripura, Teh.Shrimadhopur, Dist. Sikar (Raj.) Pincode-332707
27.	Mr. Pranav Choudhary F/o Pragya Singh RZ-63/345, Mohan Nagar. Street No.10, Pankha Road, New Delhi Pincode-110046	28.	Mr. Nand Kishor Kureel F/o Prasoon Bedi House No. 2, Jan Aadarsh Colony, 100 Foota Road, Pilibhit by pass, Bareilly UP Pincode-243123
29.	Mr. Gehri Lal Meghwal F/o Purnima Meghwal Aanand Nagar, Lal Bagh, Kothariya Road, Nathdwara, Rajsamand (Raj.) Pincode-313301	30.	Mr. Naresh Kumar F/o Rashmi Gehlot Vill and Post- Jarcha, Dist.- Gautam Budha Nagar, UP Pincode-203207
31.	Mr. Akhil Bansal F/o Riddhi Gupta Nikhil General Store, Hind Vihar Colony, Halwana Road, Chhutmalpur, Sharanpur UP Pincode-247662	32.	Mr. Ramesh Chand F/o Rohit Kumar Gangyan Vill- Garhi Dulla, Post- Binauli, Teh.Baraut, Dist.- Bagpat UP Pincode-250645
33.	Mr. Pankaj Kumar Bajpai F/o Rudra Prakash Bajpai 1035, Near Jai Durge Vidhya Mandir, Shiv Colony, Lakhimpur Kheri, UP Pincode-262701	34.	Mr. Raj Kishore Mishra F/o Sampada Raj 111/1B Friends Colony, Watertank Park, Etawah, UP Pincode-206001
35.	Mr. Shailendra Saxena F/o Shailja Saxena DH-8, Pallavpuram Face-1, Modipuram, Meerut Pincode-250110	36.	Mr. Pawan Kumar Pal F/o Shivani Pal Bidhuna Road, Near Petrol Pump Saurikh Kannauj, UP Pincode-209728
37.	Mr. Dinesh Kumar F/o Simran 587 A/578, C- Block, Gandhi Nagar, Telibag, Lucknow Pincode-226029	38.	Mr. Buddhiprakash Meena F/o Sohan Lal Meena Vill-Sisola, Post-Pyawari Teh.Piplu, Dist. Tonk (Raj.) Pincode-304801
39.	Mr. Ramesh Chandra F/o Soumya Gangwal 10 ganpati Enclave, Suresh Sharma Nagar, Bareilly, UP Pincode-243006	40.	Mr. Devendra Singh F/o Sudhir Singh, Vill- Hardayalpura, Post- Takhalsar, Teh.Ramgarh Shekhawati, Dist. Sikar (Raj.) Pincode-331024
41.	Mr. Lokman Singh F/o Tanu Singh SE 422, Shashtri Nagar, Gaziabad UP Pincode-201002	42.	Mr. Pankaj Mishra F/o Vaibhav Mishra Moh.Roshanganj Kumra Gali, Dist. Shahjahanpur, UP Pincode-242001
43.	Dr. Ashok Kumar F/o Veenus Sancerwal 37 B, Krishnakunj Colony, Laxmi Nagar, Delhi Pincode-110092		

Regional Institute of Education, Ajmer
Address List of Students, B.Sc. B.Ed. IV Year (Bio Group) 2021-22

1.	Mr. Awadesh Kumar F/o Mr. Abhay Singh Vill- Mubarakpur, Post- Bhatahar, Tehsil- Machhaslishahar, Dist- Jaunpur, Uttar Pradesh, - 222165	2.	Mr. Pankaj Babu Agarwal F/o Aditi Agarwal 58 Pansari Tola, Etawah Uttar Pradesh,- 206001
3.	Mr. Sanjeev Kumar Pandey F/o Aditi Pandey D-414, Flat No. 203 , II Floor Street No 14A/5, Sadnagar II, Palam Colony, New Delhi -110045	4.	Mr. Shyam Singh F/o Ajay Kumar H.NO. 695 Sector B, Defence Colony, Ambala Cantt - 133001
5.	Mr. Ramrattan Meena F/o Ajayraj Meena Vill- Ganeshpura, P.O.- Para, Tehsil- Kekri, Dist- Ajmer,- 305408	6.	Mr. Ram Prasad Laxkar F/o Akash Laxkar Satawariya, Tehsil- Masuda, District, Ajmer (Rajasthan),- 305630
7.	Mr. Ajit Kumar Srivastava F/o Akriti Srivastava D-2/417, Sector 'O' Mansarovar Yojna, LDA Colony, Lucknow, UP-226012	8.	Mr. Shivraj Kumawat F/o Ambika Kumawat H.NO. 3 Shri Ram Kalyan Colony, Ajmer Road, Kekri, Ajmer,- 305404
9.	Mr. Lal Singh F/o Ananya Singh Jawahar Navodaya Vidhyalaya Hatura Bujurg, P.O. Roza, Shahjahanpur, Aligarh,- 242301	10.	Mr. Jatan Singh F/o Anjali Bhati Vill- Chithera, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, - 203207
11.	Mr. Divya Prakash Sarin F/o Anushka Sarin C-247, Awas Vikas Colony Hardoi, Uttar Pradesh Pincode- 241001	12.	Mr. Balbir Singh F/o Bhoomika 378, Laxmi Nagar Purana Bhatta, Yamuna par, Mathura, UP- 281001
13.	Mr. Nirmal Kumar F/o Dakshali Gupta H-17, 139/G, Ratia Marg Sangam Vihar, South Delhi New Delhi- 110080	14.	Mr. Shiv Charan Lal F/o Divyanshi Verma C-8, Motikunj Extension, Mathura, UP,- 281001
15.	Mr. Rajbir Singh F/o Gaurav Pahal 867/1 SMQ, Air Force Station Bhuj. Gujarat ,- 370001	16.	Mr. Krishna Kumar F/o Harshit SMQ-671/1, Vayu Vihar, Adampur, Jalandhar, Punjab, -144102
17.	Mr. Mohan Lal Gurjar F/o Hemlata Gurjar F-54, Worker Colony, Ambuja Township Rabriyawas, Teh- Jaitaran, Dist- Pali, Rajasthan, - 306709	18.	Mr. Dhannaram Ladna F/o Kanak Ladna 109-D, Haribhau Upadhyay Nagar Ext. Pushkar Road, Ajmer, - 305001
19.	Mr. Pawan Dev F/o Kavita Dhanpur, Motahald, Lalkuan, Haldwani, Nainital, UKD - 263157	20.	Mr. Pradeep Kumar F/o Keerti Priyadarshini Q.No. S/III/1, Unit-8, New Development Kharagpur, Dist- Paschim Midnapur West Bengal,-721301

21.	Mr. Ashok Kumar Yadav F/o Komal Yadav H.NO. 389, Feroz Gandhi Nagar, Raibareli, - 229001	22.	Mr. Manoj Kumar Pandey F/o Manu Pandey Vill- Chakiya, Post- Nigatpur Dist- Mirzapur, UP - 231314
23.	Mr. Laxmi Nagar Meena F/o Mona Meena Vill- Bajwari, Post- Chhredha, Tehsil- Nagel, Rajasthan- 303505	24.	Mr. Surender Singh F/o Nikita A-1/274, UG Floor, Near Kumar Dairy, Dall Mill Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059
25.	Mr. Chandresh Chaturvedi F/o Palak Chaturvedi Chaturvedi Niwas, Near Nagar Nigam Colony Chawani, Kota, Rajasthan - 324007	26.	Mr. Anil Kumar Sachan F/o Priyanaka Sachan SMQ P-297/3, Naidu Enclave, Air Force Staiton, Utarlai Barmer, Rajasthan- 344035
27.	Mr. Laxmikant Sharma F/o Rahul Kumar Sharma H.No. 10-K-3, New Patel Nagar, Bhilwara, Rajasthan,- 311001	28.	Mr. Rajani Kant Mahato F/o Rama Krittika Mahato SMQ 30/2, Air Force Station, Barnala, Punjab,- 148101
29.	Mr. Ashok Kumar Jaiswal F/o Ranu Jaiswal Vill- Shiv Nagar, Post- Kharika Lamba Via- Gulabpura, Dist.- Bhilwara, Rajasthan, -311021	30.	Mr. Pawan Kumar Sharma F/o Rashi Sharma 444-A, Safipur-I, Harjinder Nagar, Kanpur, UP- 208007
31.	Mr. Manoj Kumar F/o Ritika Singh JNV, Roshnabad, Haridwar, UKD - 249402	32.	Mr. Harbinder Singh F/o Ritu Panwar Qtr No.- 235/3, Old MLA Quarters Sec-17, Gandhi Nagar, Gujarat- 123035
33.	Mr. Bhanu Pratap Singh F/o Ruchi Singh Near SSD Inter College, Malik Chowk, Melrose By Pass Road, Ramnagar, Aligarh, UP - 202001	34.	Mr. Ajay Gautam F/o Saakshi Sharma A-8/6 Shri Nath Palace, MBS Nagar, Station Road, Kota- 324002
35.	Mr. Sunil Kumar Gupta F/o Saloni Gupta 164, Khinni Naka, Banda, UP - 210001	36.	Mr. Naqeeb Ahmad F/o Sana Hussain 130/16 Abubakarpur, Dhoomanganj Allahabad UP- 211011
37.	Mr. Rajesh Kumar Yadav F/o Sandhya Yadav Vill and Post- Gotharasulpur, Dist- Deoria, UP -274201	38.	Mr. Ashok Kumar Singh F/o Satya Prakash Singh SMQ- 14/14 Vayusenabad, MB Road, Near Tigri Bus Stand, South Delhi New Delhi- 110062
39.	Mr. Jitendra Nath Pandey F/o Satyendra Nath Pandey Sugar Mill Road, Madaya Achakwapur, Khalilabad, Sant Kabir Nagar, UP- 272175	40.	Mr. Saroj Kumar F/o Shakul Ranaut Vill- Bard, PO- Sunhani Tehsil- Jhandutta, Dist- Bilaspur, HP-174029
41.	Mr. Satya Prakash Yadav F/o Shivangi Yadav 678/5, Type- GH, Sec- 8-C, Gandhi Nagar, Gujarat - 382007	42.	Mr. Vidya Sagar Dwivedi F/o Shrasti Dwivedi H.No. 374 Rudhi Road, Maikulal High School, Bakshi ka Talab, Lucknow,UP- 226201

43.	Mr. Ashok Kr. Sharma F/o Shweta Sharma Q. No. 24, Type-III, G.C.-2 C.R.P.F. Colony Foy Sagar Road, Ajmer- 305001	44.	Mr. Subhas Chand F/o Suman Lata Vill- Amboli(193), Sahlawas, Jhajjar, Haryana, -124146
45.	Mr. Krishna Kumar Gupta F/o Swati Gupta H.No. 89, Khadicha, Gharwar, Balliya, UP Pincode- 277121	46.	Mr. Jai Singh F/o Tamanna Yadav Plot No. 200, SF, Block-I, South City-2, Sector-49, Gurugram, Haryana-122018
47.	Yogesh Kumar F/o Tanuj Kumar 47/B, Railway Colony, Tughlakabad Jaitpur, South Delhi, Delhi-110044	48.	

२४

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

क्र.एफ. 9-बी-65 / प्रो.बो. / 2021-22 / 3402-3427

दिनांक : 03.11.2021

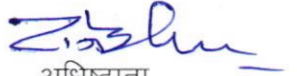
8 NOV 2021

सूचना

विगत दिनों संस्थान परिसर में कुछ छात्र अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाये गये जो कि छात्रावास के नियम विरुद्ध है। समस्त विद्यार्थियों को छात्रावास के समय पाबंदी सहित छात्रावास से सम्बन्धित सभी नियमों की सख्ती से पालना करने का निर्देश दिया जाता है। समस्त विद्यार्थियों को भविष्य के लिये चेतावनी दी जाती है कि यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रशासन की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ छात्र छात्रावास में मोटरसाईकिल रखते हैं तथा मोटरसाईकिल पर छात्र 3 से 4 की संख्या में घूमते हैं। यह छात्रावास के नियमों के विरुद्ध है। अतः सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि जिन विद्यार्थियों के पास किसी भी प्रकार का वाहन है तो वे तुरन्त प्रभाव से वहां से हटा लें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई कर छात्रावास से निष्काषित कर दिया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की रहेगी।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।


अधिष्ठाता
% (9)

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता (शोध)
2. विभागाध्यक्ष डी.ई. / डी.ई.ई. / डी.ई.एस.एम. / डी.ई.एस.एस.एच.
3. चीफ वार्डन / डिप्टी चीफ वार्डन
4. सभी वार्डन, (राणाप्रताप / शिवाजी / लक्ष्मीबाई / रणजीत / तिलक)
5. छात्र सलाहकार / एन.सी.सी. अधिकारी / इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
6. निजी सहायक (प्राचार्य)
7. प्रशासनिक अधिकारी / लेखाधिकारी
8. अनुभाग अधिकारी (प.एवं क.) / अनुभाग अधिकारी (अ)
9. सुरक्षा पर्यवेक्षक को निर्देशित किया जाता है कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के पास किसी भी प्रकार का वाहन नहीं होना चाहिये। वर्तमान में जिनके पास वाहन है उन्हें तुरन्त प्रभाव से हटाया जाना सुनिश्चित करें। वाहन नहीं हटाने पर वार्डन को सूचित किया जाए।
10. सभी छात्रावास क्लर्क, (राणाप्रताप / शिवाजी / लक्ष्मीबाई / रणजीत / तिलक)
11. सूचना पट्ट - संस्थान / छात्रावास
12. गार्ड फाईल


अधिष्ठाता
% (9)

28

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(अकादमिक शाखा)

क्र.एफ. 9-बी-65/प्रो.बो./2021-22/ 3428-3453

दिनांक : 03.11.2021

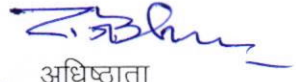
- 8 NOV 2021

कार्यालय आदेश

अनुशासनात्मक मंडल द्वारा सर्वसम्मति के निर्णयानुसार निम्न निर्णय लिये गये:-

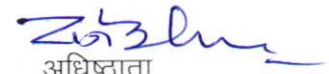
1. संस्थान में सभी छात्रावासों में असिस्टेंट वार्डन की नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से की जाए।
2. सुरक्षा गार्ड की वर्तमान नियुक्ति प्रणाली में बदलाव कर भूतपूर्व सैनिकों को लगाया जाए। जिससे संस्थान में गार्ड की ड्यूटी और सुदृढ़ की जा सके।
3. संस्थान में सभी छात्रावासों में अतिशीघ्र CCTV केमरे लगवाए जाएं जिससे विद्यार्थियों की गतिविधियों पर पर नजर रखी जा सके।
4. प्रशासन की जानकारी में आया है कि कुछ छात्र छात्रावास में मोटरसाईकिल रखते हैं और मोटरसाईकिल पर छात्र 3 से 4 की संख्या में घूमते पाए जाते हैं। यह छात्रावास के नियमविरुद्ध है। अतः सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि जिन विद्यार्थियों के पास किसी भी प्रकार का वाहन है तो वे तुरन्त प्रभाव से संस्थान परिसर से हटा लें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई कर छात्रावास से निष्काषित कर दिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को संस्थान एवं छात्रावास में नियमों की पालना करना अनिवार्य है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।


अधिष्ठाता
०८/११/२१

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता (शोध)
2. विभागाध्यक्ष डी.ई. / डी.ई.ई. / डी.ई.एस.एम. / डी.ई.एस.एस.एच.
3. चीफ वार्डन / डिप्टी चीफ वार्डन
4. सभी वार्डन, (राणाप्रताप / शिवाजी / लक्ष्मीबाई / रणजीत / तिलक)
5. छात्र सलाहकार / एन.सी.सी. अधिकारी / इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
6. निजी सहायक (प्राचार्य)
7. प्रशासनिक अधिकारी / लेखाधिकारी
8. अनुभाग अधिकारी (प.एवं क.) / अनुभाग अधिकारी (अ)
9. सुरक्षा पर्यवेक्षक को निर्देशित किया जाता है कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के पास किसी भी प्रकार का वाहन नहीं होना चाहिये। वर्तमान में जिनके पास वाहन है उन्हें तुरन्त प्रभाव से हटाया जाना सुनिश्चित करें। वाहन नहीं हटाने पर वार्डन को सूचित किया जाए।
10. सभी छात्रावास क्लर्क, (राणाप्रताप / शिवाजी / लक्ष्मीबाई / रणजीत / तिलक)
11. सूचना पट्ट - संस्थान / छात्रावास
12. गार्ड फाईल


अधिष्ठाता
०८/११/२१

अनुशासनात्मक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 22.04.2022

प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. राजेश मिश्र, अधिष्ठाता महोदय एवं विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एस.एच. की अध्यक्षता में दिनांक 21.04.2022 को सांय 4:00 बजे कक्ष संख्या 102 में प्रोक्टोरियल बोर्ड/एंटीरेगींग समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

- | | |
|--|---|
| 1 प्रो. के. चन्द्रशेखर, इंचार्ज विभागाध्यक्ष डी.ई. | 5 डॉ. वी.पी. आर्य, वार्डन, तिलक छात्रावास |
| 2 डॉ. ऐ.के. आर्य, विभागाध्यक्ष डी.ई.ई. | 6 डॉ. राजीव रंजन वार्डन, रणजीत छात्रावास |
| 3 प्रो. आर.बी. पारीक, विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम. | 7 श्री विनीत कुमार शर्मा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षा |
| 4 डॉ. रामनिवास, चीफ वार्डन | 8 श्री प्रेम चन्द गहलोत, इंचार्ज अनुभाग अधिकारी (अ) |

निम्नलिखित सदस्य प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके :-

1. डॉ. ओ.पी. मीणा, डिप्टी चीफ वार्डन
2. श्रीमती रंजना नागर, वार्डन, राणाप्रताप छात्रावास
3. डॉ. इंदू शर्मा, वार्डन शिवाजी छात्रावास
4. डॉ. स्नेह सुधा, वार्डन लक्ष्मी बाई छात्रावास
5. डॉ. ए.के. नैनावत, छात्र सलाहकार एवं एन.सी.सी. अधिकारी

बैठक में दिनांक 15.04.2022 को रात्रि 9:10 बजे के आसपास रणजीत छात्रावास में हुए घटनाक्रम के सम्बंध में एक ई-मेल Helpline – Anti Regging <helpline@antiragging.in> श्री रवि, सुपरवाइजर, एंटीरेगींग हेल्पलाइन 1800-180-5522 से प्राप्त हुआ। इसी क्रम में संस्थान के छात्र अभिषेक द्विवेदी बी.ए.बी.एड. प्रथम वर्ष द्वारा भेजा गया ई-मेल संस्थान को भी प्राप्त हुआ। उक्त घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए रणजीत छात्रावास में रह रहे छात्र अभिषेक द्विवेदी व मेल में उल्लेखित अन्य छात्रों हर्ष कुमार बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष, गोविंदा बी.एससी.बी.एड. तृतीय वर्ष, राघव कुमावत बी.एससी.बी.एड. तृतीय वर्ष, विकास कुमार बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष एवं संपत यादव बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष को भी बुलाया गया।

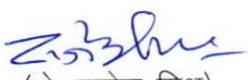
सभी छात्रों का कहना है कि मेस में खाना खाने के सम्बंध में कक्षानुसार समय सीमा निर्धारित की हुई है। छात्र अभिषेक द्विवेदी के उक्त समय सीमा में नहीं आने के कारण छात्र गोविंदा बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष, आकाश बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष एवं विनीत बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष जो कि मेस प्रीफेक्ट है ने समय सीमा का पालन करने हेतु छात्र अभिषेक द्विवेदी को हिदायत दी। कुछ देर बाद इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। छात्र अभिषेक द्विवेदी ने घबराकर उक्त हेल्पलाईन पर सूचना दे दी।

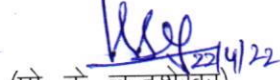
रणजीत छात्रावास में रह रहे बी.एड. एवं एम.एड. प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को बुलाकर बी.एड. प्रथम वर्ष के छात्र तरुण कुमार एवं एम.एड. प्रथम वर्ष के छात्र सचिन सेंगर से उक्त घटनाक्रम के बारे में विस्तार से पूछताछ की गई। तत्पश्चात् समिति इस निर्णय पर पहुंची कि घटनाक्रम मेस में खाने के समय सीमा से सम्बंधित था। रणजीत छात्रावास में रह रहे बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष के छात्रों के अलावा लगभग सभी छात्र नए थे जिसे वे उस स्थिति को समझ नहीं सके। उत्पन्न हुए विवाद के सम्बंध में सभी छात्रों ने आपस में सहमति दी है कि फिर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस पर छात्र अभिषेक द्विवेदी ने भी सहमति लिखित में व्यक्त की है कि मेरे साथ रेगिंग एवं दुर्व्यवहार जैसी घटना नहीं हुई है।

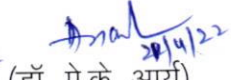
उपरोक्त के सम्बंध में एक पत्र ई-मेल Helpline – Anti Regging <helpline@antiragging.in> श्री रवि, सुपरवाइजर, एंटीरेगींग हेल्पलाइन को भेजे जाने के सम्बंध में समिति अनुशंसा करती है। भेजे जाने वाला पत्र अनुमोदन हेतु संलग्न है।

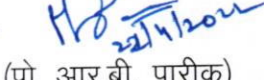
बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

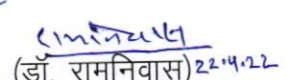
अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

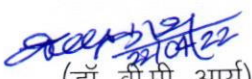

(प्रो. राजेश मिश्र)


(प्रो. के. चन्द्रशेखर)

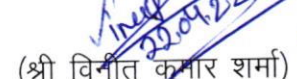

(डॉ. ऐ.के. आर्य)

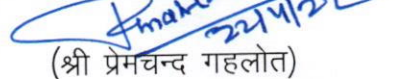

(प्रो. आर.बी. पारीक)


(डॉ. रामनिवास) 22.4.22

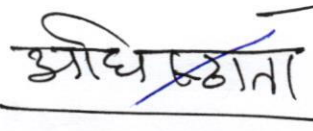

(डॉ. वी.पी. आर्य)


(डॉ. राजीव रंजन)


(श्री विनीत कुमार शर्मा)


(श्री प्रेमचन्द गहलोत)

प्राचार्य


अधिष्ठाता

22/04/2022




Academic Section RIE, Ajmer <academic.rieajmer@gmail.com>

Regarding Bullying and Ragging by our Integrated Third Year Seniors and Second Year Seniors.

1 message

rie ajmer <rieajmer@yahoo.com>

Fri, Apr 22, 2022 at 2:51 PM

Reply-To: rie ajmer <rieajmer@yahoo.com>

To: "helpline@antiragging.in" <helpline@antiragging.in>

Cc: Academic Section Ajmer <academicrieajmer@gmail.com>, Principal Office <principalrieajmer@gmail.com>

Sir/Madam,

Please find enclosed file.

With Regards,

Regional Institute of Education,
Captain D.P.Choudhary Marg,
Ajmer.

 **Anti regging.pdf**
753K

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान

REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा 'ए'+ श्रेणी प्रदत्त

Accredited by NAAC with A+ Grade

(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्)

(National Council of Educational Research & Training)

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

(An Autonomous Organization under Ministry of HRD, Government of India)

कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, अजमेर-305004

Capt. D.P. Choudhary Marg, Ajmer-305004

फोन: 0145-2643671/2644630/2643721

फैक्स: 0145-2643862

ई-मेल (E-Mail): rieajmer@yahoo.com

वेबसाईट (Website): www.rieajmer.ac.in

Through : E-mail

क्र.एफ. 9-बी-65 / प्रो.बो. / 2021-22 / 458

दिनांक: 22.04.2022

22 APR 2022

Helpline – Anti Regging <helpline@antiragging.in>

श्री रवि, सुपरवाइजर,

एंटीरेगींग हेल्पलाइन 1800-180-5522

विषय:- Regarding Bullying and Ragging by our Integrated Third Year Seniors and Second Year Seniors.

मान्यवर,

आपसे प्राप्त ई-मेल के संदर्भ में संस्थान की प्रोक्टोरियल बोर्ड/एंटीरेगींग समिति ने दिनांक 21.04.2022 को सांय 4:00 बजे एक बैठक आयोजित कर दिनांक 15.04.2022 को रात्रि 9:10 बजे के आसपास रणजीत छात्रावास में हुए घटनाक्रम के सम्बंध में संस्थान के छात्र अभिषेक द्विवेदी बी.ए.बी.एड. प्रथम वर्ष मेल में उल्लेखित अन्य छात्रों हर्ष कुमार बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष, गोविंदा बी.एससी.बी.एड. तृतीय वर्ष, राघव कुमावत बी.एससी.बी.एड. तृतीय वर्ष, विकास कुमार बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष एवं संपत यादव बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष को भी बुलाकर विस्तार से पूछताछ की गई।

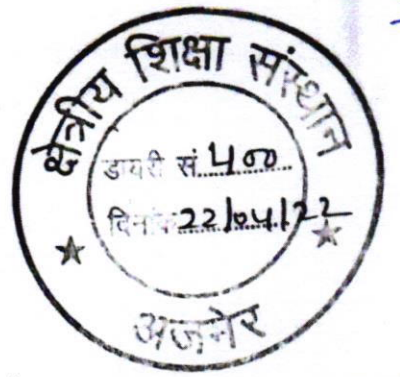
रणजीत छात्रावास में रह रहे बी.एड. एवं एम.एड. प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को बुलाकर बी.एड. प्रथम वर्ष के छात्र तरुण कुमार एवं एम.एड. प्रथम वर्ष के छात्र सचिन सेंगर से उक्त घटनाक्रम के बारे में विस्तार से पूछताछ की गई।

सभी छात्रों का कहना है कि मेस में खाना खाने के सम्बंध में कक्षानुसार समय सीमा निर्धारित की हुई है। छात्र अभिषेक द्विवेदी के उक्त समय सीमा में नहीं आने के कारण छात्र गोविंदा बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष, आकाश बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष एवं विनीत बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष जो कि मेस प्रीफेक्ट हैं ने समय सीमा का पालन करने हेतु छात्र अभिषेक द्विवेदी को हिदायत दी। कुछ देर बाद इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। छात्र अभिषेक द्विवेदी ने घबराकर उक्त हेल्पलाईन पर सूचना दे दी।

तत्पश्चात् समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि घटनाक्रम मेस में खाने के समय सीमा से सम्बंधित था। रणजीत छात्रावास में रह रहे बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष के छात्रों के अलावा लगभग सभी छात्र नए थे जिसे वे उस स्थिति को समझ नहीं सके। उत्पन्न हुए विवाद के सम्बंध में सभी सम्बंधित छात्रों ने आपस में सहमति दी है कि फिर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस पर छात्र अभिषेक द्विवेदी ने भी सहमति लिखित में व्यक्त की है कि मेरे साथ रेगिंग एवं दुर्व्यवहार जैसी घटना नहीं हुई (प्रति सलंगन) है।

सलंगन उपरोक्तानुसार:-

भवदीय,
22/04/2022
प्राचार्य



सेवा में

श्रीमान प्रचार्य महोदय

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर, राजस्थान

विषय- आपसी सहमति एवं सुलह के सन्दर्भ में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं प्रणीत अभिषेक द्विवेदी संस्थान में बी.ए. बी.एड. प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरे द्वारा एण्टी रैंगिंग सेल में किए गए मेल को मिसइन्टरप्रेट किया गया तथा हमारे सीनियर छात्रों के द्वारा हमारे साथ किसी भी प्रकार की रैंगिंग व दुर्यवहार नहीं किया गया है। वहीं गाइडेंस के अभाव में मैंने गलती से मेल एण्टी रैंगिंग सेल में कर दिया था। तथा आपसी सहमति व संस्थान के प्रयासों से सभी मुद्दों को सुलझा दिया गया है। मुझे अपने सीनियर्स या संस्थान से कोई भी शिकायत नहीं है।

मैं अपने द्वारा किए गए उस मेल को मद्देनजर अब आगे कोई भी प्क्शन न लेने की गुजारिश करता हूँ।

• |सधन्यवाद।

दिनांक - 22/04/2022

अभिषेक
22/04/2022

भवनिष्ठ
अभिषेक द्विवेदी
बी.ए. बी.एड. प्रथम वर्ष
अभिषेक द्विवेदी

22/04/2022 Sign- Abhishek Dwivedi

Regarding your e-mail dated 25.04.2022

1 message

rie ajmer <rieajmer@yahoo.com>

Wed, Apr 27, 2022 at 6:03 PM

Reply-To: rie ajmer <rieajmer@yahoo.com>

To: "helpline@antiragging.in" <helpline@antiragging.in>, "chris1958maxwell@gmail.com" <chris1958maxwell@gmail.com>

Cc: Academic Section Ajmer <academicrieajmer@gmail.com>, "Dr S. V. Sharma" <svsriea@yahoo.co.in>, Dr Rajesh Mishra <mishrarajesh59@gmail.com>

Sir/Madam,

Please find enclosed file.

With Regards,

Regional Institute of Education,
Captain D.P.Choudhary Marg,
Ajmer.**Anti ragging.pdf**

1990K

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान

REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा 'ए' + श्रेणी प्रदत्त

Accredited by NAAC with A+ Grade

(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्)

(National Council of Educational Research & Training)

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

(An Autonomous Organization under Ministry of HRD, Government of India)

कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, अजमेर-305004

Capt. D.P. Choudhary Marg, Ajmer-305004

फोन: 0145-2643671/2644630/2643721

फैक्स: 0145-2643862

ई-मेल (E-Mail): rieajmer@yahoo.com

वेबसाईट (Website): www.rieajmer.ac.in

Through: E-mail

No.F.9-B-65/PB/2021-22 / 541

Dated: 27.04.2022

27 APR 2022

Reference: Your mail from zhang.lee1977@163.com helpline@antiragging.in dated Mon, Apr 25, 2022, at 9:30 PM

The required document as per the format of arc report is enclosed herewith for your kind perusal: -

1. The minutes/details of the investigation done by Anti-ragging Committee/ Proctorial Board is enclosed herewith.
2. The matter didn't correspond to ragging and was sorted out by mutual consent among the students.
3. List of Anti-ragging Committee/Proctorial Board members is enclosed herewith. The meeting(s) was held in physical mode.
4. The report of the Anti-ragging Committee/ Proctorial Board is enclosed herewith.
5. Regulatory authority of the Institution is NCTE.
6. As the matter didn't correspond to ragging and it was all about the timing of mess, hence the matter was sorted out by mutual consent among the students.

Shri Ravi,
Supervisor,
Anti-Ragging Helpline
chris1958maxwell@gmail.com

Principal
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
Regional Institute of Education, AJMER

27/04/2022

अनुशासनात्मक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 22.04.2022

प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. राजेश मिश्र, अधिष्ठाता महोदय एवं विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एस.एच. की अध्यक्षता में दिनांक 21.04.2022 को सांय 4:00 बजे कक्ष संख्या 102 में प्रोक्टोरियल बोर्ड/एंटीरेगींग समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

- | | |
|--|---|
| 1 प्रो. के. चन्द्रशेखर, इंचार्ज विभागाध्यक्ष डी.ई. | 5 डॉ. वी.पी. आर्य, वार्डन, तिलक छात्रावास |
| 2 डॉ. ऐ.के. आर्य, विभागाध्यक्ष डी.ई.ई. | 6 डॉ. राजीव रंजन वार्डन, रणजीत छात्रावास |
| 3 प्रो. आर.बी. पारीक, विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम. | 7 श्री विनीत कुमार शर्मा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षा |
| 4 डॉ. रामनिवास, चीफ वार्डन | 8 श्री प्रेम चन्द गहलोत, इंचार्ज अनुभाग अधिकारी (अ) |

निम्नलिखित सदस्य प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके :-

1. डॉ. ओ.पी. मीणा, डिप्टी चीफ वार्डन
2. श्रीमती रंजना नागर, वार्डन, राणाप्रताप छात्रावास
3. डॉ. इंदू शर्मा, वार्डन शिवाजी छात्रावास
4. डॉ. स्नेह सुधा, वार्डन लक्ष्मी बाई छात्रावास
5. डॉ. ए.के. नैनावत, छात्र सलाहकार एवं एन.सी.सी. अधिकारी

बैठक में दिनांक 15.04.2022 को रात्रि 9:10 बजे के आसपास रणजीत छात्रावास में हुए घटनाक्रम के सम्बंध में एक ई-मेल Helpline - Anti Ragging <helpline@antiragging.in> श्री रवि, सुपरवाइजर, एंटीरेगींग हेल्पलाइन 1800-180-5522 से प्राप्त हुआ। इसी क्रम में संस्थान के छात्र अभिषेक द्विवेदी बी.ए.बी.एड. प्रथम वर्ष द्वारा भेजा गया ई-मेल संस्थान को भी प्राप्त हुआ। उक्त घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए रणजीत छात्रावास में रह रहे छात्र अभिषेक द्विवेदी व मेल में उल्लेखित अन्य छात्रों हर्ष कुमार बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष, गोविंदा बी.एससी.बी.एड. तृतीय वर्ष, राघव कुमावत बी.एससी.बी.एड. तृतीय वर्ष, विकास कुमार बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष एवं संपत यादव बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष को भी बुलाया गया।

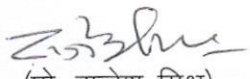
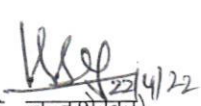
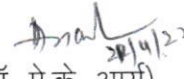
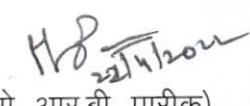
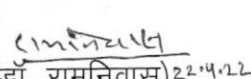
सभी छात्रों का कहना है कि मेस में खाना खाने के सम्बंध में कक्षानुसार समय सीमा निर्धारित की हुई है। छात्र अभिषेक द्विवेदी के उक्त समय सीमा में नहीं आने के कारण छात्र गोविंदा बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष, आकाश बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष एवं विनीत बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष जो कि मेस प्रीफेक्ट है ने समय सीमा का पालन करने हेतु छात्र अभिषेक द्विवेदी को हिदायत दी। कुछ देर बाद इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। छात्र अभिषेक द्विवेदी ने घबराकर उक्त हेल्पलाईन पर सूचना दे दी।

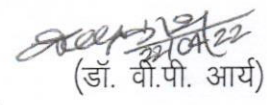
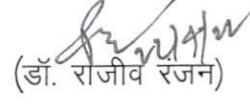
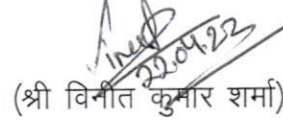
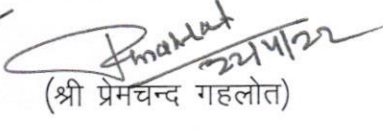
रणजीत छात्रावास में रह रहे बी.एड. एवं एम.एड. प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को बुलाकर बी.एड. प्रथम वर्ष के छात्र तरुण कुमार एवं एम.एड. प्रथम वर्ष के छात्र सचिन सेंगर से उक्त घटनाक्रम के बारे में विस्तार से पूछताछ की गई। तत्पश्चात् समिति इस निर्णय पर पहुंची कि घटनाक्रम मेस में खाने के समय सीमा से सम्बंधित था। रणजीत छात्रावास में रह रहे बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष के छात्रों के अलावा लगभग सभी छात्र नए थे जिसे वे उस स्थिति को समझ नहीं सके। उत्पन्न हुए विवाद के सम्बंध में सभी छात्रों ने आपस में सहमति दी है कि फिर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस पर छात्र अभिषेक द्विवेदी ने भी सहमति लिखित में व्यक्त की है कि मेरे साथ रेगिंग एवं दुर्व्यवहार जैसी घटना नहीं हुई है।

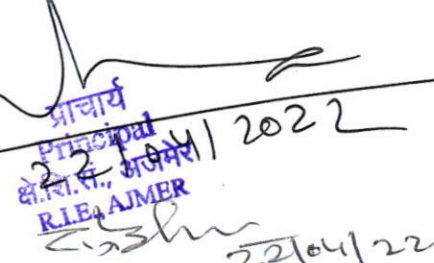
उपरोक्त के सम्बंध में एक पत्र ई-मेल Helpline - Anti Ragging <helpline@antiragging.in> श्री रवि, सुपरवाइजर, एंटीरेगींग हेल्पलाइन को भेजे जाने के सम्बंध में समिति अनुशंसा करती है। भेजे जाने वाला पत्र अनुमोदन हेतु संलग्न है।

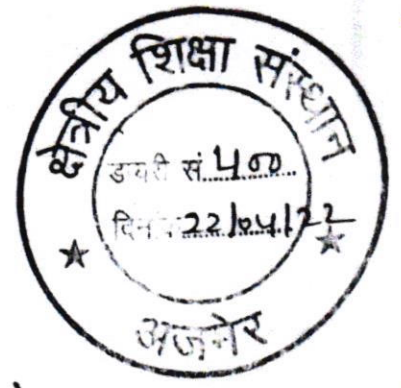
बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

 (प्रो. राजेश मिश्र)
  (प्रो. के. चन्द्रशेखर)
  (डॉ. ऐ.के. आर्य)
  (प्रो. आर.बी. पारीक)
  (डॉ. रामनिवास)

 (डॉ. वी.पी. आर्य)
  (डॉ. राजीव रंजन)
  (श्री विनीत कुमार शर्मा)
  (श्री प्रेमचन्द गहलोत)

 प्राचार्य
  22/04/2022



सेवा में

श्रीमान प्रचार्य महोदय

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर, राजस्थान

विषय- आपसी सहमति एवं सुलह के सन्दर्भ में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं प्रवीं अभिषेक द्विवेदी संस्थान में बी. ए. बी. एड. प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरे द्वारा एण्टी रैगिंग सेल में किए गए मेल को मिसइन्टरप्रेट किया गया तथा हमारे सीनियर छात्रों के द्वारा हमारे साथ किसी भी प्रकार की रैगिंग व दुर्यवहार नहीं किया गया है। वहीं गाइडेंस के अभाव में मैंने गलती से मेल एण्टी रैगिंग सेल में कर दिया था। तथा आपसी सहमति व संस्थान के प्रयासों से सभी मुद्दों को सुलझा दिया गया है। मुझे अपने सीनियर्स या संस्थान से कोई भी शिकायत नहीं है।

मैं अपने द्वारा किए गए उस मेल को मद्देनजर अब आगे कोई भी प्श्चान न लेने की ग्युजरिश करता हूँ।

|सधन्यवाद।

दिनांक - 22/04/2022

अभिषेक

22/04/2022

22/04/2022

भवनिष्ठ
अभिषेक द्विवेदी
बी. ए. बी. एड. प्रथम वर्ष
अभिषेक द्विवेदी

Abhishek Dwivedi

REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION, AJMER

List of Anti-ragging Committee/Proctorial Board

S.No.	Name of Officer/ Official	Designation	Position of the members	Contact No. & E-mail ID	Signature
1	Prof. Rajesh Mishra	Dean of Instructions & Head DESSH	Chairperson	9414002662 mishrarajesh59@gmail.com	
2	Prof. Ayushman Goswami	Professor & Head DE	Member	9414074356 ayushmangoswami1975@rediffmail.com	
3	Dr. A.K. Arya	Associate Professor & Head DEE	Member	9461068296 Anandarya2001@yahoo.com	
4	Prof. R.B. Pareek	Professor & Head DESM	Member	9462085283 rambabupareek@yahoo.com	
5	Dr. Ram Niwas	Associate Professor & Chief Warden	Member	9549737800 ram_niwas1964@rediffmail.com	
6	Dr. O.P. Meena	Assistant Professor & Deputy Chief Warden	Member	7597726678 opmeenancert@gmail.com	on deputation
7	Dr. Indu Sharma	PGT & Warden of Rana Pratap, Shivaji & Laxmi Bai Hostel	Member	9413691719 dr.indu@hotmail.com	
8	Dr. V.P. Arya	Assistant Professor & Warden of Tilak Hostel	Member	7597521632 aryavedo@yahoo.com	on deputation
9	Dr. Rajiv Ranjan	Assistant Professor & Warden of Ranjeet Hostel	Member	9530060459 specialed01india@gmail.com	
10	Dr. A.K. Nainawat	Associate Professor & Students' Advisor/NCC Officer	Member of Proctorial Board and Convener of Anti-ragging Committee	9414605854 Anilnain27@rediffmail.com	
11	Sh. Vineet Kumar Sharma	I/c Physical Education	Member	9201185029 sharmavineet654@gmail.com	
12	Sh. Girish Devgade	Security Supervisor	Member	9424044887 jgdevgade@rediffmail.com	
13	Sh. P.C. Gahlot	I/c S.O. (Academic Section)	Convener of Proctorial Board	9460811600 gahlotp@yahoo.com	
14	Sh. Bhupinder Singh	L.D.C.	Co-convener of Anti-ragging Committee	9413228398 ajmerbhupindersingh@gmail.com	

(Rajesh Mishra)
Chairperson, Anti-ragging
Committee/Proctorial Board
Professor & Dean of Instructions

अनुशासनात्मक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 22.04.2022

प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. राजेश मिश्र, अधिष्ठाता महोदय एवं विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एस.एच. की अध्यक्षता में दिनांक 21.04.2022 को सांय 4:00 बजे कक्ष संख्या 102 में प्रोक्टोरियल बोर्ड/एंटीरेगींग समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

- | | |
|--|---|
| 1 प्रो. के. चन्द्रशेखर, इंचार्ज विभागाध्यक्ष डी.ई. | 5 डॉ. वी.पी. आर्य, वार्डन, तिलक छात्रावास |
| 2 डॉ. ऐ.के. आर्य, विभागाध्यक्ष डी.ई.ई. | 6 डॉ. राजीव रंजन वार्डन, रणजीत छात्रावास |
| 3 प्रो. आर.बी. पारीक, विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम. | 7 श्री विनीत कुमार शर्मा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षा |
| 4 डॉ. रामनिवास, चीफ वार्डन | 8 श्री प्रेम चन्द गहलोत, इंचार्ज अनुभाग अधिकारी (अ) |

निम्नलिखित सदस्य प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके :-

1. डॉ. ओ.पी. मीणा, डिप्टी चीफ वार्डन
2. श्रीमती रंजना नागर, वार्डन, राणाप्रताप छात्रावास
3. डॉ. इंदू शर्मा, वार्डन शिवाजी छात्रावास
4. डॉ. स्नेह सुधा, वार्डन लक्ष्मी बाई छात्रावास
5. डॉ. ए.के. नैनावत, छात्र सलाहकार एवं एन.सी.सी. अधिकारी

बैठक में दिनांक 15.04.2022 को रात्रि 9:10 बजे के आसपास रणजीत छात्रावास में हुए घटनाक्रम के सम्बंध में एक ई-मेल Helpline - Anti Regging <helpline@antiragging.in> श्री रवि, सुपरवाइजर, एंटीरेगींग हेल्पलाइन 1800-180-5522 से प्राप्त हुआ। इसी क्रम में संस्थान के छात्र अभिषेक द्विवेदी बी.ए.बी.एड. प्रथम वर्ष द्वारा भेजा गया ई-मेल संस्थान को भी प्राप्त हुआ। उक्त घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए रणजीत छात्रावास में रह रहे छात्र अभिषेक द्विवेदी व मेल में उल्लेखित अन्य छात्रों हर्ष कुमार बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष, गोविंदा बी.एससी.बी.एड. तृतीय वर्ष, राघव कुमावत बी.एससी.बी.एड. तृतीय वर्ष, विकास कुमार बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष एवं संपत यादव बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष को भी बुलाया गया।

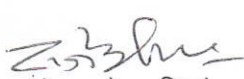
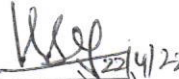
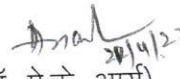
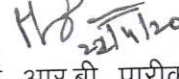
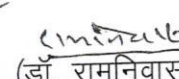
सभी छात्रों का कहना है कि मेस में खाना खाने के सम्बंध में कक्षानुसार समय सीमा निर्धारित की हुई है। छात्र अभिषेक द्विवेदी के उक्त समय सीमा में नहीं आने के कारण छात्र गोविंदा बी.ए.बी.एड. तृतीय वर्ष, आकाश बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष एवं विनीत बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष जो कि मेस प्रीफेक्ट है ने समय सीमा का पालन करने हेतु छात्र अभिषेक द्विवेदी को हिदायत दी। कुछ देर बाद इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। छात्र अभिषेक द्विवेदी ने घबराकर उक्त हेल्पलाइन पर सूचना दे दी।

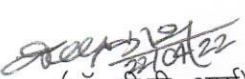
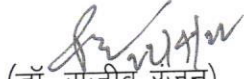
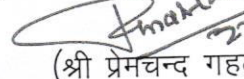
रणजीत छात्रावास में रह रहे बी.एड. एवं एम.एड. प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को बुलाकर बी.एड. प्रथम वर्ष के छात्र तरुण कुमार एवं एम.एड. प्रथम वर्ष के छात्र सचिन सेंगर से उक्त घटनाक्रम के बारे में विस्तार से पूछताछ की गई। तत्पश्चात् समिति इस निर्णय पर पहुंची कि घटनाक्रम मेस में खाने के समय सीमा से सम्बंधित था। रणजीत छात्रावास में रह रहे बी.ए.बी.एड. द्वितीय वर्ष के छात्रों के अलावा लगभग सभी छात्र नए थे जिसे वे उस स्थिति को समझ नहीं सके। उत्पन्न हुए विवाद के सम्बंध में सभी छात्रों ने आपस में सहमति दी है कि फिर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस पर छात्र अभिषेक द्विवेदी ने भी सहमति लिखित में व्यक्त की है कि मेरे साथ रेगींग एवं दुर्व्यवहार जैसी घटना नहीं हुई है।

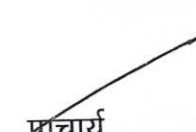
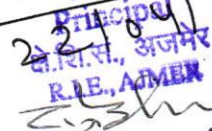
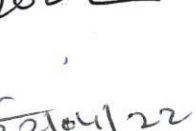
उपरोक्त के सम्बंध में एक पत्र ई-मेल Helpline - Anti Regging <helpline@antiragging.in> श्री रवि, सुपरवाइजर, एंटीरेगींग हेल्पलाइन को भेजे जाने के सम्बंध में समिति अनुशंसा करती है। भेजे जाने वाला पत्र अनुमोदन हेतु संलग्न है।

बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

 (प्रो. राजेश मिश्र)
  (प्रो. के. चन्द्रशेखर)
  (डॉ. ऐ.के. आर्य)
  (प्रो. आर.बी. पारीक)
  (डॉ. रामनिवास)

 (डॉ. वी.पी. आर्य)
  (डॉ. राजीव रंजन)
  (श्री विनीत कुमार शर्मा)
  (श्री प्रेमचन्द गहलोत)

 प्राचार्य
 प्राचार्य
 22/04/2022
 22/04/22

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर (अकादमिक शाखा)

एफ.क्र.9-बी-65/प्रो. बो./2021-22/

दिनांक : 15.07.2022

सूचना

दिनांक 15.07.2022 को सांय 3:00 बजे कक्ष संख्या 102 में प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक का आयोजन रखा गया है। समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थित होने का श्रम करें :-

- 1 अधिष्ठाता
- 2 अध्यक्ष, डी.ई. / डी.ई.ई. / डी.ई.एस.एम. / डी.ई.एस.एस.एच.
- 3 चीफ वार्डन
- 4 डिप्टी चीफ वार्डन
- 5 वार्डन, राणाप्रताप / शिवाजी / लक्ष्मीबाई / तिलक / रणजीत छात्रावास
- 6 छात्र सलाहकार
- 7 संयुक्त छात्र सलाहकार
- 8 एन.सी.सी. अधिकारी
- 9 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
- 10 अनुभाग अधिकारी (अकादमिक) - संयोजक
- 11 सुरक्षा पर्यवेक्षक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक (प्राचार्य) - *Rohit*
2. समस्त सदस्य, प्रोक्टोरियल बोर्ड


 अनुभाग अधिकारी (अ)

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

छात्रावासों के नियम

अनुशासनात्मक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 15.07.2022

प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. राजेश मिश्र, अधिष्ठाता महोदय एवं विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एस.एच. की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2022 को सांय 3:00 बजे कक्ष संख्या 102 में प्रोक्टोरियल बोर्ड समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | |
|--|--|
| 1 प्रो. के. चन्द्रशेखर, इंचार्ज विभागाध्यक्ष डी.ई. | 6 डॉ. राजीव रंजन, वार्डन, रणजीत छात्रावास |
| 2 डॉ. आनन्द कुमार आर्य, विभागाध्यक्ष, डी.ई.ई. | 7 डॉ. मीनाक्षी मीणा, संयुक्त छात्र सलाहकार |
| 3 प्रो. आर.बी. पारीक, विभागाध्यक्ष डी.ई.एस.एम. | 8 श्री विनीत कुमार शर्मा, इंचार्ज शारीरिक शिक्षा |
| 4 डॉ. रामनिवास, चीफ वार्डन | 9 श्री जगदीश प्रसाद वर्मा अनुभाग अधिकारी (अ.) |
| 5 डॉ. ओ.पी. मीणा, डिप्टी चीफ वार्डन | 10 श्री गिरीश देवगड़े, सुरक्षा पर्यवेक्षक |

निम्नलिखित सदस्य प्रतिनियुक्ति/आवश्यक कार्य होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके: -

1. डॉ. इंदू शर्मा, वार्डन, राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई
2. डॉ. वेद प्रकाश आर्य, वार्डन, तिलक
3. डॉ. अनिल कुमार नैनावत, छात्र सलाहकार एवं एन.सी.सी. अधिकारी

बैठक में छात्रावास के नियमों के सम्बंध में विस्तार से चर्चा की गई और निम्न बिन्दुओं पर अनुशंसाएं की गई :-

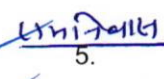
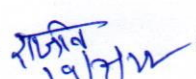
1. भारत सरकार की गाईडलाईन एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार "रैगिंग" पूरे कैम्पस एवं हॉस्टल में प्रतिबंधित है। अगर किसी भी छात्र-छात्रा को इसमें लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसमें छात्रावास और संस्थान से निष्कासन भी संभव है।
2. छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राएँ यह सुनिश्चित करें कि :-
निम्नलिखित कार्य छात्रावास अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएँगे-
2.1 हॉस्टल में किसी भी तरह की अशांति करना।
2.2 हॉस्टल फर्नीचर, दीवार, दरवाजे इत्यादि को किसी भी तरह की क्षति पहुँचाना।
2.3 वार्डन की अनुमति के बिना कोई भी मीटिंग करना।
2.4 किसी हॉस्टल स्टाफ या साथ रहने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही करना।
2.5 हॉस्टल में बाहरी व्यक्तियों/निष्कासित छात्र/पूर्व छात्र को आमंत्रित करना।
2.6 किसी भी तरह की अश्लील सामग्री पास में रखना।
2.7 अपने पास हॉस्टल में कोई केमिकल, विस्फोटक सामग्री, जानलेवा हथियार, विषैला पदार्थ या मादक द्रव्य रखना।
2.8 बिजली व्यवस्था व तारों से हॉस्टल व अपने कमरों में किसी तरीके की छेड़छाड़ करना।
2.9 किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना हॉस्टल से अनुपस्थित रहना।
2.10 समाचार पत्रों के पन्नों को फाड़ना।
2.11 छात्रावास परिसर में खेल मैदान के अतिरिक्त स्थानों पर खेलना।
2.12 छात्रावास की छतों पर कपड़े धोना और स्नान करना।
2.13 छात्रावास की छतों पर रखी टंकियों से छेड़छाड़ करना।
2.14 बाथरूम में अनावश्यक पानी बहाना।
2.15 छात्रावास के पेड़-पौधों व फूलों को तोड़ना।
2.16 मैस में लगे मैनु एवं संस्थान के नोटिस एवं अन्य सूचनाओं को फाड़ना।
2.17 छात्रावास में अशोभनीय व्यवहार करना।
2.18 कोई भी अन्य कार्य जो दुराचार के अधीन आए।
3. किसी भी छात्र/छात्राओं द्वारा कमरों में खाना पकाना या मेस से खाना कमरों में ले जाना मना है परन्तु यदि कोई छात्र/छात्रा बीमार है तो डॉक्टर पर्ची दिखाकर मेस से खाना कमरे में लेकर जा सकता/सकती है।

समिति के हस्ताक्षर

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	8.	9.	10.		

4. यदि कोई छात्र/छात्रा छात्रावास सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है तो CPWD की निर्धारित दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिये संबंधित छात्र-छात्रा से संस्थान क्षतिपूर्ति करेगा। सम्पत्ति की क्षति की गंभीरता के आधार पर छात्रावास/संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है।
5. छात्र/छात्राओं से संस्थान व छात्रावास परिसर में यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना रहन-सहन, आचरण और व्यवहार में अनुशासन एवं सौम्यता के साथ रहें जिससे संस्थान व छात्रावास में अनुशासन बना रहे।
6. यदि कोई विद्यार्थी संस्थान प्रशासन के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अपनी माँग अथवा समस्या के लिये दवाब में लाने की कोशिश करता है तो ऐसे छात्र/छात्राओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी साथ ही गंभीरता के आधार पर उसे छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है।
7. यदि कोई छात्र/छात्रा संस्थान/छात्रावास के नियमों की अवमानना करता है और संस्थान तथा संस्थान परिसर के बाहर यदि उनके साथ कोई दुर्घटना/इन्सीडेंट होता है तो संबंधित छात्र/छात्रा स्वयं ही जिम्मेदार होगा।
8. सभी छात्र/छात्राएँ नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहेंगे।
9. छात्रावास की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये छात्रों की सहमति से चुने गये छात्र जैसे मेस परफेक्ट, विंग प्रीफेक्ट, कल्चरल सचिव, हैल्थ सचिव, छात्रावास प्रीफेक्ट आदि को सहयोग करेंगे।
10. कोई भी छात्र किसी दूसरे छात्र के साथ या मेस में कार्यरत स्टाफ या हॉस्टल कर्मचारी के साथ किसी भी तरह का अशोभनीय व्यवहार न करें। इस तरीके के सभी मामले सक्षम अधिकारी या वार्डन के नोटिस में लाएँ।
11. विद्युत से चलने वाले यंत्र जैसे हीटर, टेबल फैन, स्टोव, कूलर इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित है। रेडियो या टेप कम आवाज में सुने जा सकते हैं। परन्तु study hours (पढ़ाई के दौरान) इनका उपयोग न करें। woofer (वूफर) और बड़े स्पीकर प्रतिबंधित हैं।
12. छात्र अपने कमरों में पंखे और लाईट का उचित प्रयोग करें। जब इनका उपयोग न हो तो बंद कर दें। छात्र अपने कमरों में स्थित लाइट, पंखे, स्विच, बल्ब, होल्डर, रेगुलेटर इत्यादि के जिम्मेदार हैं। इन वस्तुओं से छेड़छाड़ या क्षति की स्थिति में जुर्माना देना पड़ेगा। रुपये 500/- (न्यूनतम) या वस्तु के दाम जो भी मार्केट में रेट सही हो जुर्माना देना होगा।
13. छुट्टियों के समय कोई भी छात्र/छात्रा छात्रावास में नहीं रह सकता/सकती।
14. हॉस्टल की साफ-सफाई और स्वच्छता में सभी छात्र सहयोग करेंगे। हर छात्र अपने कमरे की साफ-सफाई का स्वयं ध्यान रखेंगे।
15. हॉस्टल वार्डन की अनुमति से जन्मदिन इत्यादि लिविंग रूम में मनाए जा सकते हैं परन्तु इस दौरान किसी प्रकार की अशांति, झगड़ा इत्यादि होता है तो जन्मदिन के लिये कार्यक्रम करने वाला छात्र/छात्रा जिम्मेदार होगा व उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। रात्रि 10:00 बजे के बाद कोई भी आयोजन नहीं होगा।
16. छात्रावास में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने से पूर्व लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही वह अनुशासन में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इन कार्यक्रमों के शांतिपूर्ण व अनुशासितरूप में करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आयोजन समिति की होगी।
17. किसी भी प्रकार की शिकायत हॉस्टल प्रीफेक्ट या छात्र/छात्रा प्रतिनिधि के माध्यम से अपने हॉस्टल के असिस्टेंट वार्डन या वार्डन के पास पहुँचाए। इसके बाद ही उक्त शिकायत डिप्टी चीफ वार्डन या चीफ वार्डन के पास प्रस्तुत हो। इस सम्बंध में अनावश्यक रूप से प्रशासन से सीधे संवाद न करें।
18. छुट्टी पर जाने से पूर्व सभी छात्र/छात्राएँ अपनी छुट्टी सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराने के बाद ही जाएँ। छुट्टी का निर्धारित प्रपत्र भर कर वार्डन से अनुमोदन कराएँ। बिना पूर्व आज्ञा हॉस्टल से अनुपस्थिति अनधिकृत मानी जाएगी।
19. चिल्लाना, शोर मचाना या तेज आवाज में गाना गाने या तेज ध्वनि में साउण्ड सिस्टम चलाना यह सब प्रतिबंधित है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
20. यदि छात्र/छात्राओं को आवश्यक कार्य के लिए संस्थान के बाहर जाना पड़ता है तो जाते समय व लौटते समय हॉस्टल व संस्थान के मुख्य द्वार पर रखे रजिस्टर में प्रविष्टि कर के जाएँगे।

समिति के हस्ताक्षर

1.  2.  3.  4.  5.  6. 
 7.  8.  9.  10.  

21. छात्रावासों का समय (सभी छात्र/छात्राओं के लिए)

अवधि	संस्थान परिसर से बाहर Outing का समय for all season	संस्थान परिसर के अन्दर Outing का समय	सभी छात्रावासों के मुख्य गेट बंद होने का समय *
On working day	सुबह 06:00 बजे से सुबह 09:00 बजे तक सांय 05:30 बजे से सांय 08:00 बजे तक	सुबह 06:00 बजे से सुबह 09:00 बजे तक सांय 05:30 बजे से सांय 09:00 बजे तक	रात्रि 9:00 बजे
On Holidays/ Gazetted Holidays	सुबह 09:00 बजे सांय 08:00 बजे तक (Any 7 hours)	सुबह 09:00 बजे सांय 09:00 बजे तक	रात्रि 9:00 बजे

* 1. आपातकालीन स्थिति में असिस्टेंट वार्डन/वार्डन/सुरक्षा पर्यवेक्षक के अनुमति से खोले जा सकते हैं।

(वार्डन या डिप्टी चीफ वार्डन कभी भी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति जाँच सकते हैं।)

- उपर्युक्त समय सारणी के अतिरिक्त यदि कोई छात्र/छात्रा आपातकालीन स्थिति में अवकाश पर जाना चाहते हैं तो अपने छात्रावास के असिस्टेंट वार्डन/वार्डन से लिखित अनुमति लेकर जा सकते हैं।
- सभी गर्ल्स हॉस्टल्स तथा बोइज हॉस्टल्स में उपस्थिति प्रतिदिन 9:15 PM पर संबंधित विंग प्रीफेक्ट द्वारा असिस्टेंट वार्डन की निगरानी में ली जायेगी।
- कोई भी छात्र/छात्रा जो छात्रावास में रहते हैं वे बिना अनुमति के छात्रावास परिसर में वाहन नहीं रखेंगे और ना ही कोई बाहरी वाहन लेकर संस्थान में आयेंगे। यदि बिना अनुमति के वाहन रखते हैं/लेकर आते हैं तो उस छात्र/छात्रा को अवमानना का दोषी मानते हुए उचित अनुशासनात्मक कार्रवाही की जायेगी।
- कक्षाओं के समय किसी भी छात्र को हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं है। अगर छात्र बीमार है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से वह हॉस्टल में रह सकता है।
- संस्थान के कार्य दिवस के समय (प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:30 बजे तक) कोई भी छात्र/छात्रा कैम्पस से बाहर नहीं जा सकेंगे। यदि आकस्मिक कारण से बाहर जाना है तो सम्बंधित विभागाध्यक्ष से लिखित अनुमति लेकर जा सकेंगे।
- हॉस्टल में एडमिशन प्रोविजनल आधार पर है। यह सुविधा किसी भी तरह की शिकायत या नियम के उल्लंघन की दशा में निरस्त की जा सकती है।
- म.द.स. विश्वविद्यालय परीक्षाओं में यदि कोई छात्र फेल हो जाता है तो उसका एडमिशन संस्थान एवं हॉस्टल से उसी क्षण रद्द हो जाता है। अगर छात्र री-इवेलुएशन के लिए भी विश्वविद्यालय में आवेदन करे तब भी वह हॉस्टल सुविधा से वंचित रहेगा, जब तक वह विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण घोषित नहीं होता।
- छात्र/छात्राओं के माता-पिता गेस्ट हाउस में कमरे की उपलब्धता के आधार पर ठहर सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ छात्र/छात्रा के संस्थान में नये प्रवेश के समय पर, किसी छात्र/छात्रा के बीमार होने पर या सत्र समाप्ति पर दी जा सकती है जो कि कमरे की उपलब्धता पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से गेस्ट हाउस के नियमानुसार दी जा सकेगी।
- रात को 09:00 बजे बाद यदि कोई छात्र/छात्रा संस्थान परिसर में अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाये जाते हैं तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- समिति द्वारा बिन्दू संख्या 1 से 30 तक के सभी छात्रावास के नियमों को वर्तमान में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मेल द्वारा सूचित करने एवं नये प्रवेशार्थियों को प्रवेश के समय अण्डरटेकिंग ली जाने की अनुशंसा की जाती है।

बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

बिन्दू संख्या 1 से 31 तक के छात्रावास नियम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

- (प्रो. राजेश मिश्र)
- (प्रो. के. चन्द्रशेखर)
- (डॉ. आनन्द कुमार आर्य)
- (प्रो. आर.बी. पारीक)
- (डॉ. रामनिवास)
- (डॉ. ओ.पी. मीणा)
- (डॉ. राजीव रज्जन)
- (डॉ. मीनाक्षी मीणा)
- (श्री विनीत कुमार शर्मा)
- (श्री जगदीश प्रसाद वर्मा)
- (श्री गिरेश देवगड़े)

प्राचार्य
20/07/2022
Dean of Host.

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

फा.स.9-बी-65/प्रो.बो./2021-22/2308-2348

दिनांक 25.07.2022

28 JUL 2022

छात्रावासों के नियम

दिनांक 15.07.2022 को प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में प्रोक्टोरियल बोर्ड समिति की बैठक में छात्रावास के नियमों में आवश्यक संशोधन कर आज दिनांक 25.07.2022 से निम्नानुसार नियम लागू किये जाते हैं:-

1. भारत सरकार की गाईडलाईन एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार "रैगिंग" पूरे कैम्पस एवं हॉस्टल में प्रतिबंधित है। अगर किसी भी छात्र-छात्रा को इसमें लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसमें छात्रावास और संस्थान से निष्कासन भी संभव है।
2. छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राएँ यह सुनिश्चित करें कि :-

निम्नलिखित कार्य छात्रावास अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएँगे-

- 2.1 हॉस्टल में किसी भी तरह की अशांति करना।
- 2.2 हॉस्टल फर्नीचर, दीवार, दरवाजे इत्यादि को किसी भी तरह की क्षति पहुँचाना।
- 2.3 वार्डन की अनुमति के बिना कोई भी मीटिंग करना।
- 2.4 किसी हॉस्टल स्टाफ या साथ रहने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही करना।
- 2.5 हॉस्टल में बाहरी व्यक्तियों/निष्कासित छात्र/पूर्व छात्र को आमंत्रित करना।
- 2.6 किसी भी तरह की अश्लील सामग्री पास में रखना।
- 2.7 अपने पास हॉस्टल में कोई केमिकल, विस्फोटक सामग्री, जानलेवा हथियार, विषैला पदार्थ या मादक द्रव्य रखना।
- 2.8 बिजली व्यवस्था व तारों से हॉस्टल व अपने कमरों में किसी तरीके की छेड़छाड़ करना।
- 2.9 किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना हॉस्टल से अनुपस्थित रहना।
- 2.10 समाचार पत्रों के पन्नों को फाड़ना।
- 2.11 छात्रावास परिसर में खेल मैदान के अतिरिक्त स्थानों पर खेलना।
- 2.12 छात्रावास की छतों पर कपड़े धोना और स्नान करना।
- 2.13 छात्रावास की छतों पर रखी टंकियों से छेड़छाड़ करना।
- 2.14 बाथरूम में अनावश्यक पानी बहाना।
- 2.15 छात्रावास के पेड़-पौधों व फूलों को तोड़ना।
- 2.16 मेस में लगे मैनु एवं संस्थान के नोटिस एवं अन्य सूचनाओं को फाड़ना।
- 2.17 छात्रावास में अशोभनीय व्यवहार करना।
- 2.18 कोई भी अन्य कार्य जो दुराचार के अधीन आए।
3. किसी भी छात्र-छात्राओं द्वारा कमरों में खाना पकाना या मेस से खाना कमरों में ले जाना मना है परन्तु यदि कोई छात्र/छात्रा बीमार है तो डॉक्टर पर्ची दिखाकर मेस से खाना कमरे में लेकर जा सकता/सकती है।
4. यदि कोई छात्र/छात्रा छात्रावास सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है तो CPWD की निर्धारित दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिये संबंधित छात्र-छात्रा से संस्थान क्षतिपूर्ति करेगा। सम्पत्ति की क्षति की गंभीरता के आधार पर छात्रावास/संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है।
5. छात्र/छात्राओं से संस्थान व छात्रावास परिसर में यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना रहन-सहन, आचरण और व्यवहार में अनुशासन एवं सौम्यता के साथ रहें जिससे संस्थान व छात्रावास में अनुशासन बना रहे।
6. यदि कोई विद्यार्थी संस्थान प्रशासन के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अपनी माँग अथवा समस्या के लिये दवाब में लाने की कोशिश करता है तो ऐसे छात्र/छात्राओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी साथ ही गंभीरता के आधार पर उसे छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है।
7. यदि कोई छात्र/छात्रा संस्थान/छात्रावास के नियमों की अवमानना करता है और संस्थान तथा संस्थान परिसर के बाहर यदि उनके साथ कोई दुर्घटना/इन्सीडेंट होता है तो संबंधित छात्र/छात्रा स्वयं ही जिम्मेदार होगा।
8. सभी छात्र/छात्राएँ नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहेंगे।
9. छात्रावास की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये छात्रों की सहमति से चुने गये छात्र जैसे मेस परफेक्ट, विंग प्रीफेक्ट, कल्चरल सचिव, हैल्थ सचिव, छात्रावास प्रीफेक्ट आदि को सहयोग करेंगे।

10. कोई भी छात्र किसी दूसरे छात्र के साथ या मेस में कार्यरत स्टाफ या हॉस्टल कर्मचारी के साथ किसी भी तरह का अशोभनीय व्यवहार न करें। इस तरीके के सभी मामले सक्षम अधिकारी या वार्डन के नोटिस में लाएँ।
11. विद्युत से चलने वाले यंत्र जैसे हीटर, टेबल फैन, स्टोव, कूलर इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित है। रेडियो या टेप कम आवाज में सुने जा सकते हैं। परन्तु study hours (पढ़ाई के दौरान) इनका उपयोग न करें। woofer (वूफर) और बड़े स्पीकर प्रतिबंधित हैं।
12. छात्र अपने कमरों में पंखे और लाइट का उचित प्रयोग करें। जब इनका उपयोग न हो तो बंद कर दें। छात्र अपने कमरों में स्थित लाइट, पंखे, स्विच, बल्ब, होल्डर, रेगुलेटर इत्यादि के जिम्मेदार हैं। इन वस्तुओं से छेड़छाड़ या क्षति की स्थिति में जुर्माना देना पड़ेगा। रुपये 500/- (न्यूनतम) या वस्तु के दाम जो भी मार्केट में रेट सही हो जुर्माना देना होगा।
13. छुट्टियों के समय कोई भी छात्र/छात्रा छात्रावास में नहीं रह सकता/सकती।
14. हॉस्टल की साफ-सफाई और स्वच्छता में सभी छात्र सहयोग करेंगे। हर छात्र अपने कमरे की साफ-सफाई का स्वयं ध्यान रखेंगे।
15. हॉस्टल वार्डन की अनुमति से जन्मदिन इत्यादि लिविंग रूम में मनाए जा सकते हैं परन्तु इस दौरान किसी प्रकार की अशांति, झगड़ा इत्यादि होता है तो जन्मदिन के लिये कार्यक्रम करने वाला छात्र/छात्रा जिम्मेदार होगा व उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। रात्रि 10:00 बजे के बाद कोई भी आयोजन नहीं होगा।
16. छात्रावास में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने से पूर्व लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही वह अनुशासन में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इन कार्यक्रमों के शांतिपूर्ण व अनुशासितरूप में करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आयोजन समिति की होगी।
17. किसी भी प्रकार की शिकायत हॉस्टल प्रीफेक्ट या छात्र/छात्रा प्रतिनिधि के माध्यम से अपने हॉस्टल के असिस्टेंट वार्डन या वार्डन के पास पहुँचाए। इसके बाद ही उक्त शिकायत डिप्टी चीफ वार्डन या चीफ वार्डन के पास प्रस्तुत हो। इस सम्बंध में अनावश्यक रूप से प्रशासन से सीधे संवाद न करें।
18. छुट्टी पर जाने से पूर्व सभी छात्र/छात्राएँ अपनी छुट्टी सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराने के बाद ही जाएँ। छुट्टी का निर्धारित प्रपत्र भर कर वार्डन से अनुमोदन कराएँ। बिना पूर्व आज्ञा हॉस्टल से अनुपस्थिति अनधिकृत मानी जाएगी।
19. चिल्लाना, शोर मचाना या तेज आवाज में गाना गाने या तेज ध्वनि में साउण्ड सिस्टम चलाना यह सब प्रतिबंधित है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
20. यदि छात्र/छात्राओं को आवश्यक कार्य के लिए संस्थान के बाहर जाना पड़ता है तो जाते समय व लौटते समय हॉस्टल व संस्थान के मुख्य द्वार पर रखे रजिस्टर में प्रविष्टि कर के जाएँगे।

21. छात्रावासों का समय (सभी छात्र/छात्राओं के लिए)

अवधि	संस्थान परिसर से बाहर Outing का समय for all season	संस्थान परिसर के अन्दर Outing का समय	सभी छात्रावासों के मुख्य गेट बंद होने का समय *
On Working day	सुबह 06:00 बजे से सुबह 09:00 बजे तक सांय 05:30 बजे से सांय 08:00 बजे तक	सुबह 06:00 बजे से सुबह 09:00 बजे तक सांय 05:30 बजे से सांय 09:00 बजे तक	रात्रि 9:00 बजे
On Holidays Gazetted Holidays	सुबह 09:00 बजे सांय 08:00 बजे तक (Any 7 hours)	सुबह 09:00 बजे सांय 09:00 बजे तक	रात्रि 9:00 बजे

* 1. आपातकालीन स्थिति में असिस्टेंट वार्डन/वार्डन/सुरक्षा पर्यवेक्षक के अनुमति से खोले जा सकते हैं।

(वार्डन या डिप्टी चीफ वार्डन कभी भी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति जाँच सकते हैं।)

22. उपर्युक्त समय सारणी के अतिरिक्त यदि कोई छात्र/छात्रा आपातकालीन स्थिति में अवकाश पर जाना चाहते हैं तो अपने छात्रावास के असिस्टेंट वार्डन/वार्डन से लिखित अनुमति लेकर जा सकते हैं।
23. सभी गर्ल्स हॉस्टल्स तथा बॉयज हॉस्टल्स में उपस्थिति प्रतिदिन 9:15 PM पर संबंधित विंग प्रीफेक्ट द्वारा असिस्टेंट वार्डन की निगरानी में ली जायेगी।
24. कोई भी छात्र/छात्रा जो छात्रावास में रहते हैं वे बिना अनुमति के छात्रावास परिसर में वाहन नहीं रखेंगे और ना ही कोई बाहरी वाहन लेकर संस्थान में आयेंगे। यदि बिना अनुमति के वाहन रखते हैं/लेकर आते हैं तो उस छात्र/छात्रा को अवमानना का दोषी मानते हुए उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

25. कक्षाओं के समय किसी भी छात्र को हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं है। अगर छात्र बीमार है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से वह हॉस्टल में रह सकता है।
26. संस्थान के कार्य दिवस के समय (प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:30 बजे तक) कोई भी छात्र/छात्रा कैम्पस से बाहर नहीं जा सकेंगे। यदि आकस्मिक कारण से बाहर जाना है तो सम्बंधित विभागाध्यक्ष से लिखित अनुमति लेकर जा सकेंगे।
27. हॉस्टल में एडमिशन प्रोविजनल आधार पर है। यह सुविधा किसी भी तरह की शिकायत या नियम के उल्लंघन की दशा में निरस्त की जा सकती है।
28. म.द.स. विश्वविद्यालय परीक्षाओं में यदि कोई छात्र फेल हो जाता है तो उसका एडमिशन संस्थान एवं हॉस्टल से उसी क्षण रद्द हो जाता है। अगर छात्र री-इवेलुएशन के लिए भी विश्वविद्यालय में आवेदन करे तब भी वह हॉस्टल सुविधा से वंचित रहेगा, जब तक वह विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण घोषित नहीं होता।
29. छात्र/छात्राओं के माता-पिता गेस्ट हाउस में कमरे की उपलब्धता के आधार पर ठहर सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ छात्र/छात्रा के संस्थान में नये प्रवेश के समय पर, किसी छात्र/छात्रा के बीमार होने पर या सत्र समाप्ति पर दी जा सकती है जो कि कमरे की उपलब्धता पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से गेस्ट हाउस के नियमानुसार दी जा सकेगी।
30. रात को 09:00 बजे बाद यदि कोई छात्र/छात्रा संस्थान परिसर में अनावश्यक रूप से घूमता/घूमती हुई पाया जाता है/पाई जाती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

प्रतिलिपि:

- 1 अधिष्ठाता
- 2 अध्यक्ष, डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एम./डी.ई.एस.एस.एच.
- 3 चीफ वार्डन
- 4 डिप्टी चीफ वार्डन
- 5 वार्डन, राणाप्रताप/शिवाजी/लक्ष्मीबाई/तिलक/रणजीत छात्रावास
- 6 असिस्टेंट वार्डन, राणाप्रताप/शिवाजी/लक्ष्मीबाई/तिलक/रणजीत छात्रावास
- 7 छात्र सलाहकार
- 8 संयुक्त छात्र सलाहकार
- 9 एन.सी.सी. अधिकारी
- 10 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
- 11 अनुभाग अधिकारी (स्थापना/परिसर एवं कल्याण)
- 12 निजी सहायक (प्राचार्य)
- 13 सुरक्षा पर्यवेक्षक
- 14 छात्रावास क्लर्क राणाप्रताप/शिवाजी/लक्ष्मीबाई/तिलक/रणजीत छात्रावास
- 15 सभी सूचना पट्ट (संस्थान/छात्रावास)

अधिष्ठाता 27/7/22

28/7/22

28/07/2022

राणाप्रताप हॉस्टल सुनीता गौड़
शिवाजी हॉस्टल 24 (2-10)
रणजीत हॉस्टल - 24/24
तिलक छात्रावास
लक्ष्मीबाई हॉस्टल (मिनारती क्षेत्र)

Karshif